Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २] तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६२ का १५वां दिवस [संख्या ११

बुधवार, दिनांक २४ अक्टूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत्, सिंचाई, कृषि, स्वायत्त शासन, यातायात, चिकित्सा, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, विधि एवं श्रम-विभाग]

सीकर सदर थाने की इमारत

३५८. **श्री स्वरूपनारायण पुरोहित** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या सीकर नगर में सदर थाने के लिये जो इमारतें बनी हैं वे उस थाने की हद में है ?

(ब) क्या यह सही है कि सीकर नगर में सदर थाने के लिये जो इमारतें बनी है वह शहर से पूर्वोतर की ओर है जिधर थाना रघुनाथगढ़ का इलाका है और नगर के पश्चिम में सदर थाने का क्षेत्र हैं तथा क्षेत्र के रहने वालों को थाने में जाने के लिये पूरे शहर में होकर घूमना पड़ता है ?

उप-गृह मंत्री, (श्री भीमसिंह) : (अ) जी नहीं।

(ब) जी हां। किन्तु थाना सदर की इमारत थाना रघुनाथगढ़ के हल्के में न होकर थाना कोतवाली सीकर के हद में है।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : थाना का एरिया म्युनिसिपेलिटी की लिमिट्स में है। यह म्युनिसिपेलिटी की हद के बाहर है। यह रेलवे लाइन के उधर है। मुझे इससे मतलब नहीं है। मगर दो बातें मैं सरकार के ध्यान में लाना आवश्यक समझता हूं कि यह हो जाता है कि एक जगह नहीं तो दूसरी दे दी। वह जगह दे दी या नहीं, मगर कम से कम यह बात सोचने की थी कि जिस थाने की शरहद है वह उसी शरहद में हो, अगर वह उसमें नहीं होती हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। दूसरा···

श्री अध्यक्ष : आप जबाब सुन लें। आपका जवाब आया है कि दूसरी जगह थाना मुकर्रर किया है।

श्री भीमसिंह : यह बिल्डिंग है रेलवे लाइन के उधर है और थाना कोतवाली के अन्तर्गत है। म्युनिसिपल ओक्ट्रोय के एरिया में ही है। दूसरा आपने यह फरमाया कि दूसरे एरिया में थाना क्यों बनाया है ? यह सदर का एरिया देहात का है। यहां प्लॉट खाली था इसलिये देहात वालों को सहूलियतें देने के लिये बनाया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

रतनगढ़ से राजलदेसर तक सड़क

३५६. मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार रतनगढ़ तहसील के कस्बा राजलदेसर को रतनगढ़ से सड़क द्वारा संयोजित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति हुए कितने दिन हो गये और इसका कार्य आरम्भ क्यों नहीं हुआ ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी हां। यह मार्ग राष्ट्रीय मार्ग नं० ११ बीकानेर आगरा रोड का भाग है केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मार्ग के निर्माण के लिये तृतीय योजना में ३,००,०००) रू० की धनराशि स्वीकृत की है इसका कार्य तीसरी योजना में शुरू होगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत : इनों कार्य प्रारम्भ कब ताई होने को है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ज्योंही पैसा मिले काम शुरू कर दिया जावेगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : तीसरी योजना में कुछ रुपया इसके लिये रखा गया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नगरपालिकाओं के वार्षिक बजट

३०६. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान में किन किन नगरपालिकाओं का सन् ६२-६३ का वार्षिक बजट अभी तक बोर्ड अथवा कौंसिल द्वारा पारित नहीं किया गया है ?

(२) किन किन नगरपालिकाओं का बजट बोर्ड अथवा कौंसिल से पारित हो गया, परन्तु सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ ? यह बजट किस किस वर्ष के कब कब सरकार को प्राप्त हुए हैं ?

(३) किन किन नगरपालिकाओं ने सन् ६१-६२ का बजट भी पास करके सरकार के पास नहीं भेजा और किन किन नगरपालिकाओं का बजट सरकार के पास आ गया; परन्तु सरकार द्वारा वापिस नहीं किया गया है ? ऐसे बजट सरकार के पास कब कब आये हैं और अब तक किन कारणों से यह बजट पास नहीं हो सके हैं ?

Page No 3

उप-मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद) : नगरपरिषद्, जयपुर व नगरपालिका, खन्डेला, रतननगर व पींपाड़ के सन् ६२-६३ के पारित बजट मंजूरी के लिये विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं।

(२) नगरपालिका श्री माधोपुर, तारा नगर का बजट इस कार्यालय में दिनांक १२-१०-६२ व २२-१०-६२ को प्राप्त हुए हैं जो निश्चित अवधि में एक माह में स्वीकृत कर दिया जावेगा।

नगरपालिका, बाली का बजट अपूर्ण होने से वापिस भेजा है।

(३) समस्त नगरपालिकाओं के सन् ६१-६२ के बजट मंजूर हो चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिन जिन के बजट मंजूर नहीं हुए हैं उनमें खर्च की क्या व्यवस्था है ?

श्री चन्दनमल वैद : लास्ट बजट के अनुसार कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : किस कानून से कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : इसमें सरकार का कोई कसूर नहीं है। जिनके बजट हमारे पास आये उनको पास करके भेज दिया। जिन्होंने नहीं भेजा उनको पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं भेजा। वे पिछले बजट के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि जो खर्चा कर रहे हैं वह वाजिब है कि नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : वाजिब और गैर वाजिब का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जब तक बजट सेंक्शन न हो जाय तब तक जितना खर्चा किया जाता है वह गैर वाजिब है, इस अनोथोराइज्ड खर्च के लिये सरकार ने क्या एक्शन लिया है ?

श्री चन्दनमल वैद : बजट पास नहीं हुआ है इसके माने यह नहीं कि हमारी गलती है, हमारे पास जिनका बजट आया पास कर दिया जिन्होंने नहीं भेजा तो यह उनकी इर्रेगुलेरेटी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यही पूछ रहा हूं कि इस इर्रेगुलर कार्यवाही के लिये क्या सरकार एक्शन लेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : जरूर जो लीगल कार्यवाही है वह की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कन्सलटिव कौन्सिल की चालू वर्ष में बैठकें

३६१. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : 1. How many meetings of State Electricity Consultative Council have been convened in the current year, i. e. since April, 1962 ? If any, a copy of the proceedings be placed on the table of the House.

2. Is the Government aware that the Indian Electricity Act, 1948 provides for the quarterly meetings of the State Electricity Council for

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

the State ? If so, why the regular meetings of the council have not been ensured ?

3. What steps the Government now propose to take to see that meetings of the Consultative Council are held regularly ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा): 1. One meeting of the State Electricity Consultative Council was convened in the current year since April, 1962. Copy of the proceedings is being placed on the table of the House. Another meeting is scheduled to be held on 25th October, 1962.

2. Section 16 of the Electricity (Supply) Act, 1948, provides for quarterly meetings of the State Electricity Consultative Council and regular meetings are held of the Council as required under the Law.

3. The question does not arise.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या बता सकेंगे कि इस तरह रेगुलर मीटिंग ६१-६२ में भी हुई हैं ?

श्री परसराम मदेरणा: ६१-६२ की मेरे पास इत्तला नहीं है। लेकिन फरवरी में मीटिंग हुई थी। तीन महीने में होनी चाहिये वह नहीं हुई।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जुलाई में मीटिंग नहीं हुई एक्च्युअली तीन महीने में होनी चाहिये कुछ ज्यादा अर्सा निकल गया।

श्री परसराम मदेरणा: जी हां, थोड़ा ज्यादा अर्सा हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया है, The question does not arise.'; क्या यह सही है कि मीटिंग होने में इर्रेगुलेरिटी हुई है ? इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है कि ऐसी इर्रेगुलेरिटी भविष्य में न हो ?

श्री परसराम मदेरणा: आपने अप्रेल के बाद में मीटिंग का पूछा है अप्रेल के बाद में मीटिंग हो गई, फिर २५ अक्टूबर को कल ही होने वाली है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पर तीन महीने में होनी चाहिये वह नहीं हुई है ?

श्री परसराम मदेरणा: वह तो मैं खुद कह रहा हूं कि थोड़ा अर्सा ज्यादा निकल गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप इसको इर्रेगुलेरिटी मानते हैं या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा: मीटिंग विदिन थ्री मन्थ्स हो जानी चाहिये थी, कुछ कारणों से नहीं हुई......

श्री रामानन्द अग्रवाल: पर क्वश्चन नं० २ का जवाब दिया है, मिनिस्टर महोदय के जवाब से ही गलत साबित होता है..

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): I presume, the Hon. member desires that the meetings should be held regularly, for which we will tell the Electricity Bord that in future they should do it regulaaly.

श्री रामानन्द अग्रवाल : That assurance is required by us. But the answer that 'the question does not arise' shows that the Government does not want to be vigilant even after this has been brought to their notice.

श्री हरिश्चन्द्र : There is no question of vigilance. We will inform them.

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी !

अजीतगढ़ के तालाब की पाल पर के आम रास्ते से खतरा

३६२. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि भीम तहसील में अजीतगढ़ के तालाब की पाल पर होकर आम रास्ता निकलता है ?

(२) क्या यह सही है कि पाल पर पानी बहता रहता है जिससे उस पर काई जम जाती है और लोगों के पांव फिसल कर तालाब में गिर जाने का भय रहता है ?

(३) क्या यह भी सही है कि दो आदमी इस तरह फिसल जाने से तालाब में डूब कर मर गये हैं ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार पास के किनारे पर कुछ डंडे वगैरह से रोक लगाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी नहीं।

(२) जी हां। यह पक्का ओवरफ्लो पानी निकालने के लिये ही बनाया गया है और इस पर फिसलन होना स्वाभाविक है।

(३) इसकी इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(४) जी नहीं। जब आम रास्ता ही नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह कैसे बताते हैं कि आम रास्ता नहीं है ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि जहां से ओवरफ्लो का पानी गिरता है वहां आम रास्ता नहीं होता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आप खुद उस रास्ते से निकलें तो पता चले।

श्री दिनेशराय डांगी : उस रास्ते से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आम लोग उस रास्ते से जाते हैं हद हो गई, कहते हैं कि आम रास्ता नहीं है, मैं खुद उस रास्ते होकर आई हूं।

एक माननीय सदस्य : आम लोग जहां से जाने लग जायं वही आम रास्ता। आम रास्ता नहीं है तो आम लोग वहां से कैसे जाते हैं ?

Page No 6

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई): ग्राम रास्ता नहीं है, पर गांव वालों ने ग्राम रास्ता बना दिया है वहां।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: क्या कुछ डंडे लगा दिये जायं और इससे लोगों की जान बच जाय तो क्या हर्ज है?

श्री भीखा भाई: इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कितने अर्से से वहां ग्राम रास्ता बना हुआ है?

श्री भीखाभाई: यह जानकारी मेरे पास नहीं है। ओवरफ्लो होता है वहां लोगों को नहीं जाना चाहिये क्योंकि वहां सेंट परसेंट फिसलन होती है, ओवरफ्लो सेक्शन पक्का होता है, वहां लोगों को नहीं जाना चाहिये। सिंचाई के बंधों, तालाबों की पाल पर लोगों को नहीं जाना चाहिये। इसके लिये अलग नियम हैं। फिर भी माननीय सदस्या ने बताया है तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): आप अलग रास्ता बनवा दें तो लोग वहां से जाना आप ही बन्द कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमसेन!

तहसील के केन्द्रों को सड़कों द्वारा जोड़ना

३६३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार नीति के तौर पर स्वीकार कर चुकी है कि तहसीलों के केन्द्र स्थानों को एक दूसरे से सड़क द्वारा जोड़ना प्रशासनिक दृष्टि से वाजिब है?

(२) क्या यह सही है कि लूणकरणसर डूंगरगढ़ व लूणकरणसर सरदारशहर की प्रस्तावित सड़कें वाया कालू से होकर बनाई जायेंगी? अगर हां, तो क्या सरकार लूणकरणसर कालू को यात्रियों की सुविधा हेतु शीघ्र से शीघ्र पक्की सड़क द्वारा जोड़ने का इरादा रखती है? अगर हां, तो कब तक?

उपमंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: श्री भैरोंसिंह।

टिड्डी नाशक पाउडर की खरीद

३६४: **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य सरकार को अपने माध्यम से अथवा भारत सरकार से यह जानकारी कब कब मिली थी कि इस वर्ष राजस्थान में भयंकर रूप से टिड्डियों का आक्रमण होगा?

(ख) क्या यह सही है कि आक्रमण का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा B. H. C. पाउडर की खरीद के लिये टेण्डर मांगे गये? यदि हां, तो कब? कृपया टेण्डर नोटिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री भैरोंसिह)

(ग) किन किन फर्म्स ने किन किन रेट्स के टेन्डर दिये और किस फर्म का किस रेट का टेन्डर मंजूर हुआ ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) क्या किसी फर्म ने प्रारम्भ में दी गई रेट्स में कुछ परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो किसने, क्यों और कितना कितना ?

(ङ) क्या यह सही है कि जिस फर्म का टेन्डर मंजूर किया गया, उसका टेन्डर, टेन्डर नोटिस की शर्तों के अनुसार नहीं था और डी. जी. एस. डी. की रेट्स से अधिक रेट्स पर वह टेन्डर मंजूर किया गया ?

(च) क्या इस फर्म को पाउडर सप्लाई करने के आर्डर देने से पहले सील्ड सेम्पल लिया गया था और उसका National Physical Laboratory, New Delhi अथवा अन्य Laboratory से टेस्ट करवाया गया था यदि नही, तो क्यों ?

(छ) अब तक कुल मिलाकर कितने टन पाउडर कितनी कीमत का खरीदा जा चुका है और कितना काम आ गया है ?

उप मंत्री कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (क) माह अप्रेल सन् १९६२ में भारत सरकार से मिले संकेतो से यह धारणा थी कि इस वर्ष टिड्डियों का आक्रमण लगभग विगत वर्ष जैसा ही होगा किन्तु १६ एवं १९ जून सन् १९६२ को भारत सरकार की दो चेतावनियां प्राप्त हुई कि टिड्डियों के भयंकर आक्रमण की आशंका है।

(ख) चूंकि मिले हुए संकेतों के अनुसार सन् १९६१ में हुए आक्रमण को आधार माना गया है इस कारण ७०० टन पाउडर स्टॉक करने के लिये कार्यवाही की गई। जब आक्रमण बहुत तीव्र हो गये और टिड्डि नाशक दवाइयां कम पड़ती मालूम हुई तो दिनांक २६-९-६२ को अल्पकालीन टेन्डर एन्क्वायरी का नोटिस दिया गया। उस टेन्डर एन्क्वायरी के नोटिस की प्रतिलिपि सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री भैरोंसिह: नहीं मिली।

श्रीमती कमला बेनीवाल : (ग) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये वांछित तालिक सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री भैरोंसिह : नहीं मिली।

श्रीमती कमला बेनीवाल : (घ) जी हां। मेसर्स पेस्टीसाइट्स इंडिया, उदयपुर ने अपनी रेट ३७१ रू० से घटा कर ३४८ रू० फी टन, ऐफ. ओ. आर. जयपुर व उदयपुर रेल्वे के ३०० मील दूरी तक के स्थान कर दी। इस कमी का कारण यह था कि टेन्डर देने वाले फर्मों में से एक फार्म ने यह लिख कर दिया कि वह ३४८ रू० फी टन एफ० ओ० आर० गुरगांव सप्लाई करने को तैयार हैं। अत : सब से कम रेट वाले टेन्डरर को इस बात का मौका दिया कि वह अपने टेन्डर पर फिर विचार कर लें।

(ङ) जी नहीं।

(च) ऑर्डर देने के पश्चात सारे लोट में से सेम्पल लिये गयें और उनका सरकारी प्रयोगशाला, दिल्ली में विश्लेषण कराया गया।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(छ) इस वर्ष १०५० टन बी. एच. सी. पाउडर करीबन ३,८१,०००,०० रुपये का टिड्डी विनाश कार्य हेतु खरीदा गया और अधिकतर काम आ गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि टेन्डर टेलिग्राफिकली इन्वाइट किये गये थे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : शार्ट नोटिस था इसलिये टेलिग्राफिकली भी इन्वाइट किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : किया जा सकता है का सवाल नहीं, किया गया या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : अप्रेल जून में भारत सरकार के निर्देशन से जानकारी मिल गई थी कि राजस्थान में टिड्डी का भयंकर आक्रमण होने जा रहा है तो सितम्बर तक पाउडर मंगाने में इन्तजार क्यों करनी पड़ी कि जिससे टेलिग्राफिकली टेन्डर इन्वाइट करने पड़े ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कलेक्टर्स महोदयों को विश्वास था कि जितना पाउडर है उससे कार्य पूर्ण कर लेंगे पर अधिक आक्रमण बढ़ गया तो इमरजेंसी में यह कार्यवाही करनी पड़ी।

श्री भैरोंसिंह : जून में सरकार को मालूम हो गया था कि टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है और पाउडर कम था तो इन्तजार क्यों किया जिससे कि बाद में टेलिग्राफिकली टेन्डर्स इन्वाइट करने पड़े ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने बताया कि उनको विश्वास था कि उस स्टॉक से काम चला लेंगे इसलिए नहीं मंगाया पर जब आक्रमण और अधिक बढ़ गया और काम चलता नहीं दीखा तो यह कार्यवाही की।

श्री भैरोंसिंह : यह आपको कब मालूम हुआ था कि जो प्रेजेन्ट स्टॉक है उससे काम नहीं चलेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अगस्त के महीने में।

श्री भैरोंसिंह : अगस्त में कब मालूम हुआ ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : दूसरे-तीसरे सप्ताह में।

श्री भैरोंसिंह : जिस फर्म का टेन्डर मंजूर किया तो एप्रूव्ड रेट क्या थी ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ३०४) रु०

श्री भैरोंसिंह : ३०४) रु० डी. जी. एम. डी. की रेट्स है तो ३४८) में क्यों परचेज किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ३०४) रु० में मेन्यूफेक्चर होता है उसके बाद ३४८) में राजस्थान के सारे इलाकों और उदयपुर से ३०० मील दूर हो तब भी वहां तक पहुंचने का भाड़ा आदि इसमें शामिल है।

श्री भैरोंसिंह : क्या ३०४) रु० की रेट एफ. ग्रो. ग्रार. उदयपुर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उदयपुर के लिये ३०४) है एफ. ग्रो. ग्रार. ।

श्री भैरोंसिंह : फिर ३४८) रु० क्यों ग्रौर कैसे मंजूर की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरी जगहों पर पहुंचाने का भी तो है, जैसे जोधपुर है फलोदी है । जहां जहां भेजना है वहां सब के लिए यह रेट रखी है ।

श्री भैरोंसिंह : आपको यह मालूम होना चाहिये कि राजस्थान के किसी भी हिस्से में यदि माल पहुंचाया जाय तो फ्रेट २०) २५) रु० से ग्रधिक नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गलत है ।

श्री भैरोंसिंह : ये तो रेलवे की रेट्स है २०), २५) रु० गलत कैसे है । ३०४) एफ. ग्रो. ग्रार. उदयपुर है तो दूसरी जगह ज्यादा से ज्यादा ३२५) हो हो सकती थी ३४८) कैसे दिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : टेन्डर की सबसे लोएस्ट रेट है यह ।

श्री भैरोंसिंह : उदयपुर की एक फर्म ने ३०४) रु० डेस्टिनेशन की रेट कोट की थी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ३७१) रु० की की थी ।

श्री भैरोंसिंह : ३०४) रु०

श्री नाथूराम मिर्धा : No.

प्रश्न संख्या ३६५

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन (लूणकरन सर)

(ग्रनुपस्थित)

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल ।

ग्रलवर शहर में तांगा स्टेन्ड पर पक्का मार्केट बनाने की योजना

*३६६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (ग्रलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्रलवर शहर में तांगा स्टेन्ड पर मार्केट के दुकानदारों को उनकी स्टाल की जगह उन्हीं दुकानदरों को वेचकर उस स्थान पर एक पक्की मार्केट बनाने की योजना ग्रलवर नगरपरिषद् द्वारा सरकार को भेजी गई है ?

(२) यदि हां, तो यह योजना सरकार को ग्रलवर नगरपरिषद से कब प्राप्त हुई ;

(३) क्या सरकार ने नगरपरिषद, अलवर की इस योजना के बारे में कोई निर्णय लिया है ?

(४) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया है ? ग्रगर नहीं तो इस निर्णय लेने में इतनी देरी होने का क्या कारण है ?

उप मंत्री वित्त (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां ।

(श्री चन्दनमल बैद)

(२) दिनांक २४-५-६० को

(३) जी नहीं।

(४) परिषद से इस सम्बन्ध में और जानकारी चाही गई थी और वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या वे कागजात अब सरकार के पास है या नगर परिषद् के पास है ?

श्री चन्दनमल बैद : सरकार के पास ही होंगे। जो जानकारी चाही गई है वह नहीं आयी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २।। वर्ष हो गये, इसका अभी तक नगरपालिका से उत्तर नहीं आया, कब लिखा था नगरपरिषद् को ?

श्री चन्दनमल बैद : ३-२-६३ को फाइनली लिखा था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : शुरु शुरु में कब लिखा ?

श्री चन्दनमल बैद : पहले भी लिखा गया था, किन्तु जवाब इन्कम्पलीट आया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले कब लिखा गया था ?

श्री चन्दनमल बैद : १-६-६१ को।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार २४-५-६० को जो कागजात आपके पास आये १३ महीने बाद लिख कर अनुचित देरी नहीं समझती है ?

श्री चन्दनमल बैद : पहले इस काम के लिए सुपरिन्टेन्डेन्ट टाउन प्लानिंग, चेयरमैन अरबन इम्प्रूवमेन्ट और डाइरेक्टर की राय मांगी गई। तीनों की जब राय आ गई तो अलवर नगरपरिषद् को लिखा गया। उनका जवाब कम्पलीट नहीं आया तो मैं समझता हूं कि देर नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत

भीम पंचायत समिति को सौंपे गये तालाबों की मरम्मत

३६७ **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा भीम पंचायत समिति को जो तालाब सोपे गये थे वे टूटी फूटी हालत में सौंपे गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि उन तालाबों पर पुख्ता आबियाना लगा हुआ है जो उनकी पिलाई लगान के साथ ही तहसीलदार द्वारा वसूल की जाकर सिंचाई विभाग में जमा की जाती है ?

(३) क्या यह भी सही है कि सिंचाई विभाग उन तालाबों की आमदनी तो वसूल करता जा रहा है और मरम्मत नहीं कराई जा रही है ?

(४) क्या यह सही है कि मरम्मत के बिना तालाबों की हालत बहुत खराब हो रही है ?

(५) यदि हां, तो इन तालाबों की मरम्मत के लिये क्या किया जायेगा ?

(६) इन तालाबों से हुई आमदनी पंचायत समिति को दी जायगी या सिंचाई विभाग खुद मरम्मत करायेगा ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां। आबियाना लगान में शामिल है, पर यह सिंचाई विभाग में जमा नहीं होता है।

(३) तालाब की आमदनी सिंचाई विभाग के पास नहीं आ रही है और मरम्मत पंचायत समिति को स्वयं करवानी है।

(४) इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(५) यह मरम्मत पंचायत समिति को ही करानी चाहिये।

(६) पंचायत समिति को राजस्व विभाग ने राजाज्ञा दिनांक २१-२-५६ के अनुसार १) रु० प्रति एकड़ लेना चाहिये और तालाब की मरम्मत पंचायत समिति को ही करनी चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : यह आबियाना वसूल होकर किस डिपार्टमेंट में जमा होता है ?

श्री दिनेशराय डांगी : रेवेन्यू डिपार्टमेंट में।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : रेवेन्यू डिपार्टमेंट पंचायत समिति को नहीं देता है ?

श्री दिनेशराय डांगी : आज्ञा है १) रु० उनसे वसूल करना चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आज्ञा तो कभी की निकल चुकी है, लेकिन उसका अमल तो नहीं हो रहा है। सरकार में वह जमा हो रहा है पंचायत समितियों में तो नहीं।

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई): आपने कहा कि मरम्मत के लिए रुपया नहीं मिल रहा है। जो कलेक्टिव एजेन्सी है रेवेन्यू को वह रुपया पंचायतों को मिल जायगा। जहां रुपया रेवेन्यू के साथ में शामिल नहीं है वह रुपया पंचायत समिति खुद वसूल कर सकती है। तीसरी बात यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा जो दो करोड़ का अनुदान पंचायत समितियों को दिया गया है उससे वे तालाबों की मरम्मत करा सकती है। सरकार की ओर से इस प्रकार पूरी तरह से मेन्टेन करने की कोशिश की गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

जयपुर शहर की बस सर्विस

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) जयपुर शहर के लिये सिटी बस चलाने का कितनी कितनी गाड़ियां का कब से किस किस पार्टी को आर. टी. ओ. द्वारा कितने समय के लिए परमिट मिला हुआ है?

(ख) शहर की आवश्यकता के अनुसार कितनी बसें चलनी चाहिये और कहां से कहां तक तथा किस किस समय पर और उसके अनुसार कितनी बसें कहां से कहां तक और किस किस समय चलती हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि सिटी बस सर्विस बहुत ही अपर्याप्त और असुविधाजनक है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप मंत्री यातायात (श्री भीमसिंह): (क) जयपुर शहर के लिये सिटी बसे चलाने को निम्नलिखित दो पार्टियों को उनके सामने अंकित तारीखों व गाड़ियों की संख्या व समय के परमिट दिये गये हैं।

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	गाड़ी संख्या	समय
१.	मे० जयहिन्द को-ऑपरेटिव सोसाइटी, जयपुर	५	२७.७.६० से २१.७.६३
२,	सेन्ट्रल ट्रान्स्पोर्ट कं०, जयपुर	८	९-६-५८ से और ९.६.६१ से ८.६.६४

(ख) शहर की आवश्यकता को देखते हुए ११ मार्गों पर ३४ बसें चलनी चाहिये जिनके रूट व समय फ्रिक्वेन्सी संलग्न सूची में दर्ज है। वर्तमान में जिन रूटों पर बसे चल रही हैं वो निम्न प्रकार है :

नाम रूट	फ्रिक्वेन्सी (आवृति)
१, चौपड़ मानक चौक से रेल्वे स्टेशन व त्रिपोलिया चांदपोल गेट पोलो विक्ट्री	२० मिनिट।

(शेष के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : बस, आप इसमें यह बता दीजिये कि परमिट दिये रूट्स का तो इतनी इतनी रूट्स पर गाड़ियां चलानी पड़ेगी……

श्री भीमसिंह : उनके लिए ८ रूट्स थे। दो परमिट होल्डर्स को एरिया बांटे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें तो पहले ७ हैं और तीन लिस्ट दी है उसमें दिय हैं ११। ये नये इन्ट्रोड्यूस किये गये हैं क्या ?

श्री भीमसिंह : ये ११ रूट्स अब तैयार किये गये हैं। सारों को रिसफल करके ११ रूट्स निर्धारित किये हैं। इन पर ३४ गाडियां चलेगीं।

श्री भैरोंसिंह : आपके कहने के अनुसार ८ के बजाय ७ पर गाडियां क्यों चली ?

श्री भीमसिंह : आप फिर प्रश्न करिये।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी बताया कि जिन सोसाइटीज को परमिट दिया था उनके आठ रूट्स पर गाड़ियां चलने की आपने लिस्ट दी है उसमें बताया है वह ७ है। केवल दो गाड़ियां चलती थी। कम चलाने का क्या कारण है ?

श्री भीमसिंह : यह टाइपिग मिस्टेक है और ८ ही है।

श्री भैरोंसिंह : परमिट ८ का था तो गाडिया क्यों कम चलती थी, फिर एक्शन क्या लिया ?

श्री भीमसिंह : आठ परमिट के उपर १३ गाड़ियां चल रही थीं।

श्री भैरोंसिंह : गाड़ियों की संख्या से मतलब नहीं है। ८ रूट्स पर चलनी चाहिये और आपकी लिस्ट पर ७ ही है और यह तो पहली थी अब तो २ पर ही हैं।

श्री भीमसिंह : असल में ८ है, ७ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा मतलब गाड़ी से नहीं है। केवल रूट्स से है। परमिट रूट्स का दिया है जितने रूट्स का परमिट था उन पर गाड़ियां क्यों नहीं चली ?

श्री भीमसिंह : रूट ८ और संख्या गाड़ियों की १३ है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि रूट्स ८ पर चल रही है न कि ७ पर।

श्री भैरोंसिंह : जब से परमिट दिया उन पर अब तक ८ रूट्स पर ही गाड़ियां चली ?

श्री भीमसिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर नगरपालिका के चुनाव

३६९. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) बीकानेर नगरपालिका के चुनाव के संबन्ध में सरकार ने अब तक क्या क्या तैयारी कर ली है ?

(२) अब बीकानेर नगरपालिका का चुनाव किस तारीख तक हो जावेगा ?

उप मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद) :-

(१) सीटों के पुनः निर्धारण करने पर विचार किया जा रहा है।

(२) माह फरवरी १९६३ के अन्त तक होने की संभावना है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने फरमाया कि वार्डस किये जा रहे हैं वार्डस के सबन्ध में आदेश कब दिये गये ?

श्री अध्यक्ष : फरवरी, ६३ तक चुनाव हो जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : पांच साल हो गये इस प्रकार कहते कहते। चार दफा तो हम सुन चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

यातायात राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत किराये की दरें

३७० श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) यातायात के राष्ट्रीयकरण के अन्तगत जिन जिन रूट्स पर स्टेट रोडवेज की गाड़ियां चल रही हैं वहां पर प्रत्येक मार्ग पर किस दर से किराया लिया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस स्कीम से पूर्व जो प्राइवेट बसेज चलती थीं वे कम किराया वसूल करती थीं ? यदि हां, तो किस किस मार्ग पर किस किस दर से ?

(३) यदि दोनों में अन्तर है तो कितना और क्यों ?

Page No 14

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला बेनीवाल): राष्ट्रीयकृत मार्गो पर साधारणतया निम्नदर से किराया लिया जाता है :-

(अ) क्लास मार्ग ४ नये पैसे प्रतिमील

(आ) पहाड़ी रास्ते पक्के ६ नये पैसे प्रतिमील

(१) राष्ट्रीयकृत मार्ग एवं इन मार्गो पर वसूल किये जाने वाले किराये की दर संबंधी तालिका सदन कि मेज पर रखदी गयी है ।

(२) राजस्थान स्टेट रोडवेज की बसों में राष्ट्रीयकृत मार्गों में से कुछ भागों पर किराया निजी मालिको की दरों से कम तथा कुछ पर समान और कुछ मार्गों पर अधिक लिया जाता है । इस सम्बन्ध की जानकारी भी तालिका में देदी गई है ।

(३) अंतर है इसका कारण यह है कि रोडवेज की गाडियों में अधिक सुविधायें हैं । जैसे ओवर लोडिंग यदि नहीं करते कुलियों की सुविधायें भी देते हैं और बस स्टेशन बना रहे हैं । इस सम्बन्ध की जानकारी भी तालिक में देदी गई हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : ये रेट्स किस बेसिस पर निश्चित की गई हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जैसा कि मैंने आपको बताया:पक्के और पहाड़ी मार्ग पर इस हिसाब से और जो पक्के नहीं, रेलवे लाइन से कनेक्टेड हैं उसके अलग हिसाब से ।

श्री भैरोंसिंह : पक्के मार्ग और पहाड़ी मार्ग पर जो रेट्स प्रेस्काइब की है वे किस आधार पर की हैं ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : दूसरी स्टेट्स की रेटों को देख कर ।

श्री भैरोंसिंह : दूसरी स्टेट्स का जो निर्धारित कार्यक्रम है उन्होंने जिस प्रकार की रेट्स लगायी है उनमें और इसमें अन्तर क्यों है ?

श्री हरिश्चन्द्र : स्टेट रोडवेज के लिये जो पर मील रेट्स फिक्स किये हैं वे रेट्स नेबरिंग स्टेट्स से कम हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आप जो किराया लेते है वह प्राइवेट बसेज के मुकाबले किराया लेते हैं, वह ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं ? प्राइवेट बस वाले कई मार्गों पर तो निर्धारित रेट्स से भी कम लेते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : एक दो ही मार्ग हैं, बाकी सब पर ले रहे हैं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जिन मार्गों पर रोडवेज की बसेज चलती है उनमें प्राइवेट बसेज से ज्यादा सुविधाएं है इसलिये कुछ रेट्स ज्यादा भी हो सकती हैं । प्राइवेट आपरेटर्स कम्पीटिशन में चलते हैं इसलिये वे कहीं हिसाब से कम भी रेट ले लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष : चार पैसा और छः पैसा प्रति मील आपने निर्धारित रेट की है वह पहले से कम है या ज्यादा ?

श्री हरिश्चन्द्र : कुछ स्थानों पर कम हैं और कुछ पर ज्यादा ।

Page No 15

श्री अध्यक्ष : प्राइवेट ऑपरेटर्स भी क्या ये ही रेट्स लेते हैं या इससे कम या ज्यादा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ये ही हैं।

श्री भैरोंसिंह : प्राइवेट बस वाले जों किराया लेते हैं वे सरकार द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार लेते हैं आपके नियमों के आधार पर प्रेस्क्राइब्ड थी तो अब नेशनेलाइज्ड रूट्स की रेट्स में अन्तर क्यों है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेग्जीमम रेट्स प्रेस्क्राइब्ड थी । उनमें अनहेल्थी कम्पीटिशन चलता था इसलिये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स मेग्ज़ीमम रेट वसूल नहीं करते थे ।

श्री भैरोंसिंह : तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स मेक्जीमम रेट वसूल नहीं करते थे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जैसा कि आपने बताया रेट्स दूसरी स्टेट्स की रेट्स देख कर निर्धारित की हैं तो क्या यह बात सही है आपके यहां के रेट्स पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की रेट्स से ज्यादा हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : रेट्स के बारे में कई मर्तबा प्रश्न आया; मैंने कई मर्तबा यह कहा है कि हमारे रेट्स दूसरी स्टेट्स की रेट्स को देखते हुए नीचे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पंजाब से ज्यादा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : दूसरी स्टेट्स से कम हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हो सकता है मद्रास से कम हो; लेकिन नेबरिंग स्टेट्स से तो ज्यादा है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): जहां पर रोडवेज रेलवे के समानान्तर चलती है......

श्री रामानन्द अग्रवाल : My question should be replied.

श्री अध्यक्ष : It has been replied.

श्री मानिकचन्द सुराणा : जहां रोडवेज रेलवे की पटरियों के बराबर चलती हैं उन रूट्स का किराया रेलवे की दर से कम रखा है या ज्यादा ? बराबर रखा है या ज्यादा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने सुना नहीं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पिछली मर्तबा माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि हम इस बात का ख्याल रखते हैं । जहां हमारी बसेज रेलवे की पटरी पर समानान्तर चलती हैं उनके मुकाबले हमारा किराया ज्यादा न हो । आपने स्पेसिफिकली बताया था, इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह प्रश्न अलग से पूछिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रेलवे के मुकाबले रोडवेज का किराया ज्यादा है या कम है ?

Page No 16

श्री हरिश्चन्द्र : यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री राधाकिशन गोयल (टोंक) : जयपुर से निवाई तक आपने क्या फेअर निर्धारित किया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

एम्प्लोईज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रहे डॉक्टर्स को विशेष भत्ता

३७१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) एम्प्लोईज स्टेट इंश्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत राज्य में कुल कितनी डिस्पेन्सरीज हैं ?

(२) उपरोक्त डिस्पेन्सरीज में किन किन स्थानों पर लेडी डॉक्टर नहीं हैं ?

(३) क्या यह सही है कि दूसरे राज्यों में इस स्कीम के अन्तर्गत काम करने वाले डॉक्टरों को इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें प्राइवेट प्रेक्टिश की इजाजत नहीं है इसलिये १००) रुपये प्रति माह विशेष भत्ता दिया जाता है ?

(४) क्या इस प्रकार का विशेष भत्ता राजस्थान में इस स्कीम में काम करने वाले डॉक्टरों को दिया जाता है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(५) क्या यह सही है कि इस प्रकार का विशेष भत्ता नहीं दिये जाने के कारण ही डॉक्टर आने को तैयार नहीं होते ?

उप मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य में कुल १४ डिस्पेन्सरियां हैं ।

(२) उपरोक्त १४ डिस्पेन्सरियों में से निम्नलिखित ६ स्थानों पर लेडी डॉक्टर नहीं है :—

(क) जोधपुर

(ख) पाली

(ग) उदयपुर

(घ) भरतपुर

(च) श्री गंगानगर

(छ) बीकानेर

(३) जी हां । यह खर्च ई०एस०आई० कोर्पोरेशन के द्वारा ही किया जाता है ।

(४) जी नहीं, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(५) जी नहीं । यह बात ठीक नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जब कि देश के दूसरे राज्यों में १००) रुपया देते हैं तो राजस्थान सरकार इतनी ढील क्यों बरत रही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह बात सरकार के विचाराधीन है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह कब से विचाराधीन है । राज्य सरकार को अपनी जेब से तो निकालना नहीं पड़ता, फिर इसमें लम्बी-चौड़ी बात क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सैटलमेंट डिपार्टमेन्ट के फार्म्स का दुरुपयोग

३७२ श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मंत्री मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सही है कि राजकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग द्वारा सेटलमेंट डिपार्टमेंट के लगभग ६ लाख के फार्म्स जो जोधपुर प्रेस से छपवाये गये थे लिफाफे बनाये जाने के लिए किसी लोकल फ़ार्म को दिये गये ? यदि हां, तो किस आधार पर कब और क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि इन फार्म्स के लिफाफे बनाने के लिये स्लिप्स बना कर लगाई गई जिसके कारण फार्म्स के कागज की कीमत, उसकी छपाई, स्लिप की छपाई, लगाई व कागज की कीमत कुल मिलाकर इन लिफाफों की कीमत क्राफ्ट पेपर के लिफाफों की कीमत से अधिक हो गई ?

(ग) सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट के इन फार्म्स का दुरुपयोग क्यों कर हुआ और इसके लिये कौन दोषी है ?

उप मंत्री (मुद्रण एवं लेखन सामग्री श्रीमती कमला बेनीवाल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट के फार्म्स, राजस्थान प्रेस विभाग को लिफाफे बनवाने के लिये नहीं भिजवाये गये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जोधपुर प्रेस को इस तरह का कोई मुद्रण दिया गया, यह बात गलत है ।

श्री भैरोंसिंह : जोधपुर प्रेस से छपे हुए सेटलमेन्ट के फ़ार्म्स के लिफाफे बनवाये गये या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं इस का जवाब दे चुकी हूं ।

श्री भैरोंसिंह : सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट केउपयोग के लिये फार्म्स छपवाए गये थे वे गलत हो गये इसलिये उनके लिफाफे बनवाये गये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब दे दिया; जोधपुर प्रेस से कोई फार्म्स छपवाये नहीं गये ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उप-मंत्राणी महोदया फिर से देखलें, यह बात सही है या नहीं कि सेटलमेंट डिपार्टमेन्ट के फार्म्स छपवाये गये और वे गलत छप गये इसलिये उनके लिफाफे बनाये गये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपके पास यह गलत सूचना है । इस तरह के कोई फार्म्स छपवाए नहीं गये ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय-उप मंत्राणी जी कह रही हैं वह सही नहीं, मैं सदन की जानकारी के लिये बंडल का बंडल उन लिफाफों का सदन की मेज पर रखने के लिये तैयार हूं जो जोधपुर प्रेस के छपे हुए हैं ।

श्री रुघनाथ बिश्नोई. (सांचोर) : इस तरह से आप चुराकर कागज कहां से लेआये ?

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) अध्यक्ष महोदय, इससे यह पता चलता है कि किसी ने एक सदन को गलत सूचना दी है। जिसने गलत सूचना दी है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : जिसने गलत सूचना दी है उसको दंड दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : जो लिफाफे चुराकर लाये हैं उनको क्या ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका तो मुकदमा बन सकता है।

श्रीमति कमला बेनीवाल : अगर माननीय सदस्य जोधपुर प्रेस से छपे हुए फार्म्स बता देंगे तो मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगी। आखिर उनको बताना तो चाहिए; क्या गलत सूचना है ?

एक माननीय सदस्य : वे बंडल कहां से लाये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : किसी दूसरे प्रेस में आपके ये लिफाफे बने होंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३७३

श्री भीमसेन

(अनुपस्थित)

निम्बाहेड़ा से बेगूं वाया कनेरा की बसें

९७४ **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या निम्बाहेड़ा से बेगूं वाया कनेरा बसें चलती हैं ?

(२) क्या जनवरी, सन् १९६२ से सितम्बर, सन् १९६२ तक ये बसें बेगूं गई हैं ? यदि हां, तो कितनी बार और नहीं तो क्यों ?

(३) क्या इन बसों के जिनका नम्बर आर. जे. एच. ४९ और आर. जे. एच. ४४ हैं, मालिक अलग अलग हैं ?

(४) क्या इन बसों के इन्जिनों का मॉडल सन् १९६० का है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह): (१) निम्बाहेड़ा से बेगूं वाया कनेरा के लिए दो परमिट दिये हुए हैं, बसें केवल कनेरा तक ही चलती हैं।

(२) जी नहीं। कनेरा से बेगूं मार्ग के बीच में घाटी आ जाने के कारण बसें कनेरा से आगे नहीं जा सकतीं।

(३) जी हां।

(४) नहीं

श्री अब्दुलजब्बार : जब बसें निम्बाहेड़ा से बेगूं नहीं जातीं तो परमिट क्यों दिया गया ?

श्री भीमसिंह : बसें चलाने के लिए।

श्री अब्दुलजब्बार : फिर क्या कारण हैं कि आपके उस परमिट की अवहेलना की जाती है ?

श्री भीमसिंह : कनेरा के आगे घाटी आ जाती है।

श्री अब्दुल जब्बार : कोई घाटी नहीं है। मैं इसे क्लेरिफाई करूंगा कि कनेरा के आगे कोई घाटी नहीं है और मैं एक पोस्ट-

(श्री अब्दुलजब्बार)

कार्ड दिखाऊंगा कि वहां से आगे कोई बस नहीं जाती है जब कि वह परमिट निम्बाहेड़ा से वेगूं तक है। बीच में वे क्यों रोक देते हैं, क्या यह लीगल है ?

श्री भीमसिंह : हमारी सूचना के अनुसार घाटी है बीच में, आप अगर कहते हैं कि नहीं है, तो आपके साथ आर. टी. ओ. को भेज दिया जावेगा। आप उनको अपनी सारी दिक्कतें बता दें और सारा रूट दिखा दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : जब घाटी थी और बस नहीं जा सकती थी वहां से तो फिर आपने परमिट क्यों दिया ?

श्रीरामकिशन (वैर) : क्या घाटी सदन की मेज पर रखी जा सकती है ?

श्री भीमसिंह : आर. टी. ओ. ने दिया है।

श्री भैरोंसिंह : परमिट देने से पहले जो चीफ इन्जीनियर, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर आदि होते हैं पी० डब्लू० डी० के वे रोड की रूट्स को जांच करते हैं और इसके बाद सिफारिश करते हैं कि इस पर परमिट दिया जा सकता है या नहीं तो क्या यह समझा जावे कि इस मामले में परमिट इस्यू करने वाली ऑथोरिटी ने उनकी राय का ख्याल नहीं रखा और परमिट उनकी राय को नेग्लेक्ट करके दे दिया ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : उस रूट पर बस नहीं चलती है तो सूचना दीजिये, इस पर कार्यवाही करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय उप-मन्त्रीजी स्वयं कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं चल रही है तो सूचना तो आपके पास है।

श्री हरिश्चन्द्र : जो सूचना हमारे पास थी वह तो हमने दे दी। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि नहीं चल रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): यह तो मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि परमिट दिया हुआ है, पर रास्ते में घाटी होने की वजह से चल नहीं रही है आगे। तो प्रश्न तो केवल यह पैदा होता है कि सरकार जब परमिट मन्जूर करती है तो फिर ऐसा परमिट उस रूट के लिए क्यों मन्जूर करती है जिस रूट में घाटी आती हो और बस चल नहीं सकती हो ?

श्री हरिश्चन्द्र : रूट में खराबी नहीं हो सकती। परमिट दिया गया और रूट में आगे घाटी है इसलिये बस नहीं चल रही है। आपने कहा कि घाटी ही नहीं है, तो This can be verified.

दूसरा यह है कि परमिट अगर पूरे रूट के लिए दिया गया है और बस उस पूरे रूट पर नहीं चल रही है तो आप हमको सूचना दीजिये।

श्री अब्दुलजब्बार : सन् ५५ से लेकर अब तक वे कौन से साल के भाग हैं या महीने हैं जब कि वेगूं तक गाड़ियां गई हैं ?

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, मैं खासतौर से यह जानना चाहता हूं कि

(श्री अब्दुलजब्बार)

ये जो बसें चल रही हैं इनमें परमिट किसी और के नाम से है और गाड़ियां किन्हीं और की चल रही हैं, इस वास्ते ये दिक्कतें हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिए, यह बहस यहां नहीं है कि मालिक कौन है ? कौन नहीं।

श्री अब्दुलजब्बार : गाड़ी के मालिक कौन हैं, यह भी मेरा एक प्रश्न था।

श्री हरिश्चन्द्र : प्रश्न का उत्तर ठीक तरह से दे दिया गया है। I have already submitted that if there is anything wrong with it you may let me konw and I will enquire.

श्री अब्दुलजब्बार : It has already been mentioned to the Director of Transport. I have myself submitted the names of those persons.

हनुमानगढ़, म्युनिसिपल बोर्ड के वाटर वर्क्स का पानी अस्वास्थ्यकर

३७५ श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड वाटर वर्क्स का पानी वहां के स्वास्थ्य की दृष्टि से पीने के नाकाबिल है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या प्रबन्ध कर रही है और कब तक ?

उप-मन्त्री वित्त (श्री चन्दनमल बैद) : पानी पीने के नाकाबिल नहीं हैं।

श्री श्योपतसिंह : यह कैसे जाना कि पीने के काबिल है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या आपने केमिकल टेस्ट करवाया है और वह ठीक साबित हुआ है ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिपोर्ट क्या आई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

नीम का थाना, गनेशर सड़क

३७६. श्री ज्ञानचन्द मोदी (थोई) : क्या मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) नीम का थाना से गनेशर सड़क का जो एक मील का टुकड़ा करीब दो साल से पड़ा है वह पूरा कराने में अभी कितना समय लगेगा ?

(२) क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि गनेशर एक तीर्थ स्थान है जहां दूर दूर से यात्री आते हैं और एक मील की सड़क न होने से उन्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं ?

(३) इस एक मील की अधूरी सड़क को कब तक पूरा कराने की योजना है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) आगामी वर्ष में।

(२) जी हां।

(३) आशा है, आगामी वर्ष में यह टुकड़ा पूरा हो जायगा।

राजस्थान किराया नियन्त्रण अधिनियम, १९५०

३७७. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) राजस्थान में किराया नियन्त्रण अधिनियम, १९५० (एक्ट नम्बर १७ ऑफ १९५०) कहां कहां और कब कब से लागू है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) यह अधिनियम किस किस आधार पर लागू किया गया है ?

(ग) जिन स्थानों पर यह अधिनियम लागू नहीं किया गया है क्या वहां पर यह आधार पूरा नहीं होता ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (क) सूची सदन की मेज पर रख रहा हूं।

(ख) आबादी व किराये की वृद्धि।

(ग) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, बार २ शिकायत करना मंत्रियों के लिये भी और इस सदन के हम माननीय सदस्यों के लिए भी शोभा की बात नहीं है। यह खुद की उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी है कि वे उत्तर की कॉपियां हमें दिलवा दिया करें। जैसा गृह मन्त्रीजी ने कहा कि सूची सदन की मेज पर रखी है तो वे अगर हमें दिला देते तो उसके आधार पर आगे सवाल पूछे जा सकते थे। और ये सवाल आपकी सहूलियत और जानकारी के लिये पूछे जाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, वैसे आपके सेक्रेटरियट को तो जवाब दे दिया गया था कि प्रश्न के उत्तर में चाही गई सूचनाएं इतने कम समय में इकट्ठी नहीं की जा सकती थी, मगर फिर मैं नहीं चाहता था कि इस प्रकार का उत्तर दिया जावे, इसलिये रात भर में मैंने जितना सम्भव हो सकता था सूचनाएं एकत्रित की है। इस आधार पर जो इन्फार्मेशन हैं मेरे पास उसका मैं जवाब दे रहा हूं। अब सूची चाही है तो मेरे पास जो कापी है वह मैं उनको दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह कह दिया कि सूची सदन की मेज पर रखदी है तो फिर यह कैसे ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा है कि रख रहा हूँ। रख दी है यह नहीं कहा। वैसे यह १९५० के बिल में कानून में छपी हुई है।

श्री भैरोंसिंह : वह मैं मानता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : जानते हैं तो फिर क्यों पूछते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : आज आपने जवाब ठीक दिया है।

ब्यावर बिलाड़ा सड़क

३७८. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि ब्यावर से बिलाड़ा जाने वाली सड़क कच्ची

Page No 22

(श्री कुमारानन्द)

होने के कारण इस रास्ते में वर्षा ऋतु में आवागमन बन्द हो जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सड़क को पक्की बनवाने हेतु इस क्षेत्र के निवासियों ने सरकार से अनेक बार निवेदन किया है ?

(३) क्या सरकार शीघ्र ही उक्त मार्ग पर पक्की सड़क बनाने का इरादा रखती है ?

(४) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) यह सड़क पक्की बनी हुई है जो सेंदड़ा जैतारण होती हुई जाती है। प्रश्न नहीं उठता।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर जिले की कम्पनियों के मजदूरों को महगाई भत्ता

३७९. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लेबर कमिश्नर, राजस्थान ने न्यूनतम वेतन ऑथोरिटी की हैसियत से गत दिनांक १५-९-६० को अजमेर जिले की कुछ मोटर कम्पनियों के मजदूरों के हक में ६) रु० मासिक महंगाई भत्ता दिनांक १-१-५९ से देने का फैसला किया था ?

(२) क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि उपरोक्त कम्पनियों ने आजतक इस फैसले पर अमल नहीं किया है और मोटर मजदूरो को ६) रु० महंगाई भत्ता अभी तक मिलना शुरू नहीं हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि मोटर मजदूर यूनियन जिला अजमेर ने बार बार श्रम विभाग को इस फैसले को लागू करने के लिये कहा तथा एक लिखित प्रतिवेदन दि० १२ अगस्त, १९६१ को श्रम आयुक्त एवं श्रम मंत्री महोदय को भी इस फैसले को अजमेर जिले के सभी मोटर मालिकों से लागू कराने को दिया है ?

उप मंत्री, श्रम (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतना समय हो जाने के बावजूद भी यह छः रुपया महगाई भत्ता दिलवाया क्यों नहीं गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसमें तीन मोटर मालिको ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर रखी है, इसलिये लागू नहीं किया जा सका है।

प्रश्न संख्या ३८०

श्री अध्यक्ष : श्री हरिकिशन

(अनुपस्थित)

सिमली बिहार बान्ध योजना

३८१. श्री ज्ञानचन्द मोदी (थोई) : क्या मंत्री, सिंचाई विभाग निम्न प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील नीम का थाना में सिमली बिहार बान्ध के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही चल रही है ? इसका काम शुरु होने में अभी तक कितना समय और लगेगा ?

(२) क्या इस बान्ध का काम छः साल से विचाराधीन है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) तहसील नीम का थाना में श्यामपुर बिहार नामक बांध का तखमीना तैयार हो गया है और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मन्जूरी भी आ गई है । किन्तु अभी उसकी टेकनीकल स्वीकृति नहीं दी गई है । इसके लिए कार्यवाही जारी है । टेकनिकल स्वीकृति के बाद ही यह कहा जा सकता है कि काम कब शुरु होगा ।

(२) जी हां, करीब चार पांच साल से विचाराधीन है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (असीन्द) : यह टेक्नीकल स्वीकृति कब तक आ जावेगी ?

(श्री मोदी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : क्या इस बांध का ठेका तीन साल पहले भी दे दिया गया था ?

श्री दिनेशराय डांगी : टेकनीकल स्वीकृति के बाद ही यह सवाल पैदा होगा ।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : इसका ठेका पहले एक बार हो चुका है, वह किस कारण से बन्द हो गया क्या इसकी जानकारी है मंत्री महोदय को ?

श्री दिनेशराय डांगी : ऐसी विभाग को जानकारी नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह टेकनीकल स्वीकृति कब तक मिल जावेगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : इसमें काफी समय लगेगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस बांध का काम कटौति में आ गया है और कोर में शुमार कर लिया है ?

सिंचाई मंत्री, (श्री भीखा भाई) : इसमें कोई कोर का प्रश्न नहीं उठता । लम्प सम होता है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने माइनर इरिगेशन वर्क्स में जो कटोती की है, क्या उसका असर इस पर पड़ा है ?

श्री भीखाभाई : माइनर इरिगेशन में कटौती नहीं की है ।

राजगढ़ कस्बे को चम्बल से बिजली

३८२. कुमारी उमा माथुर (श्री हरिकिशन की ओर से) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कस्बा राजगढ, जिला अलवर में सन् १६४८ से प्राइवेट पॉवर हाउस है और उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है ?

(कुमारी उमा माथुर)

(ख) कस्बा राजगढ़ (अलवर) को चम्बल विद्युत योजना से कब जोड़ा जा रहा है ?

(ग) क्या राज्य सरकार ने राजगढ़ कस्बे को अलवर के टर्बाइन सेंट से बिजली देने की योजना मन्जूर की है ? यदि हां, तो राजगढ़ कस्बे को कब तक बिजली दी जा सकेगी ?

उप-मंत्री, विद्युत : (श्री परसराम मदेरणा) : (क) राजगढ़ को विद्युत राजगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा दी जाती है, जो एक निजी संस्था है। उसकी उत्पादन क्षमता ३२५, के डब्ल्यू है और काम में लाई जाने वाली क्षमता १६२.२ के. डब्ल्यू है। राजगढ़ का पीक लोड ७५ के. डब्ल्यू. है जिसको देखते हुए उत्पादन क्षमता कम नहीं है।

(ख) राजगढ़ को तृतीय योजना के अन्तर्गत चम्बल विद्युत योजना से जोड़े जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) सरकार ने अलवर से राजगढ़ को विद्युत देने की योजना को मंजूर नहीं किया है। इसको १६६३-६४ के टेन्टेटिव स्थानीय वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है जो कि विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि सरकार इस बिजलीघर को टेकओवर करने पर विचार कर रही है ?

परसराम मदेरणा : अभी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि इस बिजलीघर को टेकओवर नहीं किया जावेगा ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अण्डर कन्सीडरेशन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब कि इस बिजलीघर की कोई यूटीलिटी नहीं है और लोड को मीट भी नहीं कर सकता तो फिर अण्डर कन्सीडरेशन क्यों रखा जा रहा है टेकओवर करने के लिए ? इस घाटे की चीज को सरकार क्यों अपने सर पर लेना चाहती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अल्टीमेटली सारे पॉवर-हाउसेज को लेने का प्रश्न है इसलिए उनके साथ साथ इसका प्रश्न भी विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर सरकार यह क्यों नहीं बताती कि क्लियर कट उसका क्या उपयोग सरकार करेगी जब कि चम्बल की बिजली आ रही है घाटे का काम किसी प्राईवेट आदमी का चल रहा है तो फिजूल उसको लेकर स्टेट के एक्सचेकर पर बोझा डालना सरकार क्यों चाहती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम

नल योजना—शाहबाद पंचायत

३८३. श्री हरिराम चौहान (तिजारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या यह सही है कि पंचायत शाहबाद, तहसील तिजारा ने नल योजना के लिये रुपया लगभग दो साल पहले जमा करवाया था ?

Page No 25

(श्री हरिराम चौहान)

(२) क्या यह सही है कि इस गांव में अभी तक नल योजना का कार्य चालू नहीं हुआ है ?

(३) यदि हां, तो इतनी देर होने का क्या कारण है ? अब सरकार का इस नल योजना का कार्य कब तक शुरू करने का इरादा है ?

उप-मंत्री वित्त (श्री चन्दनमल वैद) : (१) हां, पैसा जमा करा दिया है।

(२) जी हां।

(३) दूसरी योजना में इस मद का प्रोविजन समाप्त हो जाने के कारण अगली पंचवर्षीय योजना में विचार किया जा सकता है।

श्री हरिराम चौहान : कौनसी तारीख को पैसा जमा कराया है ?

श्री चन्दनमल वैद : मेरी सूचना के अनुसार ८ सितम्बर १९६० को जमा कराया है।

श्री हरिराम चौहान : काम चालू कब तक हो जायेगा ?

श्री चन्दनमल वैद : इस योजनाकाल में नहीं।

श्री हरिराम चौहान : तो क्या मन्जूर होने के बाद ८-१० साल लगाना जरूरी होता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण।

पीपलू-टोंक डिग्गी सड़क नातड़ी होकर

३८४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या सरकार कस्बा पीपलू को टोंक डिग्गी रोड से मिलाने के लिये पीपलू से नातड़ी ग्राम तक के २ मील के सड़क के टुकड़े को तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाना चाहती है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त २मील सड़क के अभाव में वर्षा के दिनों में इस क्षेत्र के लोगों को अदालतों आदि में समय पर पहुंचने में बड़ी परेशानी होती है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त सड़क को तैयार कराने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं, यह सड़क इस योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) सम्भव है। अर्थाभाव के कारण इस योजना में सम्भव नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या सरकार यह उचित समझती कि है ऐसे कस्बे को जो कि अदालत से दूर पड़ा हुआ है और उसका सम्बन्ध दूसरे कस्बों से अलग हो रहा है और जिला हैडक्वार्टर्स से दूर है तो २ मील का छोटा सा टुकड़ा सरकार नहीं बनवा सकती ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह पंचायत समिति बनवाती है सरकार नहीं।

श्री जयनारायण खालोदिया : या तो यह कह दिया जाये कि हम नहीं बनायेंगे पंचायत समिति बनायेंगी फिर यह क्यों कहते हैं कि विचार किया जावेगा ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : विचार करने के लिये कहा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानन्द ।

स्टेट रोडवेज की बसों का बीमा

३८५. श्री कुमारानन्द (ब्यावर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि स्टेट रोडवेज की बसों का आज तक मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत बीमा नहीं कराया गया ?

(२) अगर हां, तो क्यों नहीं कराया गया और कब तक करा लिया जायेगा ?

उप-मंत्री, स्टेट इन्टरप्राइजेज (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी हां ।

(२) मोटर व्हीकल्स एक्ट,१९३९ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत सरकार किसी स्टेट ट्रान्सपोर्ट अण्डरटेकिंग की गाड़ियों को अनिवार्य बीमा कराने से मुक्त करा सकती है। इस सम्बन्ध की विज्ञप्ति शीघ्र ही प्रसारित होने जा रही है।

राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा एक बीमा कोष स्थापित कर दिया गया है जिसके १०० रुपये प्रति साल प्रति बस के हिसाब से १९६१ ६२ तक ७४,३६४ रुपये जमा हुये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अभी तक इस कानून अवहेलना सरकार की अण्डरटेकिंग द्वारा क्यों की गई ? अभी तक कोई नोटीफिकेशन नहीं निकाला है यह गैर कानूनी है और आफेन्स कर रहे हैं तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह गैर कानूनी नहीं है और गवर्नमेंट इसको एग्जम्प्ट कर सकती है इसलिये किया गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एग्जम्प्ट जब आप कर देंगे तब नहीं जमा कराये तब तो ठीक है लेकिन जब तक एग्जम्प्ट नहीं किया है तब तक आफेन्स है और अगर नहीं जमा कराया तो चालान हो सकता है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : नोटीफिकेशन करके किया है।

श्री कुमारानन्द : सरकार एग्जम्प्ट करती है तो कोई नोटीफिकेशन निकाल कर करती है या यों ही कर देती है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : नोटीफिकेशन निकाल कर ही उसको रेगुलेराइज़ करती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एग्जम्पशन बिना नोटीफिकेशन निकाले भी हो सकता है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

भूदोली बांध योजना

३८६. श्री ज्ञानचन्द मोदी (थोई) : क्या मंत्री, सिंचाई विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) तहसील नीम-का-थाना में भूदोली बांध के सम्बन्ध के क्या कार्यवाही हो रही है ?

(श्री ज्ञानचन्द मोदी)

(२) इसका कार्य कब तक चालू हो जायेगा ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) इसका तकमीना बन चुका है व स्वीकृति हेतु सरकार को प्राप्त हुआ है।

(२) स्वीकृति के बाद ही निश्चित कहा जा सकता है कि काम कब चालू होगा।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : अब तक क्यों नहीं हो सका ?

श्री दिनेशराय डांगी : माइनर इरिगेशन में प्रर्याप्त पैसा नहीं होने से और कोई पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिल जाये तो अभी स्वीकृति हो सकती है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, आप धीरे बोलते हैं और वह भी हंसकर बोलते हैं तो सब काम बिगड़ जाता है। तो या तो आप पहले हंस लिया करें और फिर बोला करें या पहले बोला करें और फिर हंसा करें।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय आश्चर्य है दिवारों के भी कान होते हैं, लेकिन सदस्य महोदय सुनते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण।

ग्राम पहाड़ी से पुराना ग्राम होकर ईसरदा तक सड़क

३८७. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या सरकार जयपुर-देवली रोड़ पर ग्राम पहाड़ी के पास से ईसरदा कस्बा तक पुराना ग्राम होकर एक सड़क बनाने को इरादा रखती है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क निर्माण के लिए सरकार व इस क्षेत्र की जनता ने काफी समय से पत्र-व्यवहार हो रहा है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) जी नहीं।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि इस संबंध में वहां के आसपास के नागरिक कई बार प्रार्थना-पत्र लेकर सरकार से मिले और सरकार ने आश्वासन दिया था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो यह किस की जानकारी में हो सकता है। हमारी जानकारी में थोड़े ही है, आपकी जानकारी में होनी चाहिए।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम।

तिजारा-मिवाड़ी सड़क

३८८. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि तिजारा से मिवाड़ी तक की सड़क बिलकुल खराब हो चुकी है और यात्रियों तथा मोटर मालिकों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ?

(श्री हरिराम चौहान)

(२) क्या यह सही है कि सड़क खराब होने की वजह से कई बार मोटरें उलट चुकी हैं और सवारियों को काफी चोटें भी आई हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या विचार कर रही है ?

(३) क्या यह सही है कि अब को साल मरम्मत का कार्य भी बन्द कर रखा है जिससे जनता में बड़ा असन्तोष है ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (१) कुछ खराब है।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(३) जी नहीं, ७ मील में डामर किये जाने का विचार है। और टेन्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या आपके विभाग से कोई ऐसी व्यवस्था भी हो रही है कि इस बात की जानकारी करे कि सड़क के खराब होने की वजह से कितने जनमन की हानि होती है, इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है क्या ?

श्री हरिराम: जो जवाब मिला है, कुछ खराब हो रही है; तो मेरा कहना है कि मंत्री महोदय वहां जाकर देखें तो मालूम होगा कि वह सड़क इतनी खराब हो रही है कि गाड़ियां उलट जाती हैं और सवारियों के चोट आ जाती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या ३८९. श्री नाथूलाल करोल।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष: श्री कुमारानन्द।

स्टेट रोड़वेज की बसों का चालान

३९०. श्री कुमारानन्द (ब्यावर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत स्टेट रोड़वेज के विरुद्ध सितम्बर, १९६० से आज तक कितने चालान हुए हैं और किन-किन कारणों से ?

(२) सरकार ने इनके लिए किन को जिम्मेदार ठहराया है ?

(३) इन चालानों की वजह से स्टेट रोड़वेज को कितने रुपये जुर्माने के रूप में अदा करने पड़े हैं ?

(४) अब राज्य सरकार इस प्रकार के मामलों की रोक थाम के लिए क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, स्टेट एन्टरप्राइजेज (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) सितम्बर सन १९६० से आज तक मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत राजस्थान स्टेट रोडवेज की गाड़ियों के चालान के डिपोवार आंकड़े इस प्रकार है:

जयपुर डिपो	२११
अजमेर डिपो	६७
आबूरोड़ डिपो	१२
सिरोही डिपो	५

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

अधिकतर इन चालानों का कारण ड्राइवर व कन्डक्टरों पर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार निर्धारित वर्दी का न-होना, डॉक्यूमेंटस का गाड़ी के साथ न होना या छोटे-मोटे मेकेनिकल डिफेक्ट्स के कारण से हुए, जैसे कि लाइट, शीशा आदि है।

(२) जो चालान ड्राइवर व कन्डक्टर आदि की त्रुटियों से हुए हैं उनके दण्ड वे खुद भुगतते हैं। जो चालान विभागीय त्रुटियों से होते हैं इनमें यदि किसी व्यक्ति विशेष से गलती होती है तो उस पर जिम्मेदारी डाली जाती है।

रोडवेज की गाड़ियां नये-नये भागों पर जल्दी-जल्दी लगाई गई है और पूरा स्टाफ लगाने में कुछ समय लगता है जिसके कारण कुछ त्रुटियां रह जाती हैं।

(३) सन् १६६० में ५,२६५) रुपये अदा करने पड़े।

(४) समस्त आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। करीब-करीब सभी ड्राइवरों को वर्दियां दी जा चुकी है, डॉक्युमेंट्स औजार एवं त्रिपाल आदि अन्य वस्तुएं गाड़ी में ही फिट की जा रही है जिससे ये खोए नहीं तथा गाड़ी रवाना करने से पहले मैकेनिक द्वारा चैक कराने की व्यवस्था भी कर दी गयी है।

श्री कुमारानन्द : जिन लोगों का चालान किया है उसमें ड्राईवर और कन्डक्टर्स ही हैं या और भी लोग हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : जिसका चालान किया गया उनमें ड्राईवर्स और कन्डक्टर्स ही हैं या और कोई भी हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : केवल कन्डक्टर्स और ड्राईवर्स ही हैं।

(१२ म. प.)

स्थागित प्रश्न

प्रश्न १६-१०-६२

प्रश्न संख्या १८८

श्री अध्यक्ष श्री उमरावसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल जब्बार ।

दिनाक १७-१०-६२ के स्थगित प्रश्न

निम्बाहेड़ा की काटन फेक्ट्री के मजदूर

१६८. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) निम्बाहेड़ा की कॉटन फैक्ट्रीज में कितने मजदूर काम करते हैं ?

(२) क्या मिनिमम वेजेज एक्ट का पालन इन फैक्ट्रीज द्वारा किया जाता है ?

(३) क्या कभी किसी फैक्ट्री में कपास में आग लगी थी और उससे चर्खों पर काम करने वाले मजदूर जले थे ?

(श्री अब्दुल जब्बार)

(४) यदि हां, तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर ने क्या एक्शन लिया था ?

(५) क्या कभी लेबर वेलफेयर ऑफिसर ने निम्बाहेड़ा स्थित कॉटन फैक्ट्रीज का मुआयना कर अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है ? यदि हां, तो कृपया उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री श्रम (श्री भवानी शंकर नन्दवाना) : (१) निम्बाहेड़ा में २ रजिस्टर्ड कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज है:—

(अ) सेठ नारायणदास वासुदेव कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, निम्बाहेड़ा

(ब) जगदीस कॉटन जिनिंग एण्ड। आयल मिल्स, निम्बाहेड़ा।

श्री श्योपतसिंह (हनुमान गढ):– (१) इनकी आवाज भोंपू से मिल गइ है, साहब श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिहनगर): चौथी पंचवर्षीय योजना का भोंपू बोल रहा है।

श्री अध्यक्ष: (श्री नन्दवाना के बैठ जाने पर) श्री भैरोंसिह।

श्री अब्दुल जब्बार :-जवाब पूरा नहीं हुआ हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या क्रमशः १०० तथा २० हैं।

(२) कॉटन फैक्ट्रीज पर मिनिमम वेजेट एक्ट लागू नहीं होता।

(३) श्री जगदिश काटन जिनिंग एण्ड आयल मिल्स, निम्बाहेड़ा, फैक्ट्री में कपास में पिछले ५ वर्षों में कभी आग नहीं लगी।

सेठ नारायण दास वासुदेव जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, निम्बाहेड़ा क दिनांक २२-३ ५९ को शाम के ४ बजे कपास में आग लग गई थी। जिससे चर्खियों पर काम करने वाले ५ मजदूर जल गये थे। इस फैक्ट्री में १८-२-६२ को भी शाम के ४।। बजे कपास में आग लग गई थी जिसके कारण किसी भी मजदूर को कोई भी चोट नहीं पहुंची थी। इनके अलावा इस फैक्ट्री में और कभी आग नहीं लगी।

(४) लेबर वेलफेयर ऑफिसर की इस संबन्ध में एक्शन लेने की कोई ड्यूटी नहीं है। यह काम फैक्ट्रीज इन्सपेक्टर का है।

तारीख २२-३--५९ को सेठ नारायण दास वासुदेव कॉटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, निम्बाहेड़ा में कपास में जो आग लगी थी, उसकी जांच फैक्ट्रीज इन्सपेक्टर भीलवाड़ा ने दिनांक ३-४–५९ को की थी तथा मैनेजर के खिलाफ अदालत एस० डी० एम० साहब, निम्बाहेड़ा में तारीख ११–५–५९ को चलान पेश किया था। जिसका मुकद्मा नं० १९२। ५९ था। ता० १८-२–६१ को उक्त फैक्ट्री की कपास में जो आग लगी थी उससे किसी सी मजदूर को कोई हानि नहीं पहुंची थी तथा आगे भी फैक्ट्री बिल्डिंग से दूर व्यापारी के कपास के ढ़ेर में लगी थी अतः प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(५) लेबर वेलफेयर ऑफिसर ने कोई इन्सपेक्सन नहीं किया क्योंकि ऐसा करना उसकी ड्यूटीज में नहीं है। यह काम फैक्ट्रीज इन्सपेक्टर का हैं। निम्न तारीखों पर निरीक्षण किया गया :

सेठ नारायणदास वासुदेव कॉटन एण्ड जिनिंग। एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री निम्बाहेड़ा को १२-२-५८, ४-१२-५६, ७-४-६१ व १२-१२-६१ को निरीक्षण किया।

जगदीश कॉटन जिनिंग एण्ड ऑयल मिल्स निंबाहेड़ा का २८-१-५७ १५-१-६२ को निरीक्षण किया। उक्त निरीक्षणों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री अब्दुल जब्बार : यह जो मजदूर कपास में जल गये थे उनके सम्बन्ध में केयरलेसनेस किस की थी।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : वह तो अगर कम्पेन्सेशन की एप्लीकेशन देते तो उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जाती।

श्री अब्दुल जब्बार : सरकार को सतर्क रहना था। मजदूर इस प्रकार से जल जायं और मैनेजमेंट के खिलाफ कोई कार्यवाही न हो।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : निम्बाहेड़ा एस० डी० ओ० की कोर्ट में उनका प्रोसीक्यूशन हुआ हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : किसने चालान किया है।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : मुकद्दमा चला है और वे बरी हो गये हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या उन मजदूरों के इलाज के लिए फेक्ट्री के तहत कोई इन्तजाम किया गया था ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : यह इस समय मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) **:** लेबर डिपार्टमेंट ने मजदूरों को कम्पेन्सेशन दिलाने के बारे में कोई कार्यवाही की ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : उनकी एप्लीकेशन आती तो कार्यवाही की जाती।

श्री अब्दुल जब्बार : यह तो आपके अधिकार की बात थी कि वगैर लाइसेन्स के जो फैक्ट्री रन कर रहे थे उनका चालान क्यों नहीं किया गया ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : यह मैं जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री अब्दुल जब्बार : यह जो आपने लिस्ट दी है उसमें बताया गया हैं कि विदआउट लाइसेन्स के फेक्ट्रीज रन कर रही थी और आपके इन्सपेक्टर ने उनको नोटिस दिया है तो उनके खिलाफ ऐक्शन क्यों नहीं लिया गय ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक प्रश्न और है कि क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि जिन मजदूरों को आग लगने के कारण नुकसान पहुंचा है, चोटें आई हैं या जल गये हैं उनके लिए कार्यवाही करके उनको कम्पेन्सेशन दिलाया जाय ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : एप्लीकेशन देते तो कार्यवाही की जा सकती थी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : कानून के तहत इन्सपेक्टर की ड्यूटी नहीं थी क्या ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल) : वगैर लाइसेन्स के वे फैक्ट्रीज चल रही थी जब कि एक्ट के अनुसार बिना लाइसेन्स के फेक्ट्री चलाते हैं और इन्सानों को मार डालें तो वे सरकार की जेल में अब तक क्यों नही पड़े ? क्या किया सरकार ने ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : यहां पर कोई वैसी बात नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : आपने फरमाया कि बरी हो गये।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : वह कोर्ट का मामला है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह मामला चौथी पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या इस प्रकार से बिना लाइसेन्स के चलने वाली फेक्ट्रीज को बन्द नहीं किया जा सकता था ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(दिनांक १० अक्टूबर, १९६२ का स्थगित प्रश्न)

भवनों की खरीद

२२२. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर नगर में सन् १९६० से लेकर अब तक पी०डबल्यू०डी० के माध्यम से किस किस विभाग द्वारा किस किस की बिल्डिग किस किस कार्य के लिये कब कब कितनी-कितनी कीमत में खरीदी गई ?

(२) इन बिल्डिग्स का प्रत्येक का बिल्ट-अप एरिया कितना कितना है तथा खाली कितना कितना है ?

(३) पी० डबल्यू० डी० के किस-किस अधिकारी द्वारा इनका कब-कब क्या क्या वेल्यूएशन किया गया था ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण : (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) सूची प्रस्तुत है।

(२) सूची प्रस्तुत है।

(३) सूची प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : इस सूची में आपने जो सैन्क्शन्ड कॉस्ट लिखी है उसका मतलब क्या यही है कि जो कॉस्ट उन लोगों को दी गई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

Page No 33

श्री भैरोंसिंह : जो एसेसमेंन्ट ऑफ वेल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग हुआ है उससे कई जगह ४-५ गुना कीमतें क्यों दी गई हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जमीनों की कीमतें अलग है और मकानो का एसेसमेंन्ट अलग किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने इसमें लिखा है टोटल वेल्युएशन ऑफ दी बिल्डिंग, उसमें वह वेल्युएशन शामिल क्यों नहीं किया गया वेकेन्ट लैण्ड का।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : खाली जगह का वेल्युएशन अलग लिखा गया है।

श्री भैरोंसिंह : उसकी जानकारी तो आपने नहीं दी हैं। मैंने यह भी जानकारी चाही थी। मैंने यह ऐसा लिखा था कि बिल्ट अप एरिया का वेल्यूएशन दें।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जो जानकारी चाही गई थी वह दे दी है।

श्री भैरोंसिंह : वह पूरी नहीं दी। मैंने पूछा है।

इन बिल्डिंग्स का प्रत्येक का बिल्टअप एरिया कितना कितना है तथा खाली कितना कितना है ? यह तो बता दिया।

पी० डबल्यू० डी० के किस किस अधि-कारी द्वारा इनका कब-कब क्या क्या वैल्यूएशन किया गया था ? तो आपने टोटल वैल्युएशन दिया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उसका वैल्युएशन एक्जीक्यूटिव इन्जिनियर द्वारा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : आपने लिखा है वैल्यु-एशन ऑफ बिल्डिंग; तो मेरा मतलब यह है कि वेल्युएशन ऑफ बिल्डिंग एण्ड वेकेन्ट एरिया दोनों की जानकारी देनी चाहिए, लेकिन आपने केवल बिल्डिंग की जानकारी दी है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आप पीछे देखिये तो इसमें है कि जो खाली एरिया छुटा हुआ है उसके वेल्युएशन की कीमत एड की गई है।

श्री भैरोंसिंह : जो वेल्युएशन ऑफ बिल्डिंग दिया है उसमें एरिया की कीमत भी शामिल है क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह जो आइटम ५ है इसमें दिखा दिया है इसमें इन की कीमत शामिल है।

श्री भैरोंसिंह : कीमत शामिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कीमत शामिल नहीं है, लेकिन जो इन्फोर्मेशन आपने मांगी है वह आपको बता दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : कीमत केवल बिल्ट अप एरिया की दी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें खाली एरिया की कीमत शामिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : खाली एरिया में जो आगे कम्पाउन्ड है अगर वह खरीद लिया है तो शामिल होना चाहिए।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पी० डबल्यू० डी० ने बिल्डिंग का एस्टीमेंट तैयार किया है। उसकी वेल्युएशन भी अलग दी हुई है और जो खाली है उसकी कीमत जोड़ कर सारी बताई गई है।

श्री भैरोंसिंह : जोड़ कर नहीं दी हुई है, तो यह बता दिया जाय कि टोटल वेल्युएशन आप मानते हैं जैसा कि पी० डबल्यू० डी० ने एसेस किया है तो यह जो किया है वह ३-४ गुना क्यों दिया है ? जो बिल्डिंग ८ हजार रुपये की कीमत की है उसका २ लाख रुपया दिया गया है, इतना अन्तर क्यों है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : किसकी बात आप जानना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : आइटम नं० ३, जिसमें ८००७) वेल्युएशन जो एसेस किया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह जो जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका है। बाकी का वेल्युएशन जमीन का है।

श्री भैरोंसिंह : वह कहां है ? यही तो पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री भैरोंसिंह : यह क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेन्ट है। ८०००) रु० की बिल्डिंग के १ लाख दिये गये हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जितनी कीमत दी गई है वह सब उसमें दर्ज है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा एलीगेशन यही है कि पी० डल्यू० डी० ने जो एसेसमेंट किया है उससे आपने दुगुनी-तिगुनी कीमत लोगों को दी है, वह क्यों दी गई है ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : कोई कीमत नहीं दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो फीगर्स दिये हैं उसमें वह शामिल नहीं लेना चाहते हैं। तो आइटम जो सातवें नम्बर का है। उससें ८०,०००) की आपने कीमत दिखाई है और उसको ८०,०००) का ही पेमेन्ट किया गया है, तो यहां पर वेकेन्ट लेन्ड की कीमत क्यों नहीं दी ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : उसकी एवज में जमीन दे दी गई है इसलिए जमीन की कीमत लिखने का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आप टोटल कॉस्ट इसमें क्यों नहीं बताते हैं जब कि जमीन की कीमत दे दी।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : वहां पर जमीन के एवज में जमीन दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : वही तो इन्फोर्मेशन मांग रहा हूं कि जमीन के एवज में जब जमीन दे दी गई है तो इसमें ८०००) की कीमत की जमीन के २ लाख रुपये चुकाये हैं तो उस जमीन का वेल्युएशन क्या हैं ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : उसमें १,७६,६५० स्क्वायर फीट जमीन थी उसका वेल्युएशन १) प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से हुआ है। जो कलक्टर ने तय किया है।

श्री भैरोंसिंह : वह १,७६,०००) होते हैं तो २ लाख क्यों चुकाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : उसमें बने हुए मकान की कीमत जोड़ी गई है। कम्पलसरी एक्वीजीशन में वेल्यूएशन का १० प्रतिशत अधिक देना होता है उससे इसमें कम हो दिया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए रूल्स बने हुए हैं क्लियर कट जनरल फाइनेन्स रूल्स कि गवर्नमेंट जो चीज परचेज करेगी उसमें पी० डब्ल्यू० डी० का जो असेसमेंट हो उससे ज्यादा कीमत नहीं चुकाये, लेकिन अभी तक जितने पर्चेज हुई हैं उदयपुर के अन्दर वहां पर कुछ रुपये कीमत से ज्यादा चुका दिये गये हैं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर कोई स्पेसिफिक इन्फार्मेशन मांगे कि इस मकान के लिए यह इन्फोर्मेशन चाहिए तो वह देने को तैयार है। एक जनरल क्वेश्चन करते हैं और बात एक पर्टीक्यूलर मकान के लिए की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : यह जनरल क्वेश्चन नहीं। मैं साफ पूछ रहा हूं कि उदयपुर में कौन कौन सी बिल्डिंग कितने कितने रुपयों से खरीदी गई हैं, उनमें कितना बिल्ट अप एरिया है और कितना वेकेन्ट एरिया है। उसका कितना एस्टीमेट हुआ है और कितनी कॉस्ट चुकाई है।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : जो जानकारी चाही गई है वह जानकारी दे दी गई है; और जानकारी चाहेंगे तो और दे दी जायगी। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सलूम्बर हाउस की जो जमीन ली गई है उसके क्या पैसे दिये गये हैं और एक बोहरा साहब हैं उनका पैट्रोल पम्प है उनको किस रेट पर चुकारा किया है।

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : पैट्रोल पंप का सवाल जहां तक है बिल्डिंग ली गई है, उनको चुकाया गया है।

श्री जोधसिंह : पैट्रोल पंप वाले को बहुत ज्यादा चुकाया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या ये सब बिल्डिंग्ज एक ही एरिया में हैं ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : अलग अलग हिस्सों में आगे व पीछे हैं। सारा हाथीपोल का हिस्सा उदयपुर सेक्रेटेरियट से चलकर हाथीपोल तक का एरिया है।

श्री भैरोंसिंह : मेडिकल कॉलेज के लिये कितनी रकम में सेंक्शन्ड थी ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना : यह जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सेंक्शन से ज्यादा पैसा चुकाया गया इससे बिल्डिंग बनाने में और कितनी सेंक्शन ली गई ?

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : इलेक्शन में कितरों पैसों लियो गयो ?

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

जयपुर नगर में ट्रक स्टैन्ड

२२५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर नगर विकास ट्रस्ट को ५० हजार रुपया जयपुर नगर में ट्रक स्टैन्ड बनाने हेतु दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और उनसे कहां किस किस स्थान पर ट्रक स्टेन्ड बनाये गये है ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां, सरकार ने ५० हजार रुपया जयपुर नगर ट्रक स्टेन्ड बनाने के लिये तारीख ३१-३-६१ को दिये गये । इसके मुताबिक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने आगरा रोड़ पर एक स्टेन्ड की योजना बनाई है । इसका काम चालू है ।

(२) सवाल नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

(दिनांक १८-१०-६२ का स्थगित प्रश्न)

सांचोर डिस्पेन्सरी की इमारत की मरम्मत

२३६. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि सांचोर सरकारी डिस्पेन्सरी की इमारत की मरम्मत पिछले कई सालों से नहीं कराई गई है ? अगर हां, तो मरम्मत न कराने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सच है कि अस्पताल की इमारत की हालत मरम्मत न होने के कारण बहुत खराब हो गई है और अगर शीघ्र ही मरम्मत नहीं कराई गई तो इमारत गिरने का पूरा खतरा है ? अगर हां, तो इस इमारत की मरम्मत अब कब तक होने की सम्भावना है !

उप मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) जी हां गत वर्ष से पूर्व इमारत की मरम्मत आदि की रकम का प्रावधान पी०डब्ल्यू०डी० के बजट से होता था और मरम्मत आदि कराने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी, परन्तु गत वर्ष से डिस्पेन्सरी आदि की मरम्मत आदि का प्रावधान इस विभाग-द्वारा ही किया जा रहा है ।

(२) जी नहीं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह मरम्मत ६ साल से हुई नहीं है और २ साल और नहीं हुई तो इमारत गिर जायगी और सरकार को नई इमारत बनानी पड़ेगी ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : गत तीन वर्षों से मरम्मत नहीं हुई हैं ।

श्री अध्यक्ष : कल का स्थगित प्रश्न । श्रीमति लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

(दि० २३-१०-६२ का स्थगित प्रश्न)

भूतपूर्व नरेशों पर पानी और बिजली का खर्चा

३३६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) भूतपूर्व नरेशों को पानी और बिजली की जो सहूलियत राज्य सरकार ने दे रखी है उस पर राज्य का कितना वार्षिक खर्च आता है ?

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

(२) इस वर्ष में किस किस पर कितना कितना खर्च किया गया है ?

(३) बिजली की बकाया रकम किस भूतपूर्व नरेश में कितनी २ है ?

उप मंत्री विद्युत (श्री परसराम मदेरणा) : (१) राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के भूतपूर्व नरेशों को पानी और बिजली की सहुलियत दे रखी है। पानी और बिजली पर हर वर्ष अलग अलग खर्च आता हैं। गत वर्ष इस प्रकार की सहूलियत पर राज्य सरकार का रु०-१,८४,४२१.५० न.पै. का खर्चा हुआ था।

(२) इस वर्ष के व्यय की तालिका सरकार के पास वर्ष के अन्त में प्राप्त होगी।

(३) बिजली की बकाया रकम इस प्रकार है :

जयपुर	६,७२,३१५.१६ न.पै.
जोधपुर	४,८०,९६६.०० न.पै.
बीकानेर	१,३६,७५२.०० न.पै.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ पूछना है।

यह इतनी रकम जो नरेशों की तरफ बाकी बची है वह नरेशों को मुफ्त बिजली देने के बाद बाकी है या मुफ्त देने का मामला झगड़ा तलब हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जो सीलिंग फिक्स की गई है इन तीनों नरेशों के बिजली की वह ३ लाख, ४ हजार रुपये की सीलिंग हैं। इन तीनों नरेशों को मुफ्त पानी और बिजली देने का समझौता है लेकिन लास्ट ईयर में एक वर्ष का खर्चा बतलाया, १,८४,४२१.५० न.पै. का खर्चा था। प्रश्न यह था कि जिस बिल्डिंग को हम कहते हैं कि यह हिज हाईनेस का प्राइवेट रेजिडेन्स नहीं है उस बारे में डिस्प्यूट है, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं इसका डिस्प्यूट चल रहा है। जिसके बारे में डिस्प्यूट है उसके लिये गवर्नमेन्ट ने एक कमेटी बैठा दी है जो जांच कर रही है उसके बाद में फैसला किया जायगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल) : पहले जो पैसा बाकी था वह राइट ऑफ किया गया। क्या राइट ऑफ करने के बाद में भी इतनी रकम चढ़ गई है ? पहले बिल्डिंग का तय नहीं हुआ और २० लाख रूपये छोड़ दिये और अब फिर चढ़ा दिये।

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर और बीकानेर के लिये कोलेटरल के बेसिस पर सीलिंग फिक्स किया था। पहले की बकाया वसूल नहीं की गई ....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : क्यों छोड़ दी गई ? .....

श्री अध्यक्ष : पहले आप सुनिये।

श्री परसराम मदेरणा : सुने बिना ही खड़े हो जाते हैं। जयपुर के १ लाख और कुछ हजार रुपये राइट ऑफ किये थे। अप्रेल ५६ तक ८ लाख का डिस्प्यूट चल

(श्री परसराम मदेरणा)

रहा था वह अब तक चल रहा है। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया और हमारे बीच में बातचीत करके तय करने का है। वे डाइरेक्टली गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया से बातचीत करते हैं, हमारे से नहीं करते। उनसे बातचीत करने के लिये एक कमेटी, हाइपॉवर कमेटी बैठाई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जो कमेटी डाइरेक्टली बातचीत करने के लिये बैठाई है उसके सदस्य कौन-कौन हैं?

गृहमंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये अर्ज कर दूं कि जो फीलिंग्ज आपके हैं उनको गवर्नमेन्ट रेस्पेक्ट करती है। जो कमेटी सरकार ने बैठाई है उसमें मैं हूं, हमारे पावर पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर हैं और फाइनेन्स मिनिस्टर हैं। हम तीन आदमी उसमें हैं। हम कोवेनेन्ट और कोलेटरल का इन्टरप्रिटेशन करके इस पर पूरा विचार कर रहे हैं; विचार करने के बाद फाइनल किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक सामान्य नागरिक से डिस्प्यूट होता है तो पहले रकम जमा कराने को कहते हैं और डिस्प्यूट तय होता है तो रिफंड हो जाता है। क्या इन रूलर्स पर यह बात लागू नहीं की जा सकती?

श्री मथुरादास माथुर : प्रश्न यह नहीं है। कोवेनेन्ट और कोलेटरल के अनुसार प्राइवेट रेजिडेन्सेज आफ हिज हाइनेसेज को बिजली पानी मुफ्त देने की बात है। अब "दि रेजिडेन्स" का इन्टरप्रिटेशन करना है। आया रेजिडेन्स प्रिन्सेज रहते है, वह है या तीन-चार और भी हैं। इस पर इन्टरप्रिटेशन चल रहा है। हम इसको एग्जामिन करके जो भी वाजिब होगा वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

एक सदस्य : एक प्रश्न और पूछना है·····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिराम चौहान (बिजारा) : किसानों से वसूली तुरन्त की जाती है और राजाओं से वसूली करने में देरी क्यों होती है?

श्री अध्यक्ष : यह बात आप कई दफा कह चुके हैं। Order please!

(१२६ म०प०)

श्री राधाकृष्ण, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, के देहावसान पर श्रद्धाञ्जलि

मुझे एक माननीय सदस्य द्वारा सूचना दी गई है कि गत बुधवार, दिनांक १७ अक्टूबर, १६६२ को श्री राधाकृष्ण मारू का हृदय गति रुक जाने से अचानक देहावसान हो गया है। श्री मारू प्रथम राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे। उनका जन्म सीकर में ज्येष्ठ कृष्णा ६, सं० १६६५ को हुआ था। वे सन् ३५ में सीकर सलाहकार समिति के सदस्य थे। सन् ४४ में वे म्युनिसिपल बोर्ड सीकर, के सदस्य थे, ४८ में श्री माधव समिति के अध्यक्ष और सन् ५२ में श्री महावीर पुस्तकालय, सीकर के अध्यक्ष चुने गये थे। उनको फोटोग्राफी से

Page No 39

(श्री अध्यक्ष)

प्रेम था। वे प्रसिद्ध व्यवसायी थे। मैं अपने इन उद्गारों से अपनी ओर से और माननीय सदस्यों की ओर से शोक प्रकट करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे खड़े हो जाय और दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनट तक खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना की)

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १६६२

(खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान (अमेंडमेंट) बिल, १६६२।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान (अमेंडमेंट) बिल, १६६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of Order, Sir, अध्यक्ष महोदय, इस बिल की हिन्दी की कापियां कल शाम को माननीय सदस्यों को दी गई हैं...

श्री रामकिशन (वैर) : शाम को नहीं सुबह।

कई माननीय सदस्य : सुबह दी गई हैं।

श्री रामकिशन : आज सुबह ६ बजे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज सुबह ६ बजे माननीय सदस्यों को दी गई हैं, जब कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिजनेस के रूल ६६ में प्रावधान है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। उसका प्रोविजो है :–

"Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been made available for two days before date on which the motion is made."

अध्यक्ष महोदय, इस रूल में न केवल एक फॉर्मल पब्लिकेशन के ही रूप में माना गया है बल्कि जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है उसका मकसद है कि हर मेम्बर उस कापी को इस्तेमाल के लिए लेकर उनका उपयोग कर सकता है। यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण उसमें अपनाया गया है। चूंकि केवल अमेंडमेंट देने का एक दिन पहले समय होता है इसलिए जो इस सदन के माननीय सदस्य अंग्रेजी नही जानते हैं उनको उपर्युक्त समय इस रूल के अनुसार नहीं मिल सका है और इस प्रकार जो अमेंडमेंट सरक्युलेट हुए हैं उसमें भी आप देखेंगे कि कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं आया जो कि हिन्दी जानने वाले हमारे माननीय सदस्यों की ओर से दिया गया हो। अध्यक्ष महोदय, यह बिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और उसमें जब माननीय सदस्यों को रूल ६६ के तहत कॉपीज इस्तेमाल के लिए नहीं दी गई है तो इसकी पूर्ति नहीं हुई और इसलिए यह मोशन इस समय आज कन्सीडर नहीं किया जा सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, जो रूल आपने साइट किया है, उसकी अन्तिम लाइन आपने नहीं रखीं। उसमें है:—

"unless the Speaker allows the motion to be made"

डिस्क्रीशन अध्यक्ष महोदय पर ही है। लेकिन साथ ही मैं अर्ज कर दूं कि हमारी यह परम्परा रही है, अध्यक्ष महोदय, हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों ही भाषा में बिल सरक्यूलेट किया जाता है और इस तरह का कोई कन्फिलक्ट पैदा होता है तो क्योंकि दोनों ही आर्थन्टीकेटेड हैं इसलिए इसको आफ इनकन्वीनियन्स नहीं समझा जाता। इस तरह की हमारी परम्परा रही है। मुश्किल यह है कि माननीय सदस्य, जिन्होंने पोइन्ट रेज किया है, वे स्वयं अंग्रेजी और हिन्दी जानते हैं और हिन्दी वालों की ओर से कोई आब्जेक्शन नहीं आया इसलिए जरूरी नहीं यह प्रोइन्ट ऑफ ऑर्डर, लेकिन डिस्क्रिशन अध्यक्ष महोदय का हैं और इस तरह की परम्परा रही है कि अंग्रेजी भाषा में सरक्यूलेट हुवा है तो उस परम्परा के आधार पर उसे मान्यता दी जाती रही है। यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने आपत्ति की है कि राजस्थान युनीवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल को हिन्दी की प्रतियां आज मिली हैं इसलिए हमारे सदन के नियम ९९ के अनुसार इस विधेयक पर आज विचार नहीं किया जा सकता, यह तो माननीय सदस्य की आपत्ति है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : इसे आपकी रूलिंग समझ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जो हमारे सदन की भाषा के सम्बन्ध में कानून है, उसमें ऐसी व्यवस्था है कि अंग्रेजी में बिल पेश किया जाता है और उसी को हम सरक्यूलेट करते हैं इसलिए जो आपति माननीय सदस्य ने उठाई है, वह व्यवहारिक अवश्य है लेकिन वैधानिक न होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Another point of Order, Sir, अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो प्रतिवेदन हाउस के सामने रखा उसके अनुसार अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट में जो संशोधन बिल रखा गया था उसको पहले इस सदन के द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिये और इसलिए मेरा यह निवेदन है कि क्योंकि वह बिल पेंडिग है और उस पर कल भी पांच बजे चर्चा हुई कि कल के लिए रखेंगे और इसको कन्सीडर करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सर्व प्रथम अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल लिया जाना था और उसके बाद दूसरा बिल शुरू किया जाय। इसके लिए मैं आपका ध्यान रूल २१८ की तरफ दिलाऊंगा। उसके अनुसार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ओर से जो कोई सीरियल और टाइम आर्डर करने के लिए प्रतिवेदन सदन में पेश किया गया और सदन द्वारा पास किया गया उसके लिए मोशन आना चाहिए कि इसके क्रम को परिवर्तित करना चाहते हैं और आपकी अनुमति ली जानी आवश्यक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले जो क्रम में पहला बिल रखा गया है अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल, वह बिल लिया जाना चाहिए और उसके पश्चात् इस बिल को लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन, जो कि इस सदन द्वारा स्वीकृत हैं उसके अनुसार अरबन इम्प्रूवमेंट बिल लेने के पश्चात् ही यह राजस्थान यूनीवर्सिटी अमेंडमेंट बिल लिया जा सकता है । वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है । अगर माननीय सदस्य कार्य-सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि बुधवार दिनांक २४ अक्टूबर, १९६२ को राजस्थान यूनीवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, १९६२ को विचारार्थ तथा पारण हेतु लिया जायगा । कल माननीय सदस्यों ने किसी कारणवश उस बिल को नहीं लिया तो यह आवश्यक नहीं कि उसे आज लिया जाय, विशेष तौर से तब जब कि कार्य सलाहकार समिति तारीख २४ निश्चित रूप से राजस्थान यूनीवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल के विचार के लिए निश्चय कर चुकी है । अतः आपत्ति अस्वीकार की जाती है ।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि कल नगर सुधार विधेयक के लिए निर्णय हुआ था कि कल के लिए ······

श्री अध्यक्ष : इस निर्णय की सूचना मेरे पास......

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसा कल निर्णय लिया था कि ·········

श्री अध्यक्ष : Order please ! ऐसी सूचना मेरे पास नहीं कि यह निर्णय लिया गया । श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२, जो सदन में माननीय उप-मंत्री ने विचारार्थ प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सूचना दी है, वह यह कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६२ को दिनांक १५-३-६२ तक जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक, जो माननीय उप मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इस सम्बन्ध में वाद-विवाद शुरू होने से पहले ही कई एक आपत्तियां माननीय सदस्यों ने उठाई हैं और कुछ ऐसा लगता है कि इस विधेयक की शुरूआत, विचार की शुरूआत कुछ अपशकुन से हुई है··

श्री निरंजननाथ आचार्य : बड़े हेल्दी एटमोसफिअर में हुई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के अन्दर जो उद्देश्य और कारण दिये गये हैं, उनको ध्यान से पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, जो इस सदन ने पारित किया, उसके आधार पर इस राजस्थान विश्व विद्यालय विधेयक में कुछ संशोधन करना आवश्यक हुआ है । उसके आधार पर कुछ ऐसा विश्वास हुआ कि शायद राजस्थान विश्वविद्यालय विधेयक में कुछ ऐसी मौलिक कमियां हैं जिन कमियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने यह नेक इरादा किया, इस विश्वविद्यालय विधेयक के द्वारा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

संशोधन करके यूनीवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक्ट को सही ढंग पर लाया जाय; लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो विश्वास उद्देश्य और कारणों को पढ़ने के बाद हृदय में पैदा हुआ था वह विश्वास जब कि विधेयक के अंतरंग क्लॉजेज को पढ़ने का अवसर मिला तो भ्रम में परिवर्तित हो गया वह केवल भ्रम निकला और जब गहराई से इस पर सोचा और विधेयक की विभिन्न धाराओं को तुलना अपने मूल अधिनियम के साथ करने की चेष्टा की तो अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा भारी अन्तर मिला और बड़ी भारी दुर्गन्ध इस विधेयक के प्रावधानों में आने लगी और मैं कह सकता हूं कि सदन में, कि राज्य सरकार इस विधेयक को नेक इरादे से नहीं लाई है। राजस्थान सरकार; अधिनियम में सही तरमीम की जावे इसलिए इसको यहां नहीं लाई हैं, अधिनियम जोधपुर विश्वविद्यालय के आधार पर बनाया जावे इस दृष्टि से नहीं लाई, केवल राज्य सरकार की एक मंशा है और जिस भावना को सदन कभी स्वीकार नहीं करेगा और इस भावना को सदन ने कई बार तिरस्कार किया है कि व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार से संरक्षण देने की दृष्टि से कोई भी विधेयक सदन में लाया जावे, मैं यह समझता हूं कि यह सदन की मखौल है, यह लोकतन्त्र के साथ मजाक है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह से सदन का समय क्यों जाया किया जा रहा है? यह सदन किसी व्यक्ति विशेष को संरक्षण देने के लिए नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन्होंने इस विधेयक को पढ़ा है वे इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि सरकार की केवल यही मंशा है कि विश्व विद्यालय के उप-कुलपति जिनका कार्यकाल शीघ्र ही समाप्त होने वाला है जिनका सिन्डीकेट के साथ गहरा मतभेद हो गया है और मैं सदन के सामने यह निवेदन करूंगा उसके कारण उनको वहां नहीं रखा जा सकता है व पिछले अधिनियमों के अन्तर्गत उनकी पुनः नियुक्ति का अवसर नहीं है; इसलिए सरकार यह चाहती है कि ऐनकेन प्रकारेण, किसी न किसी तरह से उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। १९४७ में जो अधिनियम बना था उसमें यह है कि जो सिद्धांत उपकुलपति के लिये है, उनमें यह है कि जब तक सिन्डीकेट रिकमन्ड नहीं करती उनकी पुनः नियुक्ति कभी नहीं हो सकती। उनका सिन्डीकेट से झगड़ा है तो उनका री-एपोइन्टमेंट नहीं हो सकता। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों कुछ समाचार पत्रों में इस संबंध में समाचार प्रकाशित हुए हैं, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने अवश्य पढ़ा होगा, मेरे पास उनके कटिंग भी हैं, वहां की हालत हर व्यक्ति को मालूम नहीं होती क्योंकि वहां तक पहुंच लोगों की नहीं होती। इसलिये कुछ समाचार पत्रों ने वहां की वस्तु स्थिति को बतला कर वाकई में सेवा की है। कुछ समाचार-पत्रों में और विशेष कर लोकवाणी में आपको यह सूचना मिलेगी। उन्होंने अच्छे मौके पर युनिवर्सिटी में जो हो रहा है उसकी जानकारी, वहां राजनैतिक पार्टीबाजी, सिन्डीकेट और वाइस चान्सलर के संबंध में बताया है कि यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों में क्या हुआ है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री स्पष्टतः मेरी बातों के कहने का उत्तर देने की कोशिश

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करेंगे उनकी कोई ऐसी भावना नहीं है जिससे अधिनियम में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने की कार्यवाही हो या किसी को नियुक्त करने का सरकार का विचार हो। लेकिन मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि सरकार का ऐसा इरादा नहीं है तो मैंने जो बातें रखी है राज्य सरकार के सामने उनको मानने में उनको क्यों आपत्ति होनी चाहिये। यदि मेरी कोई बात माननीय सदस्य विरोधी-दल के नहीं मानें तो मेरे दूसरे मित्रों का प्रस्ताव है उसको माना जा सकता है। इसको आप सिलेक्ट कमेटी में भेज सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, वे इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और जो जनमत जानने का प्रस्ताव है उससे यह होगा कि यह इस सत्र में पेश नहीं होगा और १९६३ के बजट सेशन में आएगा तो उस समय तक हम वाइस चान्सलर की टर्म को, जो जनवरी ४, १९६३ को समाप्त हो रही है, बढा नहीं सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, जनवरी ६३ से पहले कोई अब विधान सभा का अधिवेशन नहीं होगा और उनका कार्यकाल समाप्त हो जावेगा। यदि उसी पुराने एक्ट के माफिक कार्यवाही की गई तो सिन्डीकेट और वाइस चान्सलर के आपस में झगड़ा होने के कारण वह उसकी पुन: नियुक्ति के लिये सिफारिश नहीं करेगा। इसी कारण से यह विधेयक लाया जा रहा है मैं समझता हूं कि यह विधेयक उसी लिये लाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि राजस्थान विश्व-विद्यालय सबसे पहला विश्वविद्यालय है और राजस्थान की जनता का भाग्य, राष्ट्रीय विकास इसी पर निर्भर है। वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा में प्रगति करना चाहिये और इसी पर हमारे नागरिकों का भविष्य है और इसलिये शिक्षा के मामले में युनिवर्सिटी का बड़ा भारी महत्व है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि हमारा विश्वविद्यालय एक पवित्र मंदिर है और वहां के वाइस चान्सलर उस पवित्र मंदिर के पुजारी हैं। मगर जिस तरीके से सिन्डीकेट और वाइस चान्सलर के आपस में झगड़ा चल रहा है, इसलिये मैंने कहा है कि इस बारे में विचार किया जावे। अगर यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी होती है तो कौन कदम उठावेगा। यह सदन सुप्रीम है। आज यूनिवर्सिटी में जो घटनाएं होती हैं उन पर विचार करके इस पर गंभीरता से सोच कर आज हमें विश्वविद्यालय की मजाक नहीं बनानी है।

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि वाइस चान्सलर और सिन्डीकेट के बारे में झगड़ा कुछ सेल्फिश मोटिव को लेकर हुआ। बात यह हुई कि यहां पर हमारे युनिवर्सिटी में कुछ सिलेक्शन लेक्चरार्स का करना था, उसमें सेल्फिश ... ...

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री शिक्षा) : Point of order, Sir. I would like to tell him. Sir, that University is an autonomous body and, therefore, the working of the University, so far as it relates to the admininatration of domestic nature, is not a subject of this Hon'ble House. Therefore, my point of order is that he can discuss the measure rather

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

than the man and not the inner administration. We have been following this practice before also and the working of the University has not been brought on the floor of the House.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कहीं सिद्धान्त नहीं है कि युनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में हाउस चर्चा न कर सकता हो। पार्लियामेंट में अलीगढ़ युनिवर्सिटी के बारे में बहस हुई थी और डिसीजन हुआ था। यह डिसीजन राजस्थान विधान सभा के परव्यू में आता है और इसके सेट अप को हम अच्छी तरह से डिसकस कर सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : That was under a special provision. There the powers vested in the Government.

श्री अध्यक्ष : यह तो निश्चित है कि बिल्कुल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक प्रश्न है इस सदन के सामने लाना जरूरी नहीं है। प्रश्न यह है कि जहां तक उदाहरण स्वरूप कोई बात कहनी हो कहें, लेकिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पर बहस न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। हमारे माननीय उप मंत्री जरा ज्यादा एलर्जिक है।

मैं कुछ जानकारी सदन को दे दूं ताकि आप इधर उधर की बातें कह कर.....

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं जानकारी नहीं ला सकता हूं। आप तो ऐसी जानकारी कैसे ले आते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : यह दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को जानकारी मिल जाती है और आप जानकारी करने की कोशिश नहीं करते।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह हो सकता है कि आपकी जानकारी नहीं हो मगर शिक्षा मंत्रीजी को तो इसकी जानकारी होगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के रिफलेक्शन्स जानकारी और बेजानकारी के लिये बिलकुल बेजा है।

श्री भैरोंसिंह : आपको जानकारी है।

श्री गोकुलप्रसाद : आपको बुराइयां करने के लिये जानकारी है और इनको काम की जानकारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय, इन बातों को मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि संशोधन विधेयक के द्वारा जो कुछ हम करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं हमने इस संशोधन विधेयक के द्वारा ११ क्लॉजेज बनाये हैं। ५, १२, १४, १८, २१, २४, २४ बी० २७, ३३, ३४ जैसी कुछ धाराओं में संशोधन करना चाहते हैं। अधिकांश धाराएं ऐसी हैं जिनको इस विधेयक के द्वारा सब्स्टीट्यूट किया गया है, बिलकुल बदल दिया गया है। इसमें वाइस चान्सलर की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नियुक्ति का सवाल, सिलेक्शन कमेटी का सवाल, रजिस्ट्रार की नियुक्ति का सवाल, सिन्डीकेट के कम्पोजिशन का सवाल, सीनेट का सवाल, डीन ऑफ फकल्टी की नियुक्तियों का सवाल आदि कितने ही ऐसे मसले हैं जो यूनिवर्सिटी के अधिकार के मसले हैं, उनमें इस विधेयक के द्वारा आमूल परिवर्तन किया गया है। इन सारे मसलों को देखें, सिन्डीकेट और सीनेट के कम्पोजिशन को, डीन्स ऑफ फैकल्टीज की नियुक्ति के प्रोविजन्स को देखें, वाइस चान्सलर और रजिस्ट्रार के अपोइन्टमेंट्स के सवाल को देखें, सीनेट और सिन्डीकेट बनाना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी है उसका कम्पोजिशन इस प्रकार पूरा करें कि जितने सिन्डीकेट के सदस्य हैं उनमें से ज्यादा सदस्य, ९ सदस्य वाइस चान्सलर के द्वारा नोमिनेटेड होने चाहिये, १५ सदस्य सिन्डीकेट में होंगे, यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी होगी उसका कम्पोजिशन १५ सदस्यों से होगा उन १५ में से ९ सदस्य वाइस चान्सलर के नोमिनेटेड होंगे। तो क्या सिन्डीकेट को वाइस चान्सलर के हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हैं। यदि यह वाइस चान्सलर की कठपुतली बन गई तो सिन्डीकेट और कौंसिल के बीच में को ऑर्डियल रिलेशन्स जिस प्रकार के रहने चाहिये उस प्रकार के नहीं रह सकेंगे। उपकुलपति का पद, वाइस चान्सलर का पद बहुत ऊंचा पद होता है। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रिंसिपल एक्ट के पुराने प्रावधान हैं उनमें और अब जो संशोधनों द्वारा प्रावधान किये जा रहे हैं उनमें कितना अन्तर है। उपकुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो पुराना प्रावधान है वह इस प्रकार है कि उपकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा, तीन सदस्यों की एक सेलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर होगी। सेलेक्शन कमेटी के दो व्यक्ति सिण्डीकेट द्वारा मनोनीत होंगे जिनका कि सम्बन्ध विश्व विद्यालय या इससे सम्बन्ध कॉलेज आदि से नहीं होगा, एक व्यक्ति कुलपति द्वारा मनोनीत होगा। यह सेलेक्शन कमेटी अपने चुनाव की रिपोर्ट सिण्डीकेट को भेजेगी कम से कम तीन आदमियों को चुनेगी। सिन्डीकेट इन तीन चुने हुए व्यक्तियों की सिफारिश कुलपति को करेगा इनमें से एक को कुलपति, उपकुलपति के रूप में चुनेगा।

अब जो व्यवस्था की है उसमें यह रखा है कि जो तीन आदमियों की सेलेक्ट कमेटी बैठेगी उपकुलपति के चुनाव के लिये उसमें सिण्डीकेट का एक आदमी भी होगा, एक व्यक्ति, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन द्वारा मनोनीत होगा और तीसरा एक शिक्षा शास्त्री कुलपति द्वारा मनोनीत होगा और इन तीन आदमियों में से कुलपति एक को चेयरमैन नियुक्त करेगा। इन तीनों आदमियों की कमेटी जिसकी सिफारिश करेगी उसको चान्सलर वाइस चान्सलर मनोनीत करेगा। तो पुरानी व्यवस्था में जितने आदमी सेलेक्ट कमेटी के होंगे वे चान्सलर के आदमी होंगे और अब जो ढांचा रखा जा रहा है उसमें १५ में से ९ आदमी नोमीनेटेड होंगे। जो कुछ आज चल रहा है उसको देखते हुए पुराने ढांचे के अनुसार यदि सेलेक्शन किया जाय तो उन्हें डर है कि उनका सेलेक्शन नहीं हो सकता इसलिये इस प्रकार का ढांचा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रखा जा रहा है । समस्त फैकल्टियों के इन सम्बध कॉलेजों के प्रिंसिपलों द्वारा चुने गये व्यक्ति, एफिलियेटेड कॉलेजों के प्रिंसिपल जो वाइस चान्सलर की गति विधियों का विरोध करते हैं वे लोग कभी सिण्डीकेट के मेम्बर नहीं बन सकते । १५ में से ९ नोमिनेटेड रखने की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार नोमिनेट करने की व्यवस्था करना यह बिलकुल गलत किया जा रहा है । इसका नतीजा यह होगा कि सिण्डीकेट यस मैनों का सिण्डीकेट हो जायगा । जो वाइस चान्सलर की हाँ में हां मिलाने वाले होंगे उनको वाइस चान्सलर सिण्डीकेट का मेम्बर नोमिनेट करेगा और इस प्रकार सिण्डीकेट का कम्पोजिशन वाइस चान्सलर की मर्जी के माफिक होगा और अगर ऐसा कर दिया गया तो बिलकुल ओटोक्रेटिक रूल इस ओटोनोमस बोडी में हो जायगा ।

यह सारा झगड़ा क्यों पैदा हुआ ? आज के सिण्डीकेट ने वाइस चान्सलर की गति विधियों पर, एक्टीविटीज पर चैक रखा है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो कुछ गतिरोध पैदा हुआ है, उसमें सिण्डीकेट ने वाइस चान्सलर की एक्टिविटीज पर कन्ट्रोल नहीं रखा, वह नहीं रखा होता तो जितने फैकल्टीज में लेक्चरार्स के अपोइन्टमेंटस हुए हैं उनका सिन्डीकेट में एक मसला खड़ा किया । जो कानून के तहत व्यवस्था की गई थी सेलेक्ट कमेटी बनाई जायगी, यह सिण्डीकेट का काम है । सेलेक्ट कमेटी बनाने के बाद, सेलेक्ट कमेटी के सेलेक्शन के बाद दो आदमियों की रिकमन्डेशन सिन्डीकेट चान्सलर के पास करता । पर यहां सेलेक्ट कमेटी वाइस चान्सलर ने बनाई, उनको कानूनन कोई अधिकार नही था, इसलिये सिण्डीकेट ने कहा कि इस प्रकार की सेलेक्ट कमेटी आपने बनाई है इसका आपको कानूनन कोई अधिकार नहीं है और धारा ३० पुराने एक्ट की, उसके तहत सिन्डीकेट ने एक जांच कमेटी इस मामले की जांच के लिये बैठाई । मंत्री महोदय, इन सारे फैक्ट्स को चेलेंज करेंगे पर सिन्डीकेट ने एक सब कमेटी जांच के लिये बैठाई और जो सेलेक्ट कमेटी ने, जाँच कमेटी ने रिपोर्ट्स दीं उनकी सारी कापियां मेरे पास हैं । सेलेक्शन कमेटी बैठाई गई, उन्होंने सेलेक्शन किया, उनमें से कुछ कुछ सेलेक्शन्स किये गये थे, लगभग कुल मिला कर १६ डिपार्टमेंट्स में सेलेक्शन करने थे, १० के बारे में सेन्डिकेट ने, इस मेटर को ड्राप कर दिया……

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : Mr. Speaker, Sir, I don't know how the Hon'ble Member Could secure all the documents concerned-proceedings of the Syndicate and others, but I have no access to these, There is no provision which entitles me legally to get something out of the University. Therefore, I will be unnecessarily condemned without being heard. That will be the position.

श्री भैरोंसिंह : जिस बात को लेकर अमेंडमेंट लाया जा रहा है उसको लेकर चर्चा……

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय की आपत्ति यह नहीं है । क्या ये डोक्युमेंट्स पब्लिक डोक्युमेंट्स हैं, ऑथेन्टिकेटेड कापियां हैं जो उनको भी उपलब्ध हो सकें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अखबार है, उनमें सब चीजें हैं।

श्री अध्यक्ष: अखबारों का हवाला यहां नहीं दिया जा सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: वे अवेलेबल है।

श्री अध्यक्ष: मैंने स्पेसिफिक बात पूछी है। क्या ये ओथेन्टिकेटेड कॉपियां हैं? इसको सेटिस्फाई कर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य: आप जिस सोर्स से लाये हैं वह मुझको भी बता दें•• ···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूं के आपकी तरह से जो बता दूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: माननीय अध्यक्ष····

श्री अध्यक्ष: Order please! Another Hon'ble member is on the floor.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: लेकिन ये रिकार्ड्स कोई युनिवर्सिटी से चुराया गया हो, वहां से हटाया गया हो, ऐसा नहीं है आप विश्वास रखें। ऐसे डॉक्युमेंट्स भी नहीं है कि सरकार शेल्टर ले। मुझे तो इस बात का भय है कि थैले में नीचे रखे होंगे; उनके पास वे उनको सदन में लाये होंगे और यदि नहीं लाये हैं तो उनको लाया जाना चाहिये था। इसके विषय में आज प्रातःकाल के सब समाचार पत्र में पढ़ा होगा, अंग्रेजी के समाचार पत्रों में आया है और फिर आप यह खयाल करें कि आज विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ियां हो रही है, जो घोटाले हो रहे हैं और वे माननीय सदस्यों के नोटिस में न आये हो ऐसा नहीं है; आप के भी नोटिस में न आये हों, ऐसा नहीं है। आप यहां पर यह कह कर बच जाय कि ऑथेन्टीसिटी नहीं है इनकी, और कोई सूचना नहीं है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि मुझे सूचना नहीं है, आप विश्वविद्यालय का बिल पायलेट कर रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि जानकारी नहीं है; जानकारी का अभाव दिखाते तो माननीय सदस्य से कोई रहम दिखा सकते थे, आप खड़े होकर कहें···

श्री निरंजननाथ आचार्य: On a point of order, Sir, भावना से कहते है उनका मैं स्वागत करता हूं। प्रश्न यह है कि ये तथ्य प्रोसिडिंग्स के इनर एडमिनिस्ट्रेसन के हैं। जिस गति से यहां रखी जा रही हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है; यूनिवर्सिटी एक्ट में यहां बुलाने और उन पर वाद-विवाद करने के बारे में कि जिससे उनके फैक्ट्स में और उनके इनर एडमिनिस्ट्रेशन में हम जा सकें।

श्री अध्यक्ष: मैंने भी पूछा था कि अगर वे डॉक्युमेंट्स ऐसे हैं जो ऑफिशियल हैं, ऑथेन्टीकेटेड हैं, रेडिली अवेलेबल हैं या नहीं जिनके विषय में आपको जानकारी हो और रेडीली ये अवेलेबल हों तो यहां रेफर किये जा सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य: My difficulty is whether it is available to us also. There is no provision in the University Act under which we can impel them to give us the documents.

श्री रामकिशन (वंर) : कमेटी बिठाते हैं, गड़बड़ी है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह युनिवर्सिटी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मामला सिन्डीकेट में और २६ अगस्त की मीटिंग में इन मसलों पर विचार किया गया और विचार करने के बाद, अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं सिन्डीकेट इस नतीजे पर पहुंची कि वाइस चान्सलर ने जो अपॉइन्टमेंट् किये हैं वे गलत किये हैं, कानून के खिलाफ किये हैं और सिन्डीकेट उनको कन्फर्म कर देती है, रेटिफिकेशन उनका कर दें। वाइस चान्सलर की प्रेस्टिज का सवाल है । इसका रेटिफिकेशन करना है तो इस प्रकार कर दिया जाय, यह तरीका ढूंढा गया । मैं बिलकुल ठीक कहता हूं कि विश्वविद्यालय की आज जो हालत है, जिस प्रकार की दयनीय स्थिति में आज विश्वविद्यालय है उसको देखते हुए मुझे इस प्रकार की ठेस पहुंची कि आज विश्वविद्यालय का सत्यानाश हो रहा है । २६ तारीख की मीटिंग में आया, सिन्डीकेट के सदस्यों ने यह राय जाहिर की कि रेटिफिकेशन नहीं हो सकता है और सारे के सारे मामले चेलेन्ज किये जा सकते हैं इसलिए उचित समझा कि एडवोकेट जनरल की राय ले ली जाय । फैसला किया गया । हिन्दी, हिस्ट्री, ज्योलॉजी और केमीस्ट्री के बारे में झगड़ा ज्यादा था । लॉ कॉलेज के जो श्री जी० डी० शर्मा हैं उनकी इस विषय में राय ली गई । इतना ही नहीं हाई कोर्ट के प्रमुख एडवोकेट श्री मुकुट बिहारीलाल भार्गव की राय ली गई । वकीलों की राय एक राय नहीं हो सकती है न होगी । मुख्तलिफ राय थी । एडवोकेट जनरल ने अपनी राय में यह व्यक्त किया कि अच्छा हो कि किसी प्रकार इन कमियों को दुरुस्त कर लिया जाय और रिकमन्डेशन इस बात की कि सिन्डीकेट में दो नाम रख दें, चान्सलर को रिकमन्डेशन करना चाहिये था या नहीं और यह अच्छा हो कि रिकमन्डेशन सिन्डीकेट करदें और दस्तखत करा ले उस काम की पूर्ति कराने के लिए अवधि दें । अध्यक्ष महोदय, उस सिलसिले में क्या हुआ जब इस प्रकार की लीगल ओपिनियन ली गई तो उस मीटिंग में एक सब कमेटी बनाई गई जो विचार करें । सिन्डीकेट ने एक सही रास्ता निकाला कि सारे के सारे मसलों को एक सबकमेटी को सौंप दिया जाय । सिन्डीकेट जागरूक था विजिलेन्ट था और वाइस चान्सलर के प्रति कोई प्रिज्युडिस्ड नहीं था । सबकमेटी में वाइस चान्सलर चेयरमैन थे । श्री देवीशंकर तिवारी, बी० बी० जौन, एम० एम वर्मा मेम्बर थे........

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय ने ऑब्जर्वेशन दिया और माननीय सदस्य को संकेत दिया कि पर्फेक्टली जो रिलेवेन्ट हो उसी को वे रेफर करें। यहां इनर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसिडिंग्स का हवाला दिया जा रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : घबराइये नहीं । सारी सूचना नहीं रख रहा हूं । केजुअली रेफर कर रहा हूं । वह सब कमेटी बनी और उस सब कमेटी ने सारे मसलों पर जांच की । उसने कॉन्स्टिटयुशन को गलत बताया ।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : यह व्यवस्था के खिलाफ है।

श्री भैरोंसिंह : आप यह कह दें कि यह गलत है।

श्री निरंजनाथ आचार्य : इस एक्ट में वह धारा बता दीजिये गलत और सही बता सकूं।

श्री भैरोंसिंह : एक्ट है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Which particular section? There is no section which enables me to have access to the proceedings.

श्री भैरोंसिंह : एडमिनेस्ट्रेशन के मामलों में किस किस प्रकार जांच हो सकती है, एन्क्रोचमेंट कर सकते हैं, एक्ट में प्रोविजन है। सरकार डेमोक्रेसी का दम भरती है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : इधर डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं और उधर युनिर्वसिटी के अन्दर दाखिल हो जायं।

श्री भैरोंसिंह : यह दाखिल करने का ला रहे हैं उससे कहीं बेटर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार जो अज्ञान का सहारा लेकर युनिर्वसिटी के बारे में चल रही है और करोड़ों रुपयों की ग्रान्ट देती है सरकार एज्युकेशन डिपार्टमेंट के जरिये इस युनिर्वसिटी को करोड़ों रुपया दिया जाय इस युनिर्वसिटी को और उस संस्था के लिये सरकार यह कहे कि ज्ञान नहीं है यह एक बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी भयंकर बात है। राज्य सरकार कहती है यह बात और यदि मैं उसके मुकाबले में सदन के सामने तथ्य रखूं तो सदन इस निर्णय पर पहुंचेगा कि अलीगढ़ मुस्लिम युनिर्वसिटी के मामलों में, उसके गड़बड़ घोटालों और भ्रष्टाचार के कारण एक कमीशन बिठाया गया था उसी प्रकार की हालत आज राजस्थान विश्वविद्यालय की हो रही है। यहा के अपोइंटमेन्टस, फाइनेन्शिल इरेंगुलेरिटीज़ के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने न जानने की कोशिश की। मैं उनको बताऊं कि आज से कई वर्षों पहले जो युनिर्वसिटी लाभ में चल रही थी सन् १९६० में जब से प्रेजेन्ट वाइस चान्सलर यहां आये हैं। १९५९-६० ओपनिंग बैलेन्स युनिर्वसिटी का थावह यह था १,६२,३६५.२६ न०पै०। इनकम थी ३५,०७,६७९.००न०पै० एक्सपेंडीचर था २९,७६,७७१.३२ न०पै० कुल ५, ३०, ६०७.६६ न०पै०। टोटल क्रेडिट बैलेन्स केश था वह ६,६३,३०२.६८ न०पै०। सिक्योरिटी डिपोजिट्स १४,८६,८३२.१३ न०पै० कुल २१,७३,१३५.११ न०पै०। सिक्योरिटी स्टेन्ड प्लेज्ड और डेफिसिट है २३,४६,७६५) आप अनुमान लगाइये कि २२ लाख का सरप्लस हो और अब डेफिसट हो २४ लाख। फाइनेन्शियल इरेंगुलेरिटीज हो रही है। चार कालेजेज और सम्भला दिये। ८० लाख और फिर ४० लाख रुपया मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता अन्यथा मैं इस सम्बन्ध में सदन को वे तथ्य प्रस्तुत करने के लिये तैयार हूं कि किस प्रकार खर्चे के मामलों को लेकर नाजायज खर्चा किया जा रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि राज्यपाल महोदय का भी बंगला इतना हसीन और खूबसूरत नहीं है जितना कि वाइस चान्सलर साहब का है। दो लाख का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बंगला बन जाय और स्विटजरलैंड फर्नीचर आये; शिक्षा के पुजारी, शिक्षा के पवित्र मन्दिर में दो लाख का स्विटजरलैंड का फर्नीचार आये! सरकार कहती है कि पता नहीं। क्यों बैठे हैं यहां ? छोड़ कर चल दीजिये।

(१.०० म० प०)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे मसले को मैं ज्यादा उठाना नहीं चाहता। संक्षेप में ही निवेदन करूंगा कि ये सारी बातें इस विधेयक की बहस में नहीं आती। लेकिन अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्शियल मेटर्स में घोटाले अनियमततायें अपोइंटमेन्ट में धांधली ये बातें ही ऐसी थी जिनके बारे में एक युनिवर्सिटी के लिये जांच कमीशन बैठाया गया था आज उसी प्रकार की स्थिति हमारे सामने आ रही है। कहीं हमारी इस युनिवर्सिटी के लिये भी कमीशन न बैठाना पड़े। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हमारे यहां भी इस प्रकार का कमीशन बिठाया जाय जो कमीशन जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस प्रकार की एक कमेटी बिठाई गई थी उस कमेटी ने जांच की। जांच करने के बाद अनुमान लगाया। एक छोटासा उदाहरण आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। युनिवर्सिटी जहां बड़े बड़े प्रोफेसर्स का अपोइंटमेंट करना चाहती है और उनको ६०० से स्टार्ट देना चाहती है लेकिन ताज्जुब की बात है कि उन पोस्ट्स के लिये एडवर्टाइजमेन्ट कब निकलता है २४ जून को निकलता है और फार्म भेजने की आखिरी तारीख ४ जुलाई रखी है। २४ को विज्ञापन निकलता है तो उसी दिन भी अगर पढ़ लेता है तो उसको फार्म के लिये युनिवर्सिटी को लिखना पड़ेगा। तीन दिन में यहां लेटर पहुंचेगा उसके बाद यहां का विभाग भी ऐसा प्रोम्प्ट नहीं कि वह उसी दिन उनको फार्म डिस्पेच कर दे। एकाध दिन इधर से देरी हो जाती है उसके बाद उसके पास पहुंचता है वह उसको भर कर वापिस डिस्पेच करता है। मंत्री महोदय के पास अखबार का कटिंग नहीं होगा। मैं उसमें से तीन लाइन पढ़कर सुना देता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : They are not relevant at all. They are not authenticated and they should not be read over here.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको तो उपन्यास पढ़ने का शौक है। आप इस मसले को क्यों देखने लगे ?

एक माननीय सदस्य : आप तो अखबार पढ़ते ही नहीं है...

श्री निरंजननाथ आचार्य : Not for the House but for the personal knowledge.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप अच्छे किस्म के आदमी चाहते हैं और उसके लिये दस दिन पहले विज्ञापन निकलवाते हैं। २४ जून को अखबार में विज्ञापन पढ़ता है, उसके बाद प्रेसक्राइब्ड फार्म आदि मंगवाने और उसको वापिस भेजने में दस दिन का समय तो आप समझिये। इसके लिये सिलेक्शन कमिटी ने जो सब कमिटी बिठाई थी उस सब कमिटी ने राय दी कि जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नोटिस एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिये दिया गया है वह बहुत थोड़ा समय दिया गया इसलिये नोटिस का समय ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिये कम से कम एक महीने का नोटिस होना चाहिये। इससे ज्यादा मैं अपोइन्टमेन्ट्स के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूंगा।

उप-मंत्री महोदय की जानकारी में यह होगा कि पिछले दिनों जब सिलेक्शन कमेटी के निर्णय के बारे में सिन्डीकेट में और वाइस चान्सलर में जो झगड़ा हुआ जैसा कि हमें अखबारों में पढ़ने को मिला, उसमें हमारे वाइस चान्सलर महोदय बहुत नाराज हो गये और दिल्ली चले गये। मैं यह नहीं जानता इसमें क्या तथ्य है, लेकिन यह बात सही है कि वे मीटिंग से उठकर चले गये थे और दिल्ली गये। यह बात सही है कि वहां जाकर वे शिक्षा मंत्री श्रीमालीजी से मिले। उनके मिलने के बाद उन श्रीमाली जी ने हमारे यहां के श्रीमान आचार्यजी को कहा कि इसका कुछ निस्तारा होना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) On a point of Order, Sir, I will again object to the aspersion of the Hon'ble member.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो फेक्ट बात है वह मैंने कही......

श्री निरंजननाथ आचार्य : They are all fabricated facts.

(बाधाएँ)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : That is a fact.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अन्त में इन सब बातों को मैं यहीं समाप्त करता हूं। लेकिन जिन प्रोफेसर्स को इस प्रकार के सिलेक्शन से असन्तोष हुआ वह भी देखना होगा। हमारे उप-मंत्री महोदय साहित्यिक हैं, फिर भी प्रशासन को सुधारने में दिलचस्पी लेते हैं। वे एक बात के बारे में बतायें, क्या इस प्रकार का प्रोसीजर प्रोफेसर्स के सिलेक्शन के बारे में ठीक होगा?

हिस्ट्री के प्रोफेसर का सिलेक्शन का सवाल होता है। जिनको सिलेक्ट किया गया उन्होंने दो सज्जनों का रेफरेन्स दिया कि मेरे बारे में इनसे जानकारी की जा सकती है। एक ये श्री नुरुल हसन दूसरे श्री विश्वेसरप्रसाद। ये दो एक्सपर्ट्स थे। इनको टेलीफोन, ट्रन्क करके बुलाया गया। श्री नुरुलहसन को कहा गया कि वे दिल्ली से आते हुए श्री विश्वेसरप्रसाद को लेते आवें। इन दोनों को एक्सपर्ट्स कमेटी में बिठाया गया और उन्होंने इनका सिलेक्शन कर दिया। इनसे भी बहुत योग्य हिस्ट्री के प्रोफेसर्स मौजूद थे, इनसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग मौजूद थे। दूसरे एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिये था। सिलेक्शन सब कमेटी ने इस बात पर जोर दिया, उस पर नाराज होकर हमारे वाइस चान्सलर महोदय नाराज होकर चले गये। आखिर इस प्रकार की बातें क्यों होती हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैंने ये सारी बातें रखीं इन सारी बातों के जरिये सदन के सामने इतनी सी बात रखना चाहता हूं कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

युनिवर्सिटी के मसले को लेकर जिस प्रकार का वाद-विवाद, संघर्ष की स्थिति वाद-विवाद के दौरान में पैदा हुई उसको मैं भी सुखद नहीं मानता। इन परिस्थितियों से मैं जब वाइस चान्सलर द्वारा की गई अनियमताओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं तो बजाय मेरे विचारों का एप्रीसियेशन करे, उन अनियमताओं की जांच कराया जाना तो दूर रहा बल्कि उनको ज्यादा प्रोटेक्शन देने की गरज से इस प्रकार का विधेयक लाया गया है। अच्छा समझता हूं कि आप सिन्डीकेट को खत्म करके वाइस चान्सलर के अपोइन्टमेंट के तरीके को बदल रहे हैं आप का यह कहना है कि हम इस बिल द्वारा जिस प्रकार वाइस चान्सलर का अपोइन्टमेंट जोधपुर विश्वविद्यालय के लिये हुआ उसी प्रकार का यहां भी करना चाहते हैं अगर आप जोधपुर के आधार पर करना चाहते है उसे तो कुछ दिनों बाद भी कर सकते हैं, अभी इतनी क्या जल्दी है। आप जानते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने युनिवर्सिटीज् के बारे में एक एक्ट विचाराधीन है। सेन्ट्रल युनिवर्सिटीज हरेक स्टेट में बनाना चाहती हैं जब इस प्रकार का मोडेल बिल बन रहा है जब सब को सरकुलेट हो जायगा चार महीने तक जनमत जान लें उसके बाद जो मोडल बिल आयगा उस पर विचार विनिमय करने के बाद हमारी सरकार राजस्थान विश्वविद्यालय के संबंध में जितने भी संशोधन लाना चाहती है एक साथ सारे ला सकती है। लेकिन सरकार तो कहती है हम तो अभी लायेंगे। जोधपुर विश्वविद्यालय क़ानून जो बनाया उसी के पेटर्न पर हमने यहां भी रखा है। जोधपुर युनिवर्सिटी के लिये जो पेटर्न रखा है वह आखिरी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो एज्युकेशनिस्ट कहे जाते हैं हिन्दुस्तान के जो सबसे बड़े फिलोसोफर हैं जिनको बड़े फिलोसोफर होने का सौभाग्य है और जो आज हमारे राष्ट्रपति हैं डा० राधाकृष्णन उनके चैयरमेनशिप में एक कमीशन १९४९ में बैठा था जिसके सदस्य ऐसे हिन्दुस्तान के आला एज्यूकेशनिस्ट्स थे उनमें से थे:—

Dr. Jakir Hussain
" Tara Chand
" A. Lakshmanaswami Mudaliar. D. S.
Dr. Meghnad Saha
" K. N. Bahl.
" James F. Duff, LL, D.
V. C., University of Durham.
Dr. Arthur E Morgan, Tennessee, U. S. A.
Dr. John J. Tigert Florida.
Shri Nirmal Kumar Sidhant, Member Secy.

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डा० राधाकृष्णन ने, १९४९ में कमीशन के चैयरमेन थे, उन्होंने वाइस चान्सलर के अपोइन्टमेंट के संबंध में बड़ी भारी सिफारिश की है। उस सिफारिश के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं। उसका पैरेग्राफ इम्पोर्टेन्ट है वह सदन के सामने रखना चाहता हूं। उस रिपोर्ट के पैरेग्राफ ४३ में लिखा है:—

Selection of the Vice Chancellor

The change from part-time honorary to full time paid Vice-Chancellor necessarily affects both the method

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

of their appointment and their tenure of office. Open convassing and voting for rival candidates may have been tolerable while the post was not much more than a compliment which the University could bestow, though even so it was undignified and led to the formation of factions. But as a means of securing a man of character and reputation for an arduous and highly-skilled service it is, to put it bluntly, disastrous folly. So far as we know no other country choses the heads of its universities by such methods.

The deplorable effects on a university when the appointment of its chief officer becomes a prolonged intrigue for power have led many of our witnesses to urge that the task of choosing the Vice-Chahcellor should be taken out of the univerities' hands and given to an external body like the Public Service Commission. In the State universities, as it is, the Vice Chancellor is externally appointed. After careful consideration, we reject this idia, feeling in the first place, that a Vice-Chancellor for whose appointment the University is responsible will find it easier to gain the respect and confidence of his colleagues; and secondly, that it is really a part of a University's duty to learn how to choose its own Vice-Chancellor wisely and that therefore to deprive it of this duty would be a counsel of despair. But we recommend that certain safeguards in the method of choosing the Vice-Chancellor should be laid down by each university in its Statutes :—

(i) The Chancellor should appoint the Vice-Chancellor upon the recommendation of the Executive;

और फिर उन्होंने सारी बातें लिखी हैं चान्सलर अपोइन्ट करेंगे। एग्ज़ीक्यूटिव के बारे में लिखा है जिसका नाम सिंडीकेट रखा है। उसके लिये लिखा है :

"The Executive should send forward one name only to the Chancellor. He can of course refer the name back but cannot initiate the appointment himself;

The Executive should be charged to maintain strict privacy in their deliberations concerning the appointment. No doubt there may be differences of opinion and actual voting inside the Executive but they must keep this to themselves until they emerge with the name of the man whom they are requesting the Chancellor to appoint." और फिर लिखा है :

"The whole idea of "standing as a candidate" for the Vice-Chancellorship must be suppressed. The Executive must in no way be limited to considering the names of would-be candi-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

dates. On the contrary they should regard a man's declared intention of seeking the Vice-Chancellorship as prima facie evidence of his unfitness for the post."

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धारा १२ के सम्बन्ध में जो सदन में····

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Commissions report.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप रिपोर्ट चाहें तो मैं दे दूंगा। कीमत देने को तैयार हों तो मैं कीमत भिजवा दूंगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वह तो मेरे पास है। पेज नम्बर चाहता हूं, कौन से पेज पर है यह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पेराग्राफ ४३।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इनको पेज नम्बर भी बता दें, नहीं तो दूसरा पेराग्राफ पढ़ लेंगे ये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपको तो कण्ठस्थ है, पर मुझ को नहीं है।

श्री रामकिशन : दुर्भाग्य है फिर यह हमारा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आखिर राधाकृष्णन् से तो बड़ा कोई अपने को एज्युकेशनिस्ट क्लेम नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह : दा साहब कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दा साहब खादी के मामले में कर सकते हैं, शिक्षा में नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : He must desist from giving such remarks.

खादी ही क्या, वे तो हटूंडी और दूसरी दूसरी संस्थाओं को भी चलाते हैं। तुम जबरदस्ती इनको खादी में डालते हो।

श्री भैरोंसिंह : आपने जिस लाइट में कहा है उस लाइट में इन्होंने (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) ने नहीं कहा है। इन्होंने तारीफ की सेंस में कहा है और आपने उसे बुराई की सेंस में लिया है।

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हो गया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : थोड़ा सा और।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वाइस चान्सलर के अपोइन्टमेन्ट के सिलसिले में मेरा पहला तर्क तो यह है कि सेन्ट्रल यूनियन एस्टेब्लिस हो, मिला जुला बिल आवे तब तक ऐसा नहीं करना चाहिये। मैंने राधाकृष्णन् कमेटी की रिकमन्डेशन्स का हवाला दिया और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह सिडीकेट को बीच में से हटाना उसकी इच्छा के खिलाफ अपोइन्टमेन्ट की व्यवस्था करना बड़ा भारी घातक कदम होगा। और मैं तो कहूंगा कि एक व्यक्ति को एकमोडेट करने के लिये राजस्थान सरकार ने सिडीकेट के कम्पोजीशन को बदला है। यह किसी प्रकार से भी जायज नहीं है।

Page No 55

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आज सीनेट और सिंडीकेट में इतने बड़े भारी एलीवेशन की व्यवस्था करना किसी प्रकार से जायज़ नहीं कहा जा सकता। इस पर सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। राज्य सरकार के सामने भी तथ्य रक्खे हैं और आशा उससे इस बात की करते हैं कि इसके बाद जो कुछ भी सिलेक्ट कमेटी में या राजस्थान के जन मत को जानने के लिये भेजा गया तो राजस्थान के अनेकों व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि यूनीवर्सिटी के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं और विश्व विद्यालयों के अनेकों मामलों के जानकार हैं जिनको इसका बड़ा भारी अनुभव हो सकता है उसके आधार पर राजस्थान के सभी शिक्षित और अनुभवी नागरिकों की जानकारी के आधार पर, मैं समझता हूं, कि हम सारी यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन लावेंगे तो ज्यादा हितकर होगा। बार बार पीस मील में संशोधन लाना आवश्यक नहीं होगा पहले भी इस एक्ट में संशोधन हुए है। सात आठ कर चुके हैं। अब ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि यह एक ऐसा आदर्श विधेयक बन जावे जिसमें आपको दस साल तक परिवर्तन और परिवर्द्धन की आवश्यकता भी न पड़े।

इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैंने ये तथ्य विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये हैं। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान सरकार गम्भीरता से इन पर विचार करेगी और इसके बाद में मन्त्री महोदय मेरे प्रस्ताव को जनमत जानने के लिये इस विधेयक को, जो भेजने का मेरा प्रस्ताव है, उसको स्वीकार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने भाषण कृपया संक्षेप में दें। जैसा विदित है यह सदन द्वारा निर्धारित किया जा चुका है कि इसे आज पारित किया जावेगा। अब इस स्टेज पर ज्यादा बोलते हैं क्लॉज बाई क्लॉज जब डिसकशन होगा तो समय ज्यादा लगेगा और अगर बहस इस तरह से चली तो समय भी निर्धारित करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में और विधेयक तक ही सीमित रहते हुए बहस करेंगे।

साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि व्यक्तिगत आक्षेप भी न किये जावें, क्योंकि न तो उनका निराकरण किया जा सकता है और न उत्तर दिया जा सकता है। इसलिये व्यक्तिगत आक्षेप न लगाकर जैसी परम्परा है, सम्बन्धित विधेयक से सम्बन्धित सिद्धांतों पर ही बहस जारी रक्खें।

(विराम)

श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान युनिवर्सिटी अमेन्डमेन्ट बिल ६२ प्रस्तुत है जिसके सम्बन्ध में मुझसे पूर्व वक्ता ने काफी कुछ कहा है। इस अमेन्डमेन्ट को सदन में लाने की आवश्यकता इस आधार पर बताई गई है कि एग्रीकल्चर युनीवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी के बिल आ चुके हैं और पास हो चुके हैं इसलिये यह आवश्यक हो गया

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कि चूंकि वे बिल काफी प्रगतिशील हैं तो इसके साथ साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी बिल में भी परिवर्तन किये जावें और उसकी टेरीटरीज़ को डिफाइन किया जावे ।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक्ट की मुख्य धाराओं में परिवर्तन लाया गया है और काफी से अधिक धाराएं डिलीट की गई हैं और उनके स्थान पर नई धाराएं रख दी गई हैं । विशेष कर वाइस चान्सलर के अपोइन्टमेंट के सिलसिले में मूलभूत परिवर्तन हुआ है और अपोइन्टिंग कमेटी में भी और इसके अतिरिक्त सीनेट और सिंडिकेट के स्ट्रक्चर में गम्भीर परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं ।

जहां १६ में से १० मेम्बर नोमिनेटेड होते थे और सत्रहवां वाइस चान्सलर होता था और ६ मेम्बर्स बाकायदा सिंडिकेट के अन्दर इलेक्टेड होते थे वहां उस दायरे को इस बिल में अधिक संकीर्ण किया है और उसके स्थान पर केवल दो मेम्बर्स इलेक्टेड रह गये हैं और १४ मेम्बर्स नोमीनेटेड हो गये हैं । इसी तरह सिंडीकेट को स्ट्रीक्टली एक नोमीनेटेड बॉडी बना दिया है और वाइस चान्सलर को अधिक अधिकार नोमीनेट करने के दिये हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें इस चीज को देखना होगा कि अगर यह बिल इस रूप में आता कि इसमें हम अपने स्कॉलर्स को, विद्वानों को यह अधिकार देते कि उनके प्रतिनिधि अधिक से अधिक विस्तृत क्षेत्र से चुन कर आते, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स का अधिक रिप्रेजेन्टेशन होता डीन ऑफ फैकल्टी का अधिक रिप्रेजेन्टेशन आता और इस युग में ज्ञान और विद्या का दायरा अधिक विस्तृत होता, अधिक उसमें सम्भावनाएं होती कि ज्यादा से ज्यादा विद्वान लोग अधिक सुचारु-रूप से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाते तो कहीं अधिक प्रसन्नता की बात होती । हमारे सरस्वती के मन्दिर के पुजारी और अधिक स्वस्थ और उच्च होते, हमारी सरस्वती की वीणा में से अधिक अच्छे स्वर निकलते, पर इसकी ओर इस विधेयक में संकेत नहीं किया गया है ।

लेकिन एक चीज का संकेत यह बिल स्वयं अपने रूप में करता है और वह इस रूप में करता है कि वह वाइस चांसलर को कायम रखना चाहता है, अधिक अधिकारों से कायम रखना चाहता है, अधिक शक्ति से कायम रखना चाहता है । यह बिल अपने रूप में खुद बोलता है । इसके लिए किसी अखबार की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी संकेत करने की जरूरत नहीं है । अगर बिल को कोई अनजान मनुष्य भी पढ़े तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि यह बिल एक व्यक्ति विशेष की स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता है । अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की अस्थिरपूर्ण स्थिति में राजस्थान विश्वविद्यालय चल रहा है अभी अभी जयपुर में ४ बड़े कालेजेज़ का इन्टीग्रेशन राजस्थान युनिवर्सिटी के तहत हुआ है जिसमें कि फाइनेन्शियल कॉम्प्लीकेशन्स पड़े हुए हैं । अधिक रुपया उन कॉलेजेज़ को चलाने के लिए और अच्छे रूप में चलाने के लिए आवश्यक हुआ है । ज्यादा प्रॉफेसर्स, रीडर्स और लेक्चरार्स की आवश्यकता इन कालेजेज में हुई है और कॉलेजेज के सारे स्ट्रक्चर के अन्दर और युनिवर्सिटी के अन्दर एक मूलभूत

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

परिवर्तन हुआ है। एक प्रकार से इन्टीग्रेशन की आवश्यकता महसूस हुई है और पुरानी प्रणाली को तोड़कर नयी प्रणाली स्थिर की गयी है। अध्यक्ष महोदय, अगर युनिवर्सिटी के १६६२–६३ के बजट की ओर आप दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट रूप से मालूम होगा कि २३ लाख से भी ऊपर का डेफिसिट बजट है और इसके अतिरिक्त जो फिक्स्ड डिपोजिट्स हैं उनको भी यह युनिवर्सिटी कन्ज्यूम करती है। बल्कि ऐसी स्थिति में भी हमारी युनिवर्सिटी का बजट है कि यदि सीनेट नहीं रोके तो यह सारे फिक्स्ड डिपोजिट्स को एग्जास्ट कर देने की स्थिति में हैं। बल्कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक गम्भीर स्थिति बताऊं कि जब कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि यह युनिवर्सिटी आज से सैंकड़ो वर्ष से चलते हुए महाराजा कालेज को बैंक में मोर्टगेज करने की बात सोच रही है।

युनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कट है और जगह जगह कट हैं और युनिवर्सिटी की वास्तविक स्थिति को देखा जाय तो क्या वे कालेजेज जो युनिवर्सिटी में आ चुके हैं, क्या युनिवर्सिटी के स्टाफ के अन्दर या जिनकी सर्विसेज ट्रान्सफर हुई हैं क्लर्क्स हैं उनके अन्दर एक अस्थिरता की स्थिति मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह बिल इस सम्बन्ध में धारायें लाता तो यह माना जा सकता था कि आज इस बिल की आवश्यकता है लेकिन यह बिल युनिवर्सिटी की एक विशेष स्थिति के अन्दर है जिसको कि एक एक आदमी जयपुर में रहने वाला, राजस्थान के अन्दर रहने वाला जानता है कि किन परिस्थितियों के अन्दर यह बिल आज सदन के सामने उपस्थित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्यार्थियों का भविष्य इस चीज के ऊपर मुनस्सर है कि हम अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स अच्छे से अच्छे स्कॉलर्स उनको विद्वत्ता प्रदान करने के लिए दें, पर केपिटा स्टुडेन्ट्स की फेसेलिटीज हम अधिक से अधिक प्रोवाइड कर सकें, अगर यह बिल इस ओर कुछ संकेत करता या ऐसी धाराओं को लाते तो हम इसका स्वागत करते और हम इस चीज को कह सकते थे कि यह बिल कुछ पवित्र सिद्धांत और लक्ष्यों को लेकर आया है, लेकिन एक ऐसी स्थिति जो निश्चितरूप से राजस्थान यूनिवर्सिटी में व्याप्त है कि जब कि सीनेट और वाइस चान्सलर के अन्दर काफी डिफ्रेन्सेज: हो चुके हैं कुछ एपोइन्टमेंट्स को लेकर ये डिफरेन्सेज हुए हैं; १० अपोइन्टमेंट्स ऐसे हैं कि जो सीनेट केमिनटस के अन्दर देखे जा सकते हैं जो कि सीनेट के द्वारा, कमेटी के द्वारा अपॉइन्ट किये हुए हैं या वाइस चान्सलर की व्यक्तिगत कमेटी के द्वारा किये गये हैं। यानी कुछ ऐसे अपॉइन्टमेंट्स किये गये हैं जो कि बिना एडवर्टाइजमेंट के किये गये हैं और यदि एडवर्टाइजमेंट किया गया है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन्स को डिफाइन करके किये गये हैं कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में किसी प्रकार से आज सीनेट इस स्थिति में अपने आपको अनुभव नही करती कि वह रेगुलेराइज कर दे। इस बात को लेकर एक गहरी खाई आज यूनिवर्सिटी की एक्जीक्युटिव बॉडी के अन्दर और वाइस चान्सलर के बीच में पैदा हो गई है। यह रहस्यमय बात नहीं है, यह रेकर्ड में

(श्री योगेंद्रनाथ हांडा)

है और जिसके लिए मुझे किसी प्रकार के सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरस्वती के मन्दिर के पुजारियों को सच्चा होना चाहिये। सरस्वती के मन्दिर के पुजारियो के ऊपर ही भविष्य आधारित है, न केवल विद्यार्थियों का बल्कि सारे देश का, सारे संसार का भविष्य उन्हीं के ऊपर आधारित है। और इस सरस्वती के मन्दिर के पुजारियों के कारण इस प्रकार की चीजें आयें तो निश्चितरूप से वे चीजें लज्जास्पद हैं, कलंकित हैं। अपोइन्टमेंट्स को अगर देखा जाये तो एक विशेष अपोइन्टमेंट की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। उस स्थान के ऊपर जो कि हिस्ट्री के प्रोफेसर का स्थान था हम डॉक्टर अशरफ जैसे आदमी के अपोइन्टमेंट करने की बात बताता हूं और १९६१-६२ में हमने उस स्थान के लिए डॉक्टर श्रीवास्तव जैसे लोगों को भी स्वीकार नहीं किया और जिसके लिए हमने सन् १९६१ के अन्दर इस स्थान की पोस्ट अनाउन्स की थी और डॉक्टर श्रीवास्तव जो पी० एच० डी० हैं और जो कि तीन तीन युनिवर्सिटीज से डी० लिट० हैं उनको भी उस स्थान के ऊपर अपोइन्ट नहीं किया क्योंकि युनिवर्सिटी को मालूम था कि डॉक्टर अशरफ किसी रेपुटेशन के आदमी हैं और ऐसी चर्चा हो रही थी कि डॉक्टर अशरफ उस स्थान को ग्रहण करेंगे, लेकिन उस स्थान पर एक डॉक्टर सतीश का अपोइन्ट हुआ और उनका अपोइन्टमेंट कोई रेगुलर रूल्स के अनुसार या अपोइंटमेंट कमेटी द्वारा अपोइंटमेट करके नहीं हुआ; बल्कि व्यक्तिगत रूप से वाइस चान्सलर द्वारा दो व्यक्ति अपोइन्ट हुए और उन्होंने डॉक्टर सतीश को चुना। एक डॉक्टर नुरूल के नीचे कार्य कर चुके थे और एक व्यक्ति जो कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट, दिल्ली में थे उन्होंने डॉक्टर सतीश को अपोइन्ट किया और आपको आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, कि यह स्थान एनशियेन्ट हिन्ट्री और मिडीवियल हिस्ट्री के नाम से अनाउन्स किया और ऐसे प्रोफसर की आवश्यकता थी। डॉक्टर अशरफ जैसे हिस्ट्री के प्रोफेसर जो कि एनशियेन्ट हिस्ट्री और मिडीवियल और सारो ब्रान्चेज को कवर करते हैं और डॉक्टर श्रीवास्तव जो कि तीन-तीन युनिवर्सिटी से डी० लिट० हैं जिनको आपने एक वर्ष पहले इस स्थान के लिए स्वीकार नहीं किया। इन अपोइन्टमेन्ट्स की सारी सिरीज को देखें तो मालूम होगा कि जिनको केम्ब्रिज युनिवर्सिटी से डी० लिट० मिल रहे थे, एडिनबरा से डी० लिट० मिल रहे थे उनके स्थान पर सेकिण्ड डिवीजन एम० ए०, यहां तक कि थ्रू आउट थर्ड डिवीजन के पी० एच० डी० को अपोइन्ट किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषरूप से दो केसेज रखना पसन्द करूंगा। तीन प्रकार के अपोइन्टमेन्ट्स सीनेट ने स्पष्ट रूप से महसूस किये। एक तो जिनका सिलेक्शन बाकायदा रूल्स कमेटी के द्वारा नहीं हुआ था और यहां तक कि पोस्ट का कोई अनाउन्समेन्ट भी नहीं हुआ था। इसके अन्दर ४ व्यक्ति डॉ.आर.पी. रस्तोगी, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, डॉक्टर आर. एन. कपूर, लेक्चरार ऑफ केमिस्ट्री, डॉ० कुमारी शान्ता कपूर टेम्पोरेरी लेक्चरार इन हिन्दी और डाक्टर ललता प्रसाद सक्सेना, रीडर इन हिन्दी और डॉक्टर गणेशदत्त गौड़ इनसे बहुत योग्य स्थिति के व्यक्ति मिल रहे

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

थे और अध्यक्ष महोदय, सदन को आश्चर्य होगा कि काफी बड़ी-बड़ी तनख्वाह लेने वाले लोग, इनसे अधिक योग्य लोग जो कि लेक्चरार का २०-२० वर्ष का अनुभव रखते हैं और जो हमारी युनिवर्सिटी में मौजूद हैं उनका अपोइन्टमेन्ट नहीं हुआ। एक ओर तो युनिवर्सिटी डेफिसिट फाइनेन्सिग में चल रही है और दूसरी ओर वह लोग जिनको कि बीस-बीस साल का अनुभव है जो कि पी.एचडी. हैं जिन्होंने आठ-आठ और दस-दस स्पेशल पेपर्स इश्यू किये हैं और जिनको कि और और प्रकार के गहन अनुभव हैं, जो कि अपने विषय में स्पेशलिस्ट हो चुके हैं और जिनके ऊपर सरकार ने विदेशी मुद्रा खर्च की है, ऐसे लोग लेक्चरार के रूप में इस समय हमारे कॉलेजेज के अन्दर मौजूद हैं। हम रीडर्स और प्रोफेसर्स की पोस्ट अनाउन्स करते हैं, भारी तनख्वाह देते हैं, योग्य आदमियों को वहां पर अपोइन्ट करते हैं जबकि हमारी युनिवर्सिटी डेफिसिट फाइनेन्सिग में चल रही है हिन्दी का प्रश्न लीजिये। हिन्दी के प्रश्न में, इसमें एक सेकण्ड डिवीजन एम. ए. को एपोइन्ट किया गया है एज लेक्चरार जैसे मिस माधुरी जो कि खुद पी. एच. डी. है...

श्री निरंजननाथ आचार्य : (उप-मन्त्री, शिक्षा) This is Just like advocating the cause of the individuals.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। आप उससे व्यथित हों तो उसको छोड़ देता हूं।

प्रोफेसरों में इस प्रकार के मौजूद हैं, जो पी० एच० डी हैं, जिन्हें १० साल का एक्सपीरियन्स है और इस जगह के लिए नामजद हो चुके हैं। वे जो १० एप्पोइन्टमेंट्स है वे बड़ी गम्भीर स्थिति के अन्दर हैं जिसको किसी प्रकार से रेगुलेराइज नहीं किया जा सकता जिनको सीनेट ने रिजेक्ट कर दिया है और सही रूप से रिजेक्ट कर दिया है। सीनेट के कई मेम्बर्स कार्य कर रहे हैं, एक्जीक्यूटिव बोडीज के कई मेम्बर्स कार्य कर रहे हैं। राजस्थान युनिवर्सिटी एक्ट ४६ में बना था, लेकिन उस समय से लेकर आज तक इतने समय तक सीनेट ने फन्क्शन किया है और अब तक किया है और कोई स्थिति नहीं है कि उन केसेज को स्क्रूटिनाइज किया जाय कि किसी प्रकार से सीनेट उन केसेज को रेगुलेराइज कर दें। ऐसी दशा के अन्दर वाइस-चान्सलर नाराज होकर दिल्ली चलेगये। इस प्रकार के केसेज को वे रेगुलेराइज करने के लिए, वाइस चान्सलर को सुदृढ़ करने के लिए, उनको यहां काम करने के लिए, ४ जनवरी,१९६३ को उनकी सर्विसेज खत्म होती है, आज इस सदन के अन्दर इस एक्ट को लाते हैं तो देश की तालीम के साथ, शिक्षा के साथ कोई न्याय नहीं किया जा रहा है, बल्कि हम इन शिक्षार्थियों के भविष्य के लिए एक बहुत गलत मिसाल उनके सामने पेश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा प्रसन्न होता अगर आज की राजस्थान युनिवर्सिटी की गम्भीर फाइनेन्शियल स्थिति के संबंध में कोई चर्चा या विचार शिक्षा विभाग की ओर से उपस्थित होता। आज इस प्रकार की स्थिति मौजूद है कि हमने रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए एक ग्रेजुएट की मिनिमम क्वालिफिके-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

शन रखी है। मैं शिक्षा मंत्रीजी और इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि भारतवर्ष का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां कि पोस्ट ग्रेजुएट से कम का कोई रजिस्ट्रार हो और इसके अतिरिक्त उन रजिस्ट्रार्स का टीचिंग एक्सपीरियन्स या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियन्स २०-२५ वर्ष से कम का रहा हो। यहां तक कि हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी एज्यूकेशन की इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर भी ग्रेजुएट रजिस्ट्रार आज तक सारे भारतवर्ष पर दृष्टिपात करें तो नहीं मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट से कम क्वालिफिकेशन का रजिस्ट्रार आज पहली दफा इस युनिवर्सिटी में हम करना चाहते है और इसके अतिरिक्त जब कि रजिस्ट्रार रिटायर होने वाले थे तो रजिस्ट्रार साहब रिटायर हों उससे ३ महीने पहले ही रजिस्ट्रार को एप्पॉइन्ट कर देने का बन्दोबस्त कर दिया गया। ये रजिस्ट्रार साहब रिटायर हो गये और अब तक किसी रजिस्ट्रार का प्रबन्ध नहीं हो पाया, और मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट वाले के लिए रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट किया गया है उससे स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति नजर में है। कुछ लोग उसको रजिस्ट्रार की पोस्ट पर एप्पॉइन्ट किया जाना चाहते हैं।

इसके अतिरिक्त अनाप-शनाप रुपया इसमें खर्च किया गया है। आज युनिवर्सिटी डेफिसिट में चल रही है। कॉलेजों की यह हालत है कि लेबोरेटरीज में इक्वीपमेंट नहीं है और तीन-तीन महीने से विद्यार्थियों ने ःयोग नहीं किया है। जो प्रोफेसर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के हैं वे इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, और कॉलेजेंज के प्रोफेसर्स सेलेरी ड्रा कर रहे हैं डाइरेक्ट रेट से और काम कर रहे हैं युनिविर्सिटी में और कुछ युनिवर्सिटी से ड्रा करते हैं। दूसरी ओर युनिवर्सिटी का खर्चा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है १,२७,०००) वाइस चान्सलर की कोठी को फनिश करने में खर्च हुआ है। वहां पर २०, २० हजार की कार्पेट्स उनकी कोठी के अन्दर लग रही हैं। तीन पी० एज० और एक असिस्टेंन्ट सेक्रेटरी, वाइस चान्सलर की सहायता के लिए हैं। इतना ही नहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेन्ट भी है, जिसकी सेलेरी ४००)रु० है उन्हीं वाइस चान्सलर की सहायता केलिए उन्हें नियुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति है कि इस तरह का एक नोट वाइस चान्सलर को रजिस्ट्रार ने दिया था जब कि वे कनाड़ा की यात्रा के लिए जा रहे थे कि फाइनेन्सेज बड़ी शार्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ५०००) रु० खर्च किया और कनाड़ा की यात्रा के लिए किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा, एक अपील करूंगा अपने सारे भाषण के बाद। मेरी अपील यह है सदन से, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि राजस्थान युनिवर्सिटी एक बड़ी दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति के अन्दर है। आज राजस्थान युनिवर्सिटी के अन्दर एप्पोइन्टमेंटस और फाइनेन्शियल काम्पलीकेशन्स के प्रश्न बहुत गम्भीर हो गये हैं, ऐसी स्थिति के अन्दर अलीगढ़ युनिवर्सिटी के अन्दर एक इन्क्वायरी कमेटी सेट अप की गई थी। ऐसी स्थिति जब भी भारतवर्ष में किसी युनिवर्सिटी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

के अन्दर उत्पन्न हुई है उस समय वहां पर एक कमेटी का निर्माण हुआ है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आज यह बिल पेश नहीं किया जाय और जनता की राय के लिए सक्यूलेट किया जाय।

१९६२ में जब कि राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट में एमेंडमेंट लाया गया है और ५८ में जब कि इसमें एमेंडमेंट लाया गया था सदन ने सीनेट को और सिन्डीकेट को कॉन्फीडेन्स के अन्दर लिया। सिन्डीकेट की बाकायदा मीटिंग्स हुई और उसके अनुसार इसके अन्दर परिवर्तन लाया गया, लेकिन यह पहला मौका है जब कि राजस्थान युनिवर्सिटी एक्ट में परिवर्तन लाया जा रहा है और सिन्डीकेट को कॉन्फीडेन्स में नहीं लिया जा रहा है, सीनेट को कान्फीडेन्स में नहीं लिया जा रहा है। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है और बड़ा नम्र निवेदन है कि युनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव बॉडीज को युनिवर्सिटी के शिक्षा क्षेत्र को और युनिवर्सिटी के टोटल स्ट्रक्चर को कान्फीडेन्स में लेना चाहिए। राधाकृष्णन रिपोर्ट के अन्दर जिसका सेक्शन मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने पढ़ा है उसके सेक्शन ४३ के अन्दर यह साफ है कि कोई भी व्यक्ति जिसके अन्दर यह खयाल रखा गया है वह शिक्षा-क्षेत्र में सब से बड़ी योग्यता मानी जायगी और वह यूनिवर्सिटी का वाइस चान्सलर होने के योग्य है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय विधेयक १९६२, विचारार्थ है। इस सम्बन्ध में अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और जो रायसिंह नगर से आये हुए माननीय सदस्य हैं उन्होंने इसको जनमत के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है। और उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसी बातों का भी उल्लेख किया है, मैं समझता हूं कि वे बातें जो सदन के सामने आई है वे बड़ी गम्भीर है, और उसमें युनिवर्सिटी के अन्तर्गत होने वाले जो धन का अपव्यय, दुरुपयोग और नियुक्तियां आदि की जितनी भी बातें रखी गई हैं, अगर उन बातों को हम केवल, क्योंकि हमारे पास में उसके सम्बन्ध में पूर्ण सामग्री नहीं है, और हम उस पर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकते इतनी ही बात कहकर टाल दिया गया तो मैं समझूंगा कि बड़ी भारी उपेक्षा होगी। इसके सम्बन्ध में यह ठीक बात है कि माननीय मंत्री महोदय के पास में पूरी जानकारी नहीं हो, लेकिन चूंकि यहां पर सम्माननीय सदस्यों ने गम्भीर आरोप रखे हैं ऐसी हालत में यह मांग जरूर करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार का एक कमीशन आपोइन्ट करेंगे जो कि इन सारी बातों की जांच करेगा और उसको सदन के सामने रखेंगे .....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री शिक्षा): I would, through you, Sir request the Hon'ble Member to suggest me the provision in view of which to establish a commiasion.

श्री मुरलीधर व्यास: मैं इस सम्बन्ध में कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए; परन्तु ......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अगर नहीं है तो एक क्लॉज़ इसमें और जोड़ दें, अगर आप इस एक्ट में यह लेकुना समझते हैं तो एक एमेंडमेंट और जोड़ दे; अगर आप इस बात से कन्विन्स हैं कि ऐसी आवश्यकता है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप जो क्लॉज़ जोड़ना चाहते हैं आप उसकी भाषा दें साथ ही कि किस तरह से युनिवर्सिटी पर पढ़ा जाय गवर्नमेंट के मातहत ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं तो अच्छी बात है मैं ड्राफ्ट देता हूं ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वे बिना धाराओं का ख्याल रखते हुए बोल रहे हैं, इसलिए मैंने सुझाव रखा है कि आप हाथ मजबूत कर दे अगर ऐसे अधिकार हो तो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : That is why we suggest for a Select Committee.

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने तो जनहित के दृष्टिकोण से कहा आखिर युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से पैसा आता है, देश का पैसा लगता है, राजस्थान सरकार का धन लगता है और छात्रों का पैसा आता है, हर तरीके से पैसा आता है उसका दुरुपयोग हो और साथ साथ जिस मूलभूत उद्देश्य को लेकर काम करते हैं उसमें गड़बड़ियां हों नियुक्तियों में छात्रों के लिये अच्छे से अच्छे आचार्यों की आवश्यकता होती है । वहां पर ठीक ढंग से नहीं मिले, गड़बड़ियां हों और जो बातें सदन में आ जायं उन पर विचार नहीं करें कि यह क्या है ? इस बारे में मंत्रीजी को खुद को विचार करना चाहिये । माननीय सदस्य कहते हैं कि ऐसे क्लॉजेज रखने चाहिये । मैं यह अवश्य चाहूंगा कि मंत्रीजी अवश्य जवाब देंगे । यदि नहीं देते है तो दूसरे दृष्टिकोण से सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी बिल के अंतर्गत जो कुछ संशोधन आ रहा है उसके पीछे एक मात्र मंशा यह है कि जिनके कार्यकाल में इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई, जिनके कार्यकाल में इस प्रकार के गलत अपोइन्टमेन्ट्स हुए और क्योंकि उन्हीं को नियुक्त करने के लिये यह बिल जल्दी में पारित करने की कोशिश की जाती हैं, यह भी आरोप है तो कम से कम इसका खंडन करने के लिये तो माननीय मंत्री कहते कि क्योंकि सदन का आरोप है । माननीय सदस्य इस तरह से सोचते हैं तो उनको नियुक्त नहीं करेंगे । यह घोषणा में सरकार कह सकती है । यदि यह भी नहीं कह सके तो स्पष्ट होगा कि सदन के माननीय सदस्यों ने जो कुछ विचार रखे हैं उनमें सच्चाई है और मंत्री महोदय स्पष्ट नहीं कहते हैं तो मंत्री महोदय भी इसके साथ जुड़े हुऐ हैं ।...

श्री निरंजननाथ आचार्य : अभी तो इकतरफा चल रहा है । मंत्री का सवाल आता ही नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तसल्ली रखें बीच में जवाब क्यों देते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो उद्देश्य इसमें बताया है उसको सबसे पहले पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । बहुत शोर्ट में दिया हैं और इसमें जैसा दिया गया है उससे इतना ही

(श्रीमुरलीधर व्यास)

मालूम पड़ता है क्योंकि दो युनिर्वासिटीज का निर्माण हो चुका है उसके लिये अलग से बिल पास हो चुके हैं, इसलिये उनमें अलग अलग व्यवस्था करने के लिये यह विधेयक विचारार्थ सदन में रखा गया है। जहां तक शब्दों का उपयोग का सवाल है मैं समझता हूं मूल उद्देश्य के साथ चलते हैं। साधारणत: कोई बिल अपने उद्देश्य के परे नहीं जा सकता लेकिन इसमें उद्देश्य कुछ और बताये हैं और साथ ही साथ परिवर्तन नये ढंग का और बताया है जैसा कि इसमें है·····

"जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १६६२ तथा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १६६२ का प्रवर्तन हो जाने के पश्चात्, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रदेशीय क्षेत्राधिकार की पुनर्परिभाषा करना आवश्यक हो गया है।"

राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, १६४६ को वर्तमान परिस्थितियों में यथा संभव जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १६६२ के अनुरूप बनाने के लिए उसमें परिवर्तन करना भी इष्टकर समझा गया है।

तो जहां तक दोनों का संबंध रखने के लिए परिवर्तन करना बताया गया। लेकिन इस परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि इसके रूप को ही बदल दें जैसा कि आज इसमें परिवर्तन लाया जा रहा है। मैं समझता हूं जहां तक विश्व विद्यालय का सवाल है, यह शिक्षा से संबधित सबसे बड़ी संस्था होती है और शिक्षा का जो संबंध होना है, किसी भी युनिर्वासिटी को देख लीजिए इसके अन्दर स्वतंत्रता से काम करने के लिए छूट दी जाती है। टीचर्स को स्वतंत्र रखने के लिए सबसे बड़ा प्रावधान होता है। यदि यह स्वतंत्रता शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए न हो और उनकी स्वतंत्रता किसी प्रकार से कानून के जरिये छीन लेते हैं तो मैं समझता हूं शिक्षा का प्राण स्वतंत्रता होती है। यह स्वतंत्रता छीन लें तो वह प्राणविहीन हो जाती है। प्राण आप छीन लें तो प्राणविहीन हो जाता है तो जो संशोधन व्यापक रखा गया है। जो स्वतंत्रता सीनेट की होनी चाहिए या सिन्डीकेट की होनी चाहिए, साथ साथ काम करनेवालों की तरफ विचार कर सकते हैं, इसमें ऐसा परिवर्तन ले आये जिससे किसी प्रकार से स्वतंत्रता नहीं रह सके और स्वतंत्र विचारों में परिवर्तन करना चाहें तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई सदस्य सीनेट या सिन्डीकेट में हैं उसको देखते हैं तो सरकार की तरफ से नोमिनेट कर दिया या यूनिर्वासिटी के वाइस चान्सलर के जरिये इस प्रकार का नोमिनेशन हो गया कि कोई वाइस चान्सलर के खिलाफ इधर से उधर नहीं हो सकता। आखिर आपने बड़े बड़े लोगों को लिया है उनके विचारों को इस प्रकार बांध दें या ऐसी व्यवस्था करदें ताकि ठीक ढंग से काम नहीं कर सकें तो मतलब क्या होगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप हिन्दुस्तान की किसी भी यूनिर्वासिटी को ले लीजिये, बाहर की किसी भी यूनिर्वासिटी को ले लीजिये और उदाहरण पेश करिये कि राजस्थान यूनिर्वासिटी में जिस प्रकार की व्यवस्था है और भी किसी यूनिर्वासिटी में है······

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपने ही यहां पर एक्ट पास किये हैं उसमें इस प्रकार का प्रावधान है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो आपका बहुमत है और हमारा दुर्भाग्य है कि आप इस तरह से चल रहे हैं क्यों कि बहुमत आपका है इसमें ऐसा होता है । सरकार निर्णय कर लेती है उसके अनुसार पास कर देते हैं । ......

श्री निरंजननाथ आचार्य ; It is a refection on the Legislation, Sir, the Act itself.........

श्री मुरलीधर व्यास : बहुमत आपका है, किसी प्रकार का विरोध होगा, यह क्या छिपा हुआ है । आपने किया है ठीक है, बहुमत आपकी सरकार का है, आप करते हैं लेकिन मैं यह कहता हूं कि इसमें क्या मिलेगा, दूसरे आयने में देख लीजिये ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : जम्मू और काश्मीर का आयना देख लीजिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : उसको देख लिया है । हिन्दुस्तान के बाहर की युनिर्वसिटीज को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि उनके मामले में सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती । लेकिन हमारे यहां पर इतना है कि हम उस पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाते हैं । ऐसे लोगों को लाते हैं जो हां में हां मिलाते हैं या विरोध नहीं करते हैं । मैं यह भी देखता हूं कि सदस्यों को लाना चाहते हैं । सदस्य वह व्यक्ति हो सकता है जो १ लाख रुपया दे दे । सरस्वती के मंदिर में लक्ष्मी के उस उपासक को लाना चाहते हैं जो १ लाख रुपया दे दे और १ लाख रुपया देकर सदस्य हो जाय । यह सब आखिर क्या है ? पैसा मुख्य चीज है क्या ? दूसरे इन्स्टीट्यूशन्स में पत्थर लगादें, उनके नाम का बोर्ड लगादें, पर यहां पर भी जो रुपये दे वह सदस्य हो, यह क्या चीज है ?......

श्री निरंजननाथ आचार्य : They will have chance to speak on the amendment, Sir.

श्री मुरलीधर व्यास : समझा नहीं, क्या फरमा रहे हैं ।

श्री रामकिशन (वैर) : अंग्रेजी में बोल जाते हैं, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है । आप का दबाव है, आप सब सदस्यों का अपमान न करें ।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय मंत्री महोदय, जिस प्रकार से फरमा रहे हैं संशोधन नाना प्रकार से आया......

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : मंत्रीजी कुछ नहीं बोल रहे हैं, शान्ति से सुन रहे हैं । उप-मंत्रीजी नाराज हो रहे हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको समझ का ही फेर है, बाकी एक ही भावना है, एक ही व्यवस्था है ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जानता हूं मंत्रीजी इसलिए नहीं बोलते कि वे खुद महसूस करते हैं कि क्या करें; इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट आ गया....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस में मंत्री और उपमंत्री में फर्क नहीं होता ।

Page No 65

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें जो भी व्यवस्था की गई है इसमें सदन के सदस्यों की भी व्यवस्था रखी गई है, इसके अनुसार स्पीकर महोदय नॉमीनेट करेंगे किसी एक सदस्य को । मैं समझता हूं कि ऐसी जो व्यवस्था है, अगर इस प्रकार का नॉमीनेशन न होकर स्पीकर उसके स्वयं सदस्य हो जायं तो वह ज्यादा अच्छा होगा बनिस्पत इसके कि किसी एक आदमी को वे नॉमीनेट करें । इसके अन्दर मुख्य मंत्री को शिक्षा मंत्री के रूप में सदस्य रखा गया है और वे ही सीनेट को सदस्य भेजेंगे····

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री शिक्षा): माननीय सदस्य करेक्ट करलें तो ठीक है । आपने कहा कि मुख्य मंत्री को शिक्षा मंत्री के रूप में रखा गया है, वे शिक्षा मंत्री नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह रखा है··

श्री रामकिशन (वैर): दो-तीन महीने पहले आपको लिया गया है । पहले वे ही शिक्षा मंत्री थे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप पुरानी चीजें ही पढ़ते रहते हैं ।

श्री रामकिशन : आपकी कृपा से पुरानी चीज पढ़ती रहनी पड़ती हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह रखा है तो जो सीनेट से सिंडीकेट में भेजने का सवाल है, वहां प्रभाव का असर होगा, क्योंकि यह व्यवस्था चलती है तो प्रभाव का असर होता ही है । जो चीज इसके अन्दर रखी गई है उससे मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी प्रशासनिक बॉडी सिंडीकेट है, उसको आपने जोड़ जाड़ कर दिया तो उसका नतीजा यह होगा कि हमारी युनिवर्सिटी बिल्कुल अपंग हो जायगी और उसका लचर सा ढांचा हो जायगा । उसमें जो शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता चाहते हैं और जिसके द्वारा हम सारे राजस्थान के अन्दर शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं और शिक्षा का काम करना चाहते हैं, वह चीज इस प्रकार की बन जायगी जैसे कि कोई उसे बांध दे, कोई गुलामी की श्रृंखला के अन्दर बांध दे और मैं समझता हूं कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार की स्वतंत्र रूप से काम करने वाली शिक्षण संस्थायें चाहिये, वह नहीं रह सकेंगी । मैं ऐसा सोचता हूं कि जब सारे लोगों को रखा है, जो शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा में काम करने वाले लोग हैं, दूसरे लोग हैं सारे प्रकार के सदस्यों को लिया हैं, लेकिन जिन छात्रों को शिक्षा दी जाती है उनकी बहुत सी दिक्कतें होती हैं, वे अपनी दिक्कत किस प्रकार युनिवर्सिटी में बैठने वाले लोगों के पास, सीनेट और सिंडीकेट के लोगों के पास पहुंचा सकते हैं । इसलिए उनमें से भी आप कोई राजस्थान व्यापी प्रतिनिधि लेते तो स्नातकों की क्या क्या दिक्कतें हैं और उनको किस प्रकार से हल करना चाहिए, वे बातें भी कम से कम उनके सामने रख सकते थे । आज इन दोनों के सम्बन्ध परस्पर इस प्रकार के हैं कि उनको हम छोड़ दें, जो स्नातक हैं, जो शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं और शिक्षा देने वाले समुदाय से उन्हें अलग रखें तो यह किसी हालत में ठीक नहीं होगा । मैं समझता हूं कि आपको इस सम्बन्ध में सोचना भी है, और इसको बहुत गम्भीरता के साथ सोचना चाहिए और इसके साथ जो अमेंडमेंट

Page No 66

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसमें आये हैं, उनको भी आपने बड़ी गंभीरता से देखा होगा, उन अमेंडमेंटस पर विचार करने के साथ आप यह सोचें कि आज का ही आज इसे पारित करना है, पास करना है, तो आप पास करलें लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह इस प्रकार की स्थिति है कि इसके अन्दर जल्दी न करें और सिलेक्ट कमेटी के अन्दर भेज कर सारे मामलों और संशोधन और मुद्दों पर विचार हो सके तो यह राजस्थान के हित में होगा । मैं यह नहीं समझता कि यह इतना आवश्यक विधेयक है कि जिसको आज ही पारित कर देंगे तो कोई बड़ा भारी लाभ हो जायगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय को कि जो इस मामले का विधेयक है, जो राजस्थान की शिक्षा से सम्बन्धित है, राजस्थान के छात्रों के लिए है और जिसमें इस प्रकार की कमियां रह गई है, उस पर अच्छी तरह से गौर करने के लिए सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करें तो बहुत अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट आगामी सत्र में प्रस्तुत करें । अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है, इस संशोधन विधेयक में हमारे उप शिक्षा मंत्री का ही ज्यादा हाथ रहा है इसलिए ही ज्यादा चंचलता इसमें आ गई है और जिस प्रकार की मल्टीपर्पज सोसाइटी होती है उसी प्रकार यह बहु उद्देश्य····

श्री निरंजन नाथ आचार्य (उप मंत्री शिक्षा) जां कि रही भावना जैसी ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जां की ही भावना जैसी ।

श्री विजयसिंह झाला : उसी प्रकार मुझे मालूम होता है कि विश्वविद्यालय को मल्टी पर्पज बनाना चाहते हैं । जो संशोधन

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपको लेना चाहते हैं ।.

श्री विजयसिंह झाला : संशोधनों से प्रतीत होता है कि उनमें गम्भीरता न होकर चंचलता है और

एक माननीय सदस्य : आपकी समझ का फेर है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ज्ञान शून्यता भी दिखती है बोलने वाले माननीय सदस्य की ।

श्री विजयसिंह झाला : इसमें जो सीनेट का सवाल है, वह भानुमति का कुनवा मालूम होता है । उसका निर्माण इधर से, उधर से जोड़ कर किया गया है । मेरी समझ में नहीं आता है, बहुत सी जगह ऐसे सदस्य रख दिये गये हैं जैसे चार राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे । वे किस तरह के होंगे ? क्या हमारे उप-मंत्रीजी के रिश्तेदार होंगे···

श्री निरंजननाथ आचार्य : Sir, I will object and I will submit, Sir that he is in the habit of casting reflections upon the persons.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को आपत्तिजनक बात नहीं कहनी चाहिए ।

श्री विजयसिंह झाला : मेरा तात्पर्य यह है कि उसमें······

श्री गिरधारी लाल व्यास : (आसीन्द): मंत्री के बजाय आपके रिश्तेदार होंगे ।

श्री विजयसिंह झाला : उसमें इस प्रकार के सदस्य होंगे, वे किस प्रकार के होंगे, यह बताते तो ज्यादा अच्छा होता बनिस्बत जैसा कि अन्य सदस्य के बारे में पैरा के अन्दर नीचे लिखा है – चार सदस्य ऐसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे । उसमें किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन नहीं है । उसमें यह नहीं लिखा गया है कि किस डिपार्टमेंन्ट से होंगे । इसी प्रकार प्रथम श्रेणी के सदस्य के नीचे लिखा है कि चार सदस्य अन्य प्रकार के होंगे । वे कौनसी प्रकार के होंगे, किस तरह के होंगे, यह नहीं लिखा हैं । इस तरह दस पन्द्रह सदस्य हैं जिनकी कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्काइब नहीं की गई है । तो इस विधेयक के प्रवर समिति में जाने से इस प्रकार की क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइव कर सकेंगे कि यह जो दस-पन्द्रह सदस्य हैं वे किस तरह के होने चाहिये । साथ ही साथ मैं यह मानता हूं कि जब इस प्रकार के हमने अनावश्यक सदस्य ले लिये हैं वहां विधान-सभा का एक सदस्य लिया जाना मैं उपयुक्त नहीं समझता हूं । इसलिये इस पर हम सोच सकते हैं कि पांच विधान सभा के सदस्य हों और उनका चुनाव किस प्रकार हो रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर हो या किस प्रकार से हो । इस संबंध में सोचना बहुत आवश्यक होगा । इसके अलावा सिंडीकेट का सवाल हैं, उसमें भी भानुमति का कुनबा जोड़ने की कोशिश हमारे उप शिक्षा मंत्री ने की हैं । इसलिए मैं सारी परिस्थितियों को देखते हुए और इस पर अधिक न बोलते हुए यह प्रस्ताव रखूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ।

(१·५८ म.प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री मथुरेश बिहारी । I am sorry श्री भैरोंसिंह । फिर श्री मथुरेश बिहारी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) **:** सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, जो राज्य सरकार के द्वारा इस सदन में प्रस्तुत हुआ है, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । सभापति महोदय, विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हम किसी भी प्रकार कोई भी निर्णय लें, उसके पहले कुछ विश्व विद्यालय की आधार भूत मान्यताएँ होती हैं और उन मान्यताओं के द्वारा ही हम किसी प्रकार का कोई संशोधन या उसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले सकते हैं । १६४६ में जब से यह कानून बना है, उस समय से लेकर अब तक इसमें जो संशोधन आये, उसकी भूमिका की ओर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो एक बात हमारे सामने निश्चित रूप से आयेगी कि सन् १६४६ की जयपुर राज्य की सरकार, जिसको कई बार

(श्री भैरोंसिंह)

हम सामन्तों की सरकार कह कर प्रजातंत्र के घातक सिद्धान्तों वाली सरकार बताते हैं, उस सरकार ने, सामन्ती युग की सरकार ने जो कानून बनाया, उस कानून की तुलना आज की तथाकथित प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार के प्रस्तावित कानून को देखा जाय तो निश्चित रूप से ऐसा आभास होता है कि उस समय वह चाहे सामन्त थे लेकिन विश्व विद्यालय में प्रजातन्त्र किस प्रकार से पनपे और हमारे देश के जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं, उनको शिक्षा के संबंध में नीति निर्धारित करने में किस प्रकार स्वतंत्रता मिले, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रक्खा गया था। यह बदकिस्मती हैं कि वैसे कानून में हम इस प्रकार का संशोधन लाकर हमारी यूनिवर्सिटी को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनोमस बनाने की व्यवस्था करना चाहते हैं लेकिन उसके विपरीत हमारी सरकार आज आचरण कर रही हैं। मैं उनको डिटेल्स में जाना नहीं चाहता जिसके कारण हमारी सरकार इसके लिये विवश हुई है, लेकिन मुझे कुछ आभास ऐसा अवश्य होता है कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्षेत्र के लोगों ने अपनी मोनोपोली अख्त्यार कर रखी हैं। मैं बहुत ही नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य, माननीय सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारें डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हो, चाहे शिक्षा सचिव हो, विश्वविद्यालय के उप कुलपति हों चाहे उपशिक्षा मंत्री हों वे सब एक ही क्षेत्र से आते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मन्त्री शिक्षा): केन्द्र के भी शिक्षा मंत्री उसी क्षेत्र के हैं, वह भी कह दीजिये।

श्री भैरोंसिंह: आज ये सारे के सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी एक ही क्षेत्र से आते हैं और उनके आने में शिक्षा विभाग द्वारा उनको कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है। अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने बताया कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री भी उसी क्षेत्र के हैं। उन्हीं की कृपा से आज सारे राजस्थान के शिक्षा विभाग पर एक ही क्षेत्र के लोगों का आधिपत्य है। यह कोई प्रजातन्त्र का तरीका नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: प्रजातन्त्र का तरीका नहीं है, तो आप वैसा मान लिजीये…

श्री भैरोंसिंह: प्रजातन्त्र का तरीका हो लेकिन उस प्रजातन्त्र की मखोले नहीं उड़ाई जानी चाहिये। यह तरीका नहीं है कि एक ही क्षेत्र के लोगों को शिक्षा विभाग में…

श्री निरंजननाथ आचार्य: He is a Minister in the Union. It is not that he has got any relation with us or we have selected him for the post.

श्री भैरोंसिंह: प्रजातन्त्र की मखोल शिक्षा विभाग में एक ही क्षेत्र के लोग मोनोपोली लेकर उड़ाना चाहते है, ऐसा नहीं होना चाहिये। यह ठीक है कि आज आपके हाथ में हुकूमत है जिस प्रकार से आप उसकी मखोल उड़ाना चाहें उड़ावें लेकिन यदि हम आज पहले वाले कानूनों और

(श्री भैरोंसिंह)

आज के कानूनों को देखने की कोशिश करें तो हम उस नतीजे पर पहुंचेगे कि जिस जमाने को हम सामन्ती कहा करते थे, आपको मालूम होगा कि १९४६ से ६२ तक वाइस चान्सलर की नियुक्ति में आपने कभी कोई बुराई नहीं पाई। या तो हमारी सरकार यह कहे कि आज तक वाइस चान्सलर का अपोइन्टमेंट अवैधानिक था या सरकार को उनमें कोन्फीडेन्स था। यूनिवर्सिटी में वाइस चान्सलर अच्छे अच्छे शिक्षा शास्त्री थे वे ही बन सके। मैं समझता हूं कि आज तक हमने कोई उनकी शिकायत नहीं सुनी कि युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर पहले वाले अच्छे नहीं थे। मैं यह कहूंगा कि पहले के वाइस चान्सलर किसी प्रकार की योग्यता में कम नहीं थे और न उनकी शिक्षा जगत में प्रसिद्धी कम थी। जिन शिक्षा शास्त्रियों के भरोसे पर आपने पिछले १५ वर्षों तक अपनी युनिवर्सिटी को छोड़ा, आज आप राजस्थान में कोई कमी नहीं पाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उसमें परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि यह कोई सुधार लाया जा रहा हो। इसमें उस दृष्टि से हो रहा हो, यह नहीं है मगर जिस तरह से लांछन आज उनके खिलाफ लगाये गये हैं उस संबन्ध में उचित कार्यवाही करने के संबन्ध में नहीं, चाहे सभापति महोदय, ये सरकार नाराज हो जाए या माननीय उप मंत्रीजी नाराज हो जाए लेकिन मैं यह कहूंगा कि एक व्यक्ति को प्रोत्साहन देने के लिये यह संशोधन लाया जा रहा है। मैं उनकी योग्यता के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि वे योग्य है या अयोग्य लेकिन मैं यह कहूंगा कि उनके कार्यकाल में जो कारनामें सरकार के सामने आये हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू से, एज्युकेशनल पोइन्ट ऑफ व्यू से उससे मालूम होता है कि शिक्षा में वाइस चान्सलर ने कितना काम किया है और इससे साफ मालूम होता है कि वहां शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य से किसी को संतोष नहीं हुआ है। आप भले ही काम से नहीं बल्कि वे एक विशेष क्षेत्र के रहने वाले हैं उस बात को सामने रख कर संतोष व्यक्त करें तो कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है आज जिस समय जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य युनिवर्सिटी बिल के सम्बन्ध में कुछ बातें कह रहे थे माननीय उप मन्त्री बार बार......

श्री निरंजननाथ आचार्य : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जिनका जिक्र कर रहें हैं हाऊस में नहीं हैं, इसलिये उनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : जो हाउस मे नहीं हों, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता पर मुझे खेद है कि आंखों से जो बात दिखाई देती हैं उसके बारे में भी जानकारी नहीं रखते हैं··

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order, Sir. I only submit that the Hon'ble Member, whose reference is being given is not in a position to clarify if some facts are placed in the House. He is in the Chair.

श्री सभापति : He will come to his seat when the time comes.

श्री चन्दनमल बैद (उपमंत्री): माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वे कहां से आ रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जो आसमान में चढ़ जाते हैं उनको चाहिये कि दिमाग से सोचें। जब दिमाग से सोचें तो सब बात समझ में आ जावेगी।

सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो सदन का ध्यान आकर्षित किया, मैं निहायत अदब से उनकी बात को स्वीकार करता हूं कि युनिवर्सिटी जितनी पोलिटिक्स से स्वतन्त्र होगी शिक्षा शास्त्री उस शिक्षा साधना में ज्यादा दिलचस्पी से काम करेंगे और शिक्षा की उन्नति होगी। लेकिन जब हम इस संशोधन को देखते हैं तो मालूम होता है कि सरकार करना कुछ और चाहती हैं और दिखाना कुछ और। मैं उप मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले वाला प्रजातंत्र था या अब वाला प्रजातन्त्र है। यह ठीक हैं कि यूनिवर्सिटी के मामलों में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिये मगर इसका मतलब यह नहा है कि वहां पर डिक्टेटर के रूप में वाइस चान्सलर काम करें। जिस प्रकार से हमारा वेल कोन्सटीट्युटेड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिये हो। जिससे किसी को किसी प्रकार की जलन न हो और यहीं समझे कि हमारी सरकार डेमोक्रेटिक सिद्धातों पर काम करती है। मगर आज हम देखते हैं कि जिस क्षेत्र में वे डेमोक्रेटिक युनिट है, बदकिस्मती यह है कि हमारी सरकार नीचे के इन्सट्रक्शन को सर्वोपरि बनाना चाहती है। यह कहा जाता है कि उदयपुर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और जोधपुर में हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके लॉ सेक्रेट्री थे, लीगल ड्राफट्समैन भी थे और दूसरे कानून के माहिर लोग भी आपके पास थे मगर उस समय क्यों शांत रहें। आप किसी भी भाषण को उठा कर देख लें। किस मंत्री ने कहा कि जोधपुर युनिवर्सिटी में इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही हैं उसी प्रकार की व्यवस्था राजस्थान युनिवर्सिटी में करने की कोशिश करेंगे। उस समय माननीय मंत्री ने यह सदन को विश्वास दिलाया कि जोधपुर में नई युनिवर्सिटी बन रही है इसलिये हमको उसे रीन्यू करने के लिये इस प्रकार के अधिकार दिये जावें। हमने दिये। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारी सरकार हमको धोका देना चाहती है। उस समय किसी भी मंत्री ने यह नहीं कहा कि जिस प्रकार से जोधपुर यूनिवर्सिटी में हैं, जयपुर में भी होगा। यदि उस समय बताया जाता तो सरकार की मंशा का उसी समय पता चलता कि जयपुर यूनिवर्सिटी में परिवर्तन लाना चाहते हैं। उस समय जोधपुर और उदयपुर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में परिवर्तन करा कर ही रह गये। लेकिन उस समय मौन रहकर निकल गये। विधान सभा के सदस्यों को और और बातें कह कर एप्रूवल ले लिया। आज उस एप्रूवल का नाजायज फायदा उठा कर यह करना चाहते हैं। जोधपुर युनिवर्सिटी के कानून की नकल आप इस युनिवर्सिटी के कानून में करना चाहते हैं।

इन दोनों युनिवर्सिटीज के क्षेत्रों का मुलाहज़ा कीजिये। जयपुर की युनिवर्सिटी के अन्डर में जयपुर शहर के जितने कॉलेजेज़ हैं वे हैं और बाहर के कॉलेजेज़ हैं, वे

(श्री भैरोंसिंह)

एफिलियेटड हैं, इस तरह कुल मिलाकर ७० कॉलेजेज यहां की युवर्निसिटी के कार्य क्षेत्र में हैं। जब कि जोधपुर युनिवर्सिटी के अन्दर में केवल वे ही कॉलेजेज, हैं जो कि म्यूनिसिपल एरिया मे हैं। तो जोधपुर युनिवर्सिटी के क्षेत्र जयपुर की युनिवर्सिटी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। जिस जोधपुर के एक्ट को जयपुर के एक्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इन दोनां एक्ट्स की देखा जाय तो जयपुर की युनिवर्सिटी का एक्ट है उसके अनुसार हम १५ वर्ष से काम कर रहे हैं और ठीक ढंग से अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। होना तो यह चाहिए थों कि इस एक्ट की नकल जोधपुर के एक्ट में करते पर यहां तो किया यह जारहा है कि जो गलती करते हैं उसकी ही नकल की जा रही है। जोधपुर और जयपुर की यूनिवर्सिटीज के स्टेन्डंड को देखें कि वहां कितने कालेजेज हैं, यहां कितने कालेजेज हैं, स्टेन्डंड किस प्रकार का है, टीचिंग किस प्रकार का हैं। पिछले इलेक्शन में ६ रिप्रेजेन्टेटिज आते थे तो अब २ आयंगे, ६ रख देते या ८ रख देते तो कौनसी युनिवर्सिटी नहीं चलती। उस समय ६ आदमी थे उनको २ से रिप्लेस करना चाहते हैं, यह आपका कौनसा मापदण्ड है ?

जोधपुर में रिप्रेजेन्टेशन दिया है वह वहां के प्रेजेन्ट स्टेन्डर्ड के बेसिस पर दिया है जितने कॉलेजेज जोधपुर में हैं उनको देखते हुए २ का रिप्रेज़ेन्टेशन रखा है जहां जयपुर में ७० कालेजेज है वहां दो का प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, यह कैसा मापदण्ड हैं ? यह वहां तक उचित है ? एक म्युनिसिपेलिटी की आबादी एक लाख है उसमें १० प्रतिनिधि रखते हैं दूसरी जगह ४ लाख की आबादी है वहां पर भी १० का ही प्रतिनिधित्व रखतें हैं तो यह न्यायोचित नहीं कहा जा सकता, यह कोई प्रजातन्त्र नहीं है। और यह भी कोई शिक्षा क्षेत्र में ओटोनोमस स्थिति लाना चाहते हैं इस लिये कर रहे हों ऐसी बात नहीं है बल्कि मैं तो सरकार पर इलज़ाम लगाता हूं कि एक आदमी को रखने के लिये यह सब कुछ किया जा रहा है। हमें एक व्यक्ति का हित नहीं देखना है, हमें राजस्थान के हित को देखना है, एक व्यक्ति का राजस्थान से सम्बन्ध हो सकता है, राजस्थान के हित में भी हो सकता है और अहित में भी हो सकता है पर एक व्यक्ति के लिये हमारी परम्पराओं को नहीं तोड़ा जा सकता, वर्षों से चले आ रहे कानून में एक व्यक्ति के लिये संशोधन नहीं किये जा सकते। पर जो उस क्षेत्र में मोनोपोली है उसको बनायें रखने के लिये यहां यह कानून बनाया जा रहा है।

अभी कहा गया कि युनीवर्सिटी एक ओटोनोमस बॉडी है, उसमें हस्तक्षेप करने का हमारा अधिकार नहीं है। मुझे अफसोस है सभापति महोदय, उप-मंत्री महोदय से विशेषतौर पर जो हमेशा सभी समाचार पत्र पढ़ते हैं और किसी भी स्कूल के अध्यापक का या चपरासी का समाचार पेपर में आ जाय तो कटिंग करके सफेद कागज पर चिपका कर सम्बन्धित डिप्टी डायरेक्टर या इन्स्पेक्टर के पास भेजते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है तो मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि राजस्थान युनिवर्सिटी के समाचारों को समाचार पत्रों ने दबा कर नहीं रखा है।

(श्री भैरोंसिंह)

मुझे अफसोस होता है कि चपरासी या मास्टरों के मसले को लेकर, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर तक से जानकारी करने को तैयार हो जाते हैं तो फिर युनिवर्सिटी के मामलों में मौन क्यों रहे, जबकि पिछले ६ महीनों से आ रहा है कि युनिवर्सिटी के मामलों में घोटाला हो रहा है। आप कह सकते हैं कि युनिवर्सिटी के मामले में हस्तक्षेप करने का आपको अधिकार नहीं है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर. आप चाहते तो लाखों रुपयों को बचाने के लिये कानून आर्डिनेन्स ला सकते थे। पर आप वह नहीं लाये क्योंकि वह आपके हाथों को मजबूत नहीं करता, उस क्षेत्र में जो आपकी मोनोपोली है उसको खत्म करता। तो राजस्थान का लाखों रुपया बर्बाद होता जाय उसकी चिन्ता नहीं पर हमारे आदमी जीवित रहें। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हुकूमत हमेशा कायम नहीं रही है, उन ट्रेजरी बेंचेज़ को हमेशा जाते देखा है·····

श्री निरंजननाथ आचार्य: बराबर देखा है; इधर से भी जाते देखा है. उधर से भी जाते देखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): नैया बिलकुल किनारे पर अड़ी है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: किनारे पर अड़ी है तो अड़ कर ही रहेगी।

श्री भैरोंसिंह: तो मैं अर्ज कर रहा था कि मंत्री बदल सकते हैं, सरकार बदल सकती है पर जो पुराने कानून बने हुए हैं वे नहीं बदलते। आज जिस प्रकार का संशोधन ला कर जिस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं उससे यदि किसी का भला होता, शिक्षा क्षेत्र में उन्नति होती तो ऐसा किया जा सकता था पर इससे किसी का भला नहीं होने वाला है, शिक्षा क्षेत्र में किसी प्रकार की उन्नति नहीं होने वाली है बल्कि इसके विपरीत इसमें डिक्टेटरशिप ला कर शिक्षा शास्त्रियों की जुबान बन्द की जाने वाली है। आज हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षा शास्त्रियों का प्रभाव बढ़े इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिये यदि कानून लाया जाता तो हम उसका स्वागत करते पर आज उल्टा होता है युनिवर्सिटी में क्या-क्या खराबियां हैं उन खराबियों को दूर करने के लिये कानून नहीं बनता, चाहे हमारे वाइस चान्सलर ने या और ने, नाम नहीं लेना चाहिये बिना एप्रूवल लिये कितना ही खर्चा कर दिया हो, बिना सिलेक्शन कमेटी के कितने ही अपोइन्टमेंट्स कर दिये हों, चाहे युनिवर्सिटी के छात्र कहते रहे हों कि विधान सभा ने आश्वासन दिलाया था कि शुल्क नहीं बढ़ाया जायगा, फिर भी वह बढ़ाया गया, पर इस सबके बारे में हमारी सरकार ने कोई सुझाव नहीं दिये हमारी सरकार तो कहती है कि वर्तमान वाइस चान्सलर हैं वह किसी तरह से बने रहें।

जिस समय यह नियुक्ति हुई थी उस समय भी कहा था उस समय मुख्य मंत्रीजी ने इनकी योग्यताओं का पूरा वर्णन किया, मैं आज भी नहीं कहता कि वह आदमी क्वालिफाइड नहीं है मुझे किसी व्यक्ति से विरोध नहीं पर जहां उनका व्यक्तित्व जनहित के मामले में गड़बड़ी का कारण बनता है, और उसको चुनौती देने का

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है तो मैं माननीय उप-मंत्रीजी से कहूंगा कि आज जैसा बिल पेश किया उसके बजाय जो ड्राफ्ट हमसे लेना चाहते हैं, आपके पीछे बैठे हैं ला डिपार्टमेन्ट वाले उनसे कह दीजिये कि वैसा ही ड्राफ्ट बना दें कि किस तरह से गड़बड़ियों का रोका जा सकता है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जांच कराने के दृष्टिकोण से आप जैसा चाहें वैसा कानून बनवा लें हम उसे स्वीकार करेंगे। पर लॉ डिपार्टमेंट की तरफ नजर नहीं जायेगी। (शिक्षा मन्त्री को संबोधित करके) आप मत देखिये, वहां आपका हुक्म नहीं चलेगा।

एक माननीय सदस्य : शिक्षा मंत्री जी हैं।

श्री भैरोंसिंह : बदकिस्मती की बात है कि शिक्षा मन्त्रीजी को विभाग तो दे दिया पर ऊपर बोर्ड बैठा दिया, बोर्ड के कन्वीनर उप-मन्त्रीजी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): बोर्ड किस बात का ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : किसी बात का नहीं, आपका दिमाग दौरे पर हैं; भावना में चल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपको संशोधन लाना है तो लावें, कोई जांच करवानी है तो करवाइये। और जांच के बाद उचित समझें कि उनकी वाइस चान्सलर की टर्म एक्स्टेन्ड करना है तो कर दीजिये। पर आप जिस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं उससे स्पष्ट है कि आप उपकुलपति का एक्स्टेन्शन करने को कटिबद्ध है। यह तो विधान सभा का अधिवेशन चल रहा है अगर नहीं चल रहा होता तो आप ऑर्डिनेन्स ला कर ऐसा कर सकते थे। २५ नवंबर को सिन्डीकेट की बैठक होगी, इसलिये नहीं होगी कि अपोइन्ट-मेंट्स से सेलेक्शन किये हैं उनको डिस्एप्रूव करने के लिये विचार होगा निर्णय लिये जायेंगे बिना फाइनेन्स कमेटी की राय लिये जो खर्चा किया गया है उसकी जांच करवाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायगा बल्कि यह सिन्डीकेट की मीटिंग इसलिये हो रही है कि वाइस चान्सलर के मामलों में निर्णय लिया जाय। और एक भी ऐसा आदमी जो सरकार की विशेज के अगेन्स्ट में कोई सुझाव दे सके, उसको सिन्डीकेट में न रखा जाय इसके लिये यह सब हो रहा है सारे सरकार के नोमिनेटेड मेम्बर्स हैं, कोई डाइरेक्टर, सेक्रेटरी, मिनिस्टर होगा। आज सारे के सारे इस स्थिति में नहीं हो पायेंगे कि इन्डिपेन्टली वाइस चान्सलर के बारे में निर्णय दे सकेंगे। नये लोग आवेंगे उनको मालूम नहीं होगा पिछले क्या घोटाले हुए हैं खर्चा किस प्रकार हुवा बाकी किस प्रकार के काम हुए उनको जानकारी नहीं होगी और जो जानकारी करने की कोशिश करेंगे या जानकार होंगे वे सिन्डीकेट के मेम्बर नहीं बन सकेंगे। सरकार की ओर से एक फरमान जावेगा कि फलां आदमी है उसको उपकुलपति बनाने का प्रस्ताव कर दीजिये। सभापति महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि यह सरकार के लिए और विधान सभा के सदस्यों के लिए कोई शोभा की बात नहीं हैं। विधान सभा को, कोई माननीय सदस्य और दूसरे भी यह न चाहेंगे कि युनिवर्सिटी

(श्री भैरोंसिंह)

जैसे पवित्र शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार से कोई राजनीति दलबन्दी हो । कोई नहीं चाहेगा कि राजनीति की दलबन्दी में युनिवर्सिटी को घसीटा जाय । लेकिन राजस्थान सरकार युनिवर्सिटी में राजनीति को प्रवेश करवा कर अपने व्यक्तियों को संरक्षण दिलवाना चाहती है । नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक केज्युवल रेफरेन्स दिया था उस कानून में अपने लोगों को पोषण दिया जा सकता है । उप मंत्री महोदय को यदि सुनने की हिम्मत हो तो उनको मैं बता दूं कि उनके कितने रिश्तेदारों को अपोन्ट्मेंट दिया गया, यदि आप उनकी जन्म तिथि और भी हिस्ट्री पूछना चाहें तो वह भी मैं बता देने के लिए तैयार हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : माननीय सभापति महोदय, जब जयपुर से आने वाले माननीय सतीशचन्द्रजी इस पर बोल रहे थे और इनर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोल रहे थे तो मैंने उस समय एतराज उठाया था और माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि उन्हें रेफरेन्स के तौर पर काम में लाया जा सकता है किन्तु अन्डर यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में दाखिल न हुआ जाय, न ही उनका विश्लेषण किया जाय । माननीय सभापति महोदय, माननीय सतीशचन्द्र के भाषण के बारे में यह व्यवस्था माननीय अध्यक्ष ने दी है ।

श्री भैरोंसिंह There is no point of order and it deserves no ruling.

श्री सभापति : उस व्यवस्था के बारे में उनको जानकारी है ।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय वह शायद इसलिए चाहते थे कि मैंने जिस प्रसंग में बाते कहीं हैं मैं उन बातों को भूल जाऊं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कई बार आप भूले हुए होंगे । याद कर लें ।

श्री भैरोंसिंह : जितना आप मुझे इन्टरप्ट करेंगे मैं उतना ही उसको याद करूंगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उम्र है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने बड़ी सहायता की । मुझे मालूम है कि मेरे रिश्तेदार को नियुक्त नहीं किया जावेगा । आपको मालूम है, आपके रिश्तेदार नियुक्त नहीं किये जावेंगे । उस प्रसंग को उस हालत में छोड़ सकता हूं कि आप यह कह सकते हैं कि नियुक्तियां हुई उनमें अपनी पोजिशन को मिसयूज नहीं किया गया, अनड्यु एडवान्टेज नहीं उठाया गया है उसका । आप चाहते हैं तो मैं उनका नाम बता सकता हूं, ठिकाना बता सकता हूं, जन्म-दिन भी बता सकता हूं । यदि आप इस सम्बन्ध में मौन रहते हैं तो इसकी सरकार को जानकारी है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या तरीका है ? आप मुझसे मांग कर रहे हैं । मैं हंसू, बोलूं । मुझे समझ में नहीं आता । आसन से व्यवस्था दी गई है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री सभापति : कोई किसी को हंसने का मौन रहने का या बोलने के लिए मजबूर नहीं करता है ।

श्री भैरोंसिंह : वे इस ग्राम मसले को हंसी में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको चुनौती दी है उससे किसी प्रकार वे बच कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो निकल जाओ। सदन समझ गया है। वीक पोइन्ट है, खड्डा है; उसको भरना सरकार के लिए आवश्यक है। उपमंत्री महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में आकर जिस प्रकार एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में एक सुव्यवस्था लाने की कोशिश की, आप यह समझें कि अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ नहीं करता, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि शिक्षा विभाग में आपने सुधार लाने की चेष्टा की। यह क्षेत्र आपसे बड़ा है और आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं तो आपको अपनी मजबूरी को सदन के सामने रख देना चाहिये। मैं तो केवल डिप्टी मिनिस्टर हूं, दूसरा मैं ओवर ऑल इन्चार्ज हूं, यह युनिवर्सिटी का मसला है और मुख्य मंत्री का क्षेत्र आ जाता है। यदि यहां मजबूरी है तो आपकी मजबूरी के प्रति सदन के माननीय सदस्यों को सहृदयता की दृष्टि से देखना चाहिये।

श्री रामकिशन : (यंर) पूरे सदन को देखना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : सहानुभूति की मखौल हो, विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की अकर्मण्यता आगई है, मैं खासतौर पर इस शब्द को यूज करूंगा, राजस्थान विधान सभा के लिए शोचनीय प्रश्न बनता है और इन मामलों की रोकथाम के लिए सरकार जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे।

मैंने स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स को पढ़ा है। जिन धाराओं में आप संशोधन रखना चाहते हैं उनको माइन्यूटली पढ़ा है। कुछ धारायें ऐसी रखना चाहते हैं जोधपुर युनिवर्सिटी से सम्बन्ध न हो। किसी पर्टीकुलर परपज से वे धारायें ला रहे हैं। मैंने पिछले समाचार पत्रों में पढ़ा। आप कहेंगे कि समाचार पत्रों का यहां रेफरेन्स नहीं दे सकते, किन्तु जो समाचार पत्रों में बातें उठी थी उनको कन्फर्म किया है। ३३ और ३४ ए धारा के डिलीशन की व्यवस्था की जाय। पिछले दिनों में मैंने यह पढ़ा था कि जिनके लिए यह सब आप प्रयत्न कर रहे हैं वह इसलिए है कि उन्हीं वाइस-चान्सलर की दुबारा टर्म एक्स्टेन्ड कर दें। एक व्यक्ति के लिए कहा कि उसको रिजल्ट बता दें, आगे एप्रोच कर रहे हैं। उनके लिए लिखना पड़ेगा कितनी डिग्री हासिल कर चुके है। एक व्यक्ति के लिए यह कहा गया कि उसको पहले से ही रिजल्ट बता दें। मैं धन्यवाद दूंगा रजिस्ट्रार महोदय को। उन्होंने कहा कि जब तक रिजल्ट कमेटी इसको एप्रूव न कर ले दो हो, चाहे चार हो, दस हो, चाहे वाइस चान्सलर कहे या और कोई व्यक्ति कहे मैं किसी को रिजल्ट नहीं बता सकता। उसका परिणाम यह हुआ कि उन दो धाराओं का सफाया किया गया। जो कार्यवाही आप करना चाहें कर लें। पढ़ाई गई, नौकरी देते नहीं आप, पढ़ाई में पोलिटिक्स फेवरिटिज्म आ गया है। फिर शिक्षा किस बात की देते हैं ? क्यों खर्चा करते हैं इन सब पर। कहा यह जायगा कि देश में संकट की स्थिति है। उपमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा विशेष तौरपर कि कोई केओस नहीं हो रहा है, चीन वाले युनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचे हैं, देर हो जायगी तो बड़ा अन्याय हो जायगा।

Page No 76

(श्री भैरोंसिंह)

जनता की आज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। लड़ाई दूर है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार की कार्यवाही करके आप जनता में असंतोष फैलावे। आप इस घड़ी में नेशनल इन्टीग्रेशन की दुहाई देकर इस प्रकार से आपके कार्यों से लोगों में डिस्सेटिसफेक्शन फैले, रोष प्रकट हो और उसको प्रकट होने से आप दूसरी तरह से रोकें कि नेशनल केलेमिटी आ रही है, केवल इस प्रकार के विधेयक पास करने का तरीका है। ऐसा लगता है कि सरकार को विश्वविद्यालय में अकर्मण्यता फैले उसकी कोई चिन्ता नहीं, लाखो रुपयों के बजट की कोई चिन्ता नहीं, अवैधानिक नियुक्तियां कर दी जाती है उसकी कोई चिन्ता नहीं, स्विटजरलैंड से दो लाख रुपयों का फर्नीचर मंगाया जाय उसकी कोई चिन्ता नहीं किन्तु चिन्ता इस बात की है कि मोनोपोलिस्टिक ढांचे में एक खांचा बाकी न रहे और उसको पूरा कर दें। सारी चीजों को सामने रख कर करें। जनता में ऐसी बातें न फैलायें नेशनल केलेमिटी को छोड़ कर इस प्रकार की बातों की ओर ध्यान दें।

मैं सिन्डीकेट की तारीफ करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी चेन्ज आ रही है सिन्डीकेट जिसका रेस्पोन्स करती है उसके विपरीत सरकार कार्यवाही करती है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा। जनवरी में अपोइन्टमेन्ट होगा ३ जनवरी को वे जाने वाले हैं। २५ जनवरी को सिन्डीकेट नये के विषय में फैसला लेने वाली है आप क्या यह समझते हैं कि सिन्डीकेट कोई डिसिजन लेगी तो वह गलत होगा और यह समझते हैं कि वर्तमान वाइस चान्सलर के खिलाफ होगा? यदि आप यह मोटिव सिन्डीकेट पर इम्प्यूट करते हैं उनकी इन्टीग्रिटी पर डाउट करते हैं। जितनी शिक्षण संस्थायें हैं शिक्षा क्षेत्र में सहयोग लेकर आगे बढ़ने का फैसला करती है उनको रोका जावेगा। शिक्षा क्षेत्र में डेवलपमेन्ट के जो सुझाव दिये जाते हैं उनको राजनैतिक और अपने स्वार्थों की दृष्टि से देखेंगे तो उससे कोई सुधार होने वाला नहीं है, शिक्षा का स्तर गिर जायगा और वे किताबें पढ़ायेंगे जिनका जिक्र मैं सदन में कई बार कर चुका हूं।

अंत में सभापति महोदय, इस सारे मसले को लेकर मैं आवश्यक समझता हूं उप-मंत्री महोदय इसमें बहुमत का दुरूपयोग न करें और इस प्रकार की स्थिति पैदा न करें। जिससे अल्प मतवाले इस प्रस्ताव पर सरकार का मुकाबला करें। आपको चाहिए कि आप अल्प मतवालों की जो इच्छा है उसकी पूर्ति करें। मैं आज सदन के अन्दर कहता हूं कि यूनिवर्सिटी में लाखों रुपयों का घोटाला है जिसकी जांच नहीं। आज समय नेशनल केलेमिटी का है आज एक एक पैसे की हमें जरूरत है। आज आप कहें ये मामले छोटे हैं छोटे नहीं नेशन के लिये एक एक पैसा बचता है जैसी कि प्राइम मिनिस्टर की अपील है कि देश के लिये एक एक पैसा बचायें। लेकिन जो आज इससे विपरीत आचरण करते हैं लाखों रुपयों का घोटाला करवाते है उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आज आप यदि इन घोटालों के बारे में कुछ नहीं करते और आप इस प्रकार के संशोधन लाकर उनको प्रोटेक्शन देना चाहते है तो हम भरसक सदन में उसका विरोध करेंगे

(श्री भैरोंसिह)

सदन से बाहर करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इन घोटालों को रोका जाय और करने वालों को दंड दिया जाय । बदकिस्मती है घोटाले करने वालों को प्रिमियम दिया जाता है और घोटालों का विरोध करने वालों को दबाया जाता है । सरकार की इस नीति से हमें भय है कि यह डेमोक्रेसी उनकी कितने दिन चलेगी । इस डेमोक्रेसी का क्या भविष्य होगा । आज हम आदमियों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं उसमें हमें डेमोक्रेसी को खतरा दिख रहा है। जिस डेमो-क्रेसी के जरिये हम जनता का विकास करना चाहते हैं वहां यदि इस प्रकार के आचरण होते हैं तो जनता का विकास अवरुद्ध होगा, ऐसी स्थिति के अन्दर मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय । इस संबन्ध में वहां विचार होने के बाद जो भी संशोधन वे करना चहें करें । इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बान्दीकुई): सभापति महोदय, इस संशोधन पर जो अभी सदन के सामने विचारार्थ है उसके संबन्ध में कई तथ्य सदन के सामने रखे गये । उन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इस बिल में जो संशोधन इस समय किया जा रहा है उसमें एक व्यक्ति को प्रजातान्त्रिक तरीके से हटाया जाकर अप्रजातान्त्रिक तरीके से उसकी एक मोनोपोली कायम करने के लिये यह किया जा रहा है । आपके समक्ष इस की दफा १२ के अन्दर संशोधन लाया गया है इसके साथ जो एक्सट्रेक्ट दिया गया है उसके पृष्ठ आठ को देखें जिसमें सिलेक्शन ऑफ वाइस-चान्सलर का प्रावधान है । उसमें पहले से तीन प्राव-धान थे तीन उसके अंग थे । वाइस-चान्सलर के लिये पहले सिलेक्शन कमेटी निश्चित होती है । उसके बाद सिन्डीकेट उनकी रिकमन्डेशन के साथ तीन व्यक्तियों के नाम चान्सलर को भेजती है । इस तरह से इस प्रावधान के अन्दर तीन चेक्स थे तीन जगहं पर विचार किया जा सकता था । और सिन्डीकेट एक्जीक्यूटिव बोडी है युनिवर्सिटी की उसको इस सिलेक्शन में काम करने का अवसर था । लेकिन आज इस संशोधन के जरिये जो सिन्डीकेट को एक्जीक्यूटिव के अधिकार थे उससे इसको बंचित किया जा रहा है । स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्टस एन्ड रीजन्स में भी यह स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया है आखिर इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी जैसा कि कहा गया उसके लिये पांच मूल-भूत भावना है वर्तमान वाइस चान्सलर-और सिन्डीकेट के आपसी झगड़े का एक रूप हमारे सामने आया है सिलेक्शन्स के बारे में अकाउन्टस के सिलसिले में न्याय करने का उनका चेक था उस सिन्डीकेट के पावर्स को इसमें से हटाया जा रहा है । यह आवश्यकता पड़ गई देखने की कि आज सिन्डीकेट फाइनल ओथोरिटी नहीं; वाइस चान्सलर रखेगा तो सिलेक्शन कमेटी वाले रहेंगे । सिन्डीकेट के जो अधिकार हैं उससे वंचित किया जा रहा है । इन सब बातों को देखते हुए, जैसा कि मेरा प्रस्ताव है इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाया ताकि वहां इन सब बातों पर विचार हो सके ।

इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान जोधपुर युनिवर्सिटी बिल की ओर दिलाना

(श्री मथुरेशबिहारी)

चाहूंगा । उसको भी हमने सिलेक्ट कमेटी में देना स्वीकार किया । सिलेक्ट कमेटी के जरिये उसमें अनेक संशोधन हुए, मूलभूत संशोधन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का संशोधन भी पेश किया गया था जिसको सदन ने भी पास किया था ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): शिक्षा मंत्री जी सदन की सतह से गायब हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : मैं बैठा हुआ हूं ।

श्री भैरोंसिंह : हमारे लिये तो वे ही काफी हैं, आप फिर क्यों आये ।

श्री मथुरेशबिहारी : जब सरकार ने उस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना स्वीकार किया तो मुझे ऐसा लगता था कि इस बिल को भी जिस पर काफी विचार विनिमय हुआ इतनी शिकायतें इतने तथ्य सदन के सामने रखे वैसी हालत में इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने में आपको क्या हिचकिचाहट है । अच्छा होता सरकार अपनी तरफ से ही सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये प्रस्ताव करती जैसा कि इस सेशन के अन्दर कई बिलों के बारे में हुआ है । बिना वाद-विवाद के ही बिल्स सिलेक्ट कमेटी में भेजे गये हैं । ऐसा अहम मसला है और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सदन के सामने रखे गयें हैं कई आशंकायें जैसा प्रेजेन्ट वाइस-चान्सलर का टर्म ४ जनवरी को खत्म होता है उनको कायम रखने के लिये यह संशोधन की कार्यवाही की जा रही है। ऐसी अवस्था में मेरा निवेदन है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाकर इस पर विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिये, यह मेरी मान्यता है । इसके क्लॉज़ १२ के सब-क्लॉज़ (२) में :

"(5) The emoluments and other conditions of service of the Vice Chancellor shall be such as may be prescribed by the Statutes, and shall not be varied to his disadvantage after his appointment"

मैं आपके समक्ष जो तथ्य रखे गये हैं उन तथ्यों की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा । प्रावधान था वाइस-चान्सलर के बंगले के लिये ८० हजार रुपये खर्च करने का, लेकिन उन वाइस-चान्सलर के लिये जो बंगला बना उसमें १ लाख ७० हजार रुपया लगाया गया बीस बीस हजार के कार्पेट्स से वह बंगला सजाया गया । स्टेच्यूट्स जो पवित्र, चीज है जिसके जरिये गवर्न होते हैं उसके ऊपर भी यह प्रावधान रखा; not to his disadvantage उनकी मर्जी पर है । क्या क्या फैसीलिटीज होनी चाहिये, डिसएडवाटेजियस होगा तो स्टेच्यूट को ओवर राइड कर दिया जायगा । क्लॉज़ १२ के तहत में यह कह कर कि यह मेरे लिये डिसएडवान्टेजियस है जो चाहे जितना युनिवर्सिटी खर्च कर सकती है । पहले भी खर्च किया गया । तो ऐसे प्रावधान इसके अन्दर रखे हुए हैं । इसके आगे इसमें प्रोविजो दिया है :

"Provided that the present vice Chancellor shall continue to be governed by the existing terms and conditions till his present term is over."

वे वर्तमान वाइस-चान्सलर को अपनी जगह

(श्री मथुरेशबिहारी)

कायम रखना चाहते हैं, यह इस की भाषा से स्पष्ट है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसे सिलेक्ट कमेटी में विचारार्थ ले जाया जावे और फिर इस सदन में लाया जावे।

हमने, जैसा कहा गया उसके अनुसार जोधपुर यूनीवर्सिटी बिल और एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी बिल में जल्दी की क्योंकि वह अच्छी चीज थी। और एक नई चीज थी। पर आज इस चीज के लिये जो सन् ४६ से चली आ रही है और जिसकी तहत कई वाइस-चान्सलर आये गये, कई सिन्डीकेट और सीनेट बनीं, आज इन चीजों में जल्द बाजी करना और सिलेक्ट कमेटी जैसी जगह भी विचार करने से इन्कार करना, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई दलील नहीं है। जब उनमें हम सिलेक्ट कमेटी की बात स्वीकार कर सकते है तो इसके लिये सिलेक्ट कमेटी की बात स्वीकार करने में क्यों हिचकिचाहट है ?

एक दलील दी कि चार जनवरी सामने आ रही है उससे पूर्व सब चीजें हो जानी चाहिये पर इससे पूर्व जो बातें कही गई जो उनके कार्यो के बारे में उदाहरण देकर बताया गया, राधाकृष्णन् कमेटी का जिक्र किया गया जिसमें कहा गया है कि सिन्डीकेट को अवसर दिया जाना चाहिये वाइस-चान्सलर के सिलेक्शन में और उसमें लिखा है :

" We reject this proposal. "

एक्जीक्यूटिव को चान्स नहीं होना चाहिये, जिससे कि उनका समन्वय रहे, को-ऑर्डिनेशन रहे तो इतने महत्वपूर्ण मामले को विचारार्थ सिलेक्ट कमेटी में भेजना आवश्यक है इसके प्रावधान के एक एक शब्द पर विचार होने की आवश्यकता है।

आपने सेक्शन १६, २० और २१ में बड़े बड़े मौलिक परिवर्तन किये हैं। आपने जहां पहले पांच को टीचर्स में से इलेक्ट हो कर पी० जी० एस० के लिये मौका था उसको कर्टेल करके दो रख दिया। दूसरे में पांच को चार किया गया। कोई हर्ज नहीं नम्बर आपने कम कर दिया तो। पर इसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएट्स को कम करना ठीक नहीं है।

इसी तरह डीन ऑफ दी फेकल्टीज के सिलेक्शन में रीडर्स के लिये और हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट के लिये मौका था कि वे चुनाव में आकर डीन बन सकते थे। पर इसमें आपने वह मौका छीन लिया उनसे। इसकी क्या अवश्यकता पड़ी आप को, यह समझ में नहीं आया। तो यह जो प्रावधान रखा गया तो कार्य में ऐसी क्या खामी आई कि जिससे रीडर को पोस्ट ग्रेजुएटों को और टीचरों को और हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स को वंचित किया गया है जिस तरह सिन्डीकेट के अधिकारों को कम किया गया है। इसके लिये उनकी क्या दलीलें हैं। ओब्जेक्ट्स और रीजन्स के स्टेटमेन्ट में इसके लिये प्रकाश ही नहीं डाला है। क्या दस बारह साल में कमी आई कार्य करने में कि जिससे यह सब रखा गया है। और उनसे कार्य ठीक तरह से नहीं हुआ इसके क्या कारण हैं। उन कारणों पर इसमें कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। न ये कारण स्टेटमेन्ट आफ ओब्जेक्ट्स और रीजन्स में रखे गये हैं।

(श्री मथुरेशबिहारी)

बल्कि मैं यह अर्ज करूंगा कि जो सदन के सामने तथ्य आये है वे ये बातें प्रकट करते हैं कि सरकार ने इन वर्तमान वाईस चान्सलर को बनाये रखने के लिये यह सब किया है। इन वाइस-चान्सलर ने यूनीवर्सिटी में २३ लाख का घाटा होते हुए भी मनमाने तौर पर खर्चा किया, दौरों पर जाने के लिये भत्ते मनमाने ढंग से लिये, कनाड़ा जाने के लिये खर्चा किया गया, इसके प्रोपर एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरह से चलने देने में रुकावटें डाली। आज उनको बनाये रखने के लिये मंत्री महोदय इस विधेयक को यहां पास कराना चाहते हैं। उनके लिये इस सिन्डीकेट को खत्म करने की चीज की गई है। यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। यह प्रजातान्त्रिक तरीकों में अच्छा उदाहरण नहीं है। यह भी उचित नहीं है कि जहां १६ मेम्बर हैं उनमें से १४ इन्हीं वाइस-चान्सलर के नोमीनेटेड होंगे और दो केवल इलेक्टेड होंगे। तो मेजोरिटी ऑफ सिंडीकेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी को हम देखते हैं तो प्रश्न पैदा होता कि ऑटोनोमस बॉडी में एग्जीक्यूटिव को आप कई अधिकार देकर चलना चाहते हैं और उससे यह आशा करते हैं कि सिंडिकेट वाइस चान्सलर के कामों कोई में दखल दे सकती है या नहीं। वे अधिकार दिये जाने चाहिये एग्जीक्यूटिव को या नहीं यह आपके सामने प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न है, उस सिंडीकेट को केवल वाइस चान्सलर साहब के आदमियों की बॉडी बना कर कौनसी बॉडी बनाना चाहते हैं। जब यह ऐसा मूलभूत प्रश्न है जिससे प्रजातंत्र के उसूलों पर आघात होता है तो मैं अर्ज करूंगा कि ऐसे सिंडीकेट की पावर्स को खत्म करने के लिये या उसके अधिकारों से उसको वंचित करने के लिए उसको एक पपेट बॉडी बनाने के लिए जो संशोधन आया उनका हमें निष्पक्षता के साथ विरोध करना चाहिए और विरोध करना है।

(२.५० म० म०)

(राव श्री नरायणसिंह उपाध्यक्ष पदासीन)

इसलिए मैं सरकार से इसप्रस्ताव के लिए ज्यादा सदन का समय नहीं लेते हुए यह अर्ज करूंगा कि इस संशोधन के अन्दर दो तीन प्रावधानों के अलावा और भी भाषा के कुछ ऐसे शब्द यूज किये गये हैं जिनके ऊपर सिलेक्ट कमेटी में विचार होकर सदन में आये तब ही इसको पास किया जाना चाहिए और जो आशंका और शंका प्रचलित हो गयी है उसको दूर करने के अन्दर सरकार अपनी उदारता का परिचय देगी जिससे ४ जनवरी के अन्दर जो सवाल आ रहा है। वह न रहे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री रामकिशन (वैर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि संशोधन विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है मेरा प्रस्ताव है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये। अभी मैं तो आवश्यक नहीं समझता कि सदन का इसके लिए अधिक समय लूं क्योंकि जो विश्वविद्यालय की व्यवस्था है उन सब बातों पर और माननीय सदस्यों ने पूरा प्रकाश डाला है. लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार जो इस तरह का संशोधन ला रही है, आम तौर पर जितने भी माननीय

(श्री रामकिशन)

सदस्य बोले हैं उन सब ने एक भी भावना व्यक्त की है कि इस विधेयक के पीछे किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की सरकार की मन्शा है। तो मैं समझता हूं कि किसी सरकार के ऊपर जब यह आरोप लगाया जाये और उसकी मन्शा में सदन का विश्वास न हो तो सरकार का यह धर्म हो जाता है कि वह इस छोटी सी बात को मान लें और सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजकर उसके उद्देश्यों पर उसकी शंकाओं का निवारण न हो जाय, तब तक मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों को कुछ नहीं कहना चाहिए बल्कि माननीय मंत्री महोदय स्वयं ही इस बात को स्वीकार कर लें कि जब इस विधेयक के मूल उद्देश्यों में ही शंकायें व्यक्त की जा रही हैं तो उनका निवारण होना आवश्यक है। एक तरफ तो हम लोकतन्त्र की बात करते हैं और हर दिन यहां विधान सभा में लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन जहां युनिवर्सिटी में अधिक लोकतांत्रिक परम्परायें थी और जो सीनेट के अधिकार थे उनको सीमित किया जा रहा है और वहां सिन्डीकेट के अधिकारों को छीना जा रहा हैं। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि अगर सिन्डीकेट इसी हालत में रखी जाती है कि जिसमें १७ में से केवल २ चुने हुए प्रतिनिधि हों तो मैं इस बात का कायल हूं कि सिन्डीकेट को ही खत्म कर दिया जाये ताकि कम से कम जो उनके आने जाने में और बातों में खर्च होते हैं वह तो कम हो जायेंगे। आज की हालत में न तो सिन्डीकेट का ही कोई उपयोग ही है और न वह किसी प्रकार का नियंत्रण ही रख सकेगी। तो मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस की गंभीरता पर विचार करें और खास तौर से तो मुझे मंत्री महोदय की दशा पर अफसोस है कि आज जब कि यह सवाल उठ रहा है कि यह किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये लाया जा रहा है मैं तो साफ कहूँगा कि मंत्रीजी एक अजीब परिस्थिति में फंसे हुए हैं; क्योंकि हमारे मुख्य मंत्रीजी के मित्र हैं हमारे वाइस चान्सलर महोदय और मंत्री जी की भी इच्छा नहीं है......

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री–शिक्षा) : I will challege this statement, Sir.

श्री रामकिशन (वैर) : इसमें चेलेन्ज की बात नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : There is no relation in between the Chief Minister and the Vice Chancellor. They are different personalities on different platform.

श्री रामकिशन : यह हो सकता है कि मित्रता हो; दुश्मनी थोड़े ही हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपने विषय पर ही रहें और बाकी जबरदस्ती इन्फरेंस नहीं निकालें।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, आप तो अभी आये हैं, माननीय उप-मंत्रीजी पहले से ही उत्तेजित हो रहे हैं..

श्री उपाध्यक्ष : आप यों सिद्धान्तों पर कह सकते हैं।

Page No 82

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह भी अनुचित है कि चेयर को इस तरह से एड्रेस किया जाये कि आप अभी आये हैं, these words should not be used.

श्री रामकिशन : मेरा मतलब यह नहीं था और 'अगर अभी आये हैं' ऐसा समझ लिया है तो मैं विथड्रा करता हूं। वैसे यह चेयर के लिये नहीं था।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि ऐसी माननीय सदस्यों की शंका है कि यह विधेयक किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये लाया जा रहा है। मेरा जैसा अनुभव है और उप मंत्रीजी कई बार अपने इस प्रकार के विचार भी व्यक्त कर चुके हैं और जो भी वक्ता वोले उनसे उन्होंने अच्छी भावना से जानकारी ली है। परन्तु मैं इतना जरूर मानता हूं कि जब हमारे मुख्य मंत्रीजी उदयपुर के हैं, उप मंत्रीजी उदयपुर के हैं, शिक्षा सचिव उदयपुर के हैं, वाइस चान्सलर उदयपुर के हैं और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एजूकेशन मिनिस्टर उदयपुर के हैं तो लोगों को ख्वामख्वाह शंका है और वैसे मेरा यह आरोप नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is repetition of what Hon'ble Shri Bhairon singhji said.

श्री रामकिशन : नेवर। आप सुन तो लीजिये फिर कुछ कहें। मैं मानता हूं कि ऐसी लोगों की शंका है। मुझे तो हमारे उप मंत्रीजी के कार्यकलापों में पूरा विश्वास है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन जब शंका पैदा हो जाये उस समय सरकार का धर्म है कि उस शंका का निवारण करें। आज स्थिति बदलती जा रही है। मेरे पास बहुत से इस सम्बन्ध में आरोप हैं। वह बहुत लम्बी चौड़ी सूची है कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय में गड़बड़ियां हुई हैं, नियुक्तियों में गड़बड़ियां हुई है और कुछ सदस्यों ने इसका जिक्र भी कर दिया है, तो मैं उनको दोहराना पसन्द नहीं करूंगा लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि यह मामला बहुत ही गम्भीर है इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह सिलेक्ट कमेटी में जाने के लिये जो प्रस्ताव रखा गया है इसको उप मंत्रीजी खुद ही स्वीकार कर लेंगे क्योंकि इससे पूर्व भी ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है। इसके अलावा एक स्थिति यह भी देखी गई है कि इस बिल के अन्दर जिस तरह से अधिकारों को घटाया गया है और मैं समझता हूं कि सिन्डीकेट का कार्य और उसके अधिकार घट रहे हैं और वाइस चान्सलर और रजिस्ट्रार के अधिकार बढ़ रहे हैं तो व्यक्तियों के अधिकार तो बढ़ रहे हैं और संस्था के अधिकार घटते हैं तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि या तो लॉ विभाग ने या किसी दूसरे एलीमेन्ट्स ने इसको अनडेमोक्रेटिक साबित करने के लिये इस तरह का प्रावधान किया है। नहीं तो गांधीवादी मंत्री और उप मंत्री ऐसा बिल लायें अफसोस होता है और कभी दया आती है कि ऊपर का दबाव भारी है। मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में जब कि चारों तरफ ही लोकतन्त्र की चर्चा है और आये दिन हमारी विधानसभा में लोकतान्त्रिक परम्पराओं की बातें की जाती हैं उस समय इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि सिन्डीकेट में केवल २ प्रतिनिधि ही चुने हुए होंगे इससे ज्यादा और अप्रजातांत्रिक बात क्या होगी।

(श्री रामकिशन)

विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी की जो शक्ति होती है वह सर्वोपरि होनी चाहिये लेकिन इस संस्था के द्वारा कार्यकारिणी की कोई शक्ति नहीं रह जाती है और खास तौर से कई दूसरे माननीय सदस्य इस प्रकार की राय व्यक्त कर चुके हैं और मैं भी कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा वाइस चान्सलर हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और लोगों को यह शंका है. हालांकि मेरे मन में तो नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि उनके समय को बढ़ाने के लिये ही यह बिल लाया जा रहा है। जब इस प्रकार की चर्चा सदन में है तो शिक्षा मन्त्रालय पर यह जिम्मेदारी आ जाती है। मुझे अफसोस हुआ कि हमारे माननीय उप मंत्रीजी बोले और उन्होंने कहा कि मुझे तो जानकारी नहीं है । मैं हमारे उप-मंत्री की योग्यता से परिचित हूं लेकिन मेरा आरोप है कि शिक्षा मंत्रालय काम-हीनता के रोग से त्रस्त है क्योंकि कहीं कहीं वह भी किसी ऊपरी दवाव से वह आधे मन से इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आप करें यह मुझे सम्भव नहीं मालूम पड़ता है।

श्री रामकिशन : मैं आपकी मुस्कराहट से अर्थ लगाता हूं। जब आप गम्भीर हो जाते हैं तो मैं आपके दुख को समझता हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, समय का कुछ ध्यान रखा जाये। पहले तो लोग घंटा घंटा बोल लेते हैं और दूसरे लोगों को फिर दो दो मिनट में ही बोलना पड़ता है तो दुख होता है।

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बहुत बहस हो चुकी है और मैं निवेदन करूंगा अण्डर रूल २८२ कि आप इसकी लिमिट निश्चित करें; तब ही दूसरों के लिये समय बच सकेगा और हम समय के अन्दर इस विधेयक पर विचार कर सकेंगे।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय मुझे केवल ७ मिनट हुए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: अब इस विषय में काफी अमेंडमेंट्स हैं। यदि आप समय को थोड़ा ध्यान में रखें तो सब बोल सकेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, इधर के लोग भी आधे हैं। आधे से ज्यादा समय तो उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने ले लिया है। इधर के लोगों को भी समय मिलना चाहिये। आपकी नजरे-इनायत इधर भी होनी चाहिये।

(३·०० म० प०)

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल ७ ही मिनट हुए हैं जिनमें से ३ मिनिट माननीय उप-मंत्रीजी और सरकारी बेन्चेज ने खराब कर दिये हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हमें तो ७ मिनिट छोड़ एक मिनिट भी नहीं दिया है। इधर भी आपका चक्षु-दोष हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या यह सदन की मन्शा है कि आज की सारी लिस्ट ऑफ बिजीनेश को देखते हुए इसको आज ही समाप्त करने की बात है ? क्या यह सदन की मन्शा है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : सदन की मन्शा तो ३ दिन तक चलाने की है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस पर सदन की मन्शा जानने की आवश्यकता नहीं । आर्डर ऑफ बिजीनेस में जब फिक्स अप कर दिया गया है तो it should not be made open.

श्री उपाध्यक्ष : No, this is not being opened, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसी रूल २८२ के अन्तर्गत ३॥ बजे तक यह जो प्रवर समिति का एमेंडमेंट है उस पर बहस के लिए रखा है उसको साढ़े तीन बजे तक क्लोज कर दिया जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट बिल है । हमारा राइट है इस पर बोलने का ।

श्री रामकिशन : सदन के हर सदस्य को इस पर बोलने की इजाजत होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार से बहस चालू रहेगी तो बिल समाप्त नहीं हो सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इतना महत्व पूर्ण बिल पर बोलने के लिए समय नहीं हो तो उचित नहीं ।

श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा (नसीराबाद): बिजीनेस एडवाजरी कमेटी में इसको एक्सेप्ट कर लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं कि इसी सदन ने बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी की राय को एडॉप्ट कर लिया है, तो उसके अनुसार आज ही समाप्त होना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो समय बढ़ा दिया जायगा ।

श्री मोहनराज : तो फिर इस तरह से बिजीनेस पूरा नहीं हो सकेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह इसलिए एक्सप्ट किया था कि इसको सिलेक्ट कमेटी में दे दिया जायगा ।

श्री दुर्गालाल वाद्दार (हवा महल, जयपुर) : Movers of the resolution should not be deprived of time by curtailment in their time limits.

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : जिस तरह से बहस चल रही है उस तरह से उसको रेग्युलेराइज करने की जरूरत है कि किस स्टेज पर कितना समय लिया जाय वह आपको कर देना चाहिए । वैसे सदन की इच्छा से कर दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है ।

श्री रामकिशन : मैं अपना भाषण दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आरोप लगाये गये युनिवर्सिटी की आंतरिक व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करूंगा कि साढ़े तीन बजे तक सभी समाप्त हो जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जहां तक मूल प्रस्तावों के मूव करने का सवाल है तो उनको राइट है उसके बाद में कोई मेंबर संशोधन उपस्थित

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करना चाहे तो, कर सकता है चाहे टाइम रेग्यूलेट कर दें तो यह शुरू से ही होना चाहिए था। यह इतना इम्पोर्टेन्ट बिल है कि इतने मेंबर्स ने रिजोल्यूशन दिये हैं तो उनके लिए टाइम जरा बान्धना ठीक नहीं है। आप इस सदन का समय और बढ़ा दें। हम बैठने को तैयार हैं १० बजे तक के लिए, लेकिन इसको इस तरह से आडीनेरिली नहीं जाने देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रत्येक सदस्य बैठने को तैयार होगा क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो इन्ट्रेस्ट लेना चाहते हैं उनको लेना चाहिए और बैठना चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण बिल है जब कि जोधपुर युनिवर्सिटी बिल पर दो दिन तक इस सदन में बहस हुई। इतने इम्पोर्टेन्ट बिल को इस तरह से सदन में अचानक लाकर जब कि उसकी बात थी भी नहीं तो भी बाद में माननीय मन्त्रीजी ले आये हैं तो उस पर बहस पूरी हो जानी चाहिए। यह एक फेयर तरीका है, रीजनेबल तरीका है जिसको मौका दिया जाना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : इसमें उपाध्यक्ष महोदय, फेयर-अनफेयर का प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि अनलिमिटेड टाइम तक डिबेट चली आ रही है तो इसमें इस स्टेज पर कितना टाइम लिया जाय, किस स्टेज पर कितना टाइम दिया जाय ताकि प्रत्येक को सुविधा रहेगी कि कितना समय किस स्टेज पर लेना है। आप १० बजे तक का समय कर दें, लेकिन यह मालूम तो हो जाय कि १० बजे तक बैठना है और ५ बजे तक कितना समय किस स्टेज पर देना चाहिए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह मालूम हो सकता है क्या कि प्रस्तावक सारे बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !! इस विषय में चार प्रस्तावक और मौजूद हैं। या तो आप सहयोग करके और चारों प्रस्तावक साढ़े तीन बजे तक या पौने चार बजे तक अपना समय ले लें और मुद्दे की बातों को कहते हुए सारी बातों को कह सकते हैं। इधर-उधर के विषयों पर न जायं। इससे सहूलियत होगी। उसके बाद में क्लॉज बाई क्लॉज़ लिया जायगा। इससे अधिक सदन का समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि यह शिकायत रही है कि सदन का समय हमेशा बढ़ता है जिससे अधिकांश सदस्यों को असुविधा रहती है। उसको दृष्टिकोण में रखते हुए आपका कोआपरेशन चाहिए कि अपनी बहस को सीमित कर दें कम से कम साढ़े तीन बजे तक के लिए।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हमको इन प्रस्तावों का विरोध करने का वक्त मिलना चाहिए।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : हम जितनी भी यहां गलत बातें कहीं उनका विरोध करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उसके विरोध में स्वयं मन्त्रीजी उसका जवाब देगें तो वह आ जायेगा।

Page No 86

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मन्त्री महोदय की अकेले की ही जवाबदारी नहीं है।

श्री रामकिशन : टाइम जरूर मिलना चाहिए विरोध करने के लिए।

श्री मुक्तिलाल मोदी : (कोटपुतली): जिस प्रकार के एमेंडमेंट रखे है उन एमेंडमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए दूसरे लोगों को भी टाइम देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष :Order ! Order please मैं इस विषय में इन प्रस्तावों के लिए पौने चार बजे तक का समय निर्धारित करता हूं, और उसके पश्चात् पौने पांच बजे तक सब क्लॉजेज समाप्त हो जानी चाहिये। तत्पश्चात् उत्तर होगा, और इस बिल को पारित किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम काफी टाइम बढ़ा सकते हैं। यह बिल अपने आप में इतना कॉन्ट्रोवर्सियल है कि जिसमें इतने माननीय सदस्यों ने सिलेक्ट कमेटी के लिए एमेंडमेंट्स मूव किये हैं, और सदन को राइट ऑफ रिप्लाई भी है। इसके अलावा फिर दूसरे माननीय सदस्य इसका अपोजिशन भी कर सकते हैं। फिर क्लॉज बाई क्लॉज डिसकशन होगा तो अभी से सीमित कर दें टाइम तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इसको किसी न किसी तरीके से जबरदस्ती इम्पोज करना चाहती है। मैं यह कहूंगा कि सही ट्रेडीशन कायम करने का यह तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें बहस करने का सही समय दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! सारा समय इन बातों में ही खत्म हो जायगा। आप अपनी बहस प्रारम्भ रखिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, ३ घन्टे हो गये हैं इनको बोलते हुए लगातार।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ७ मिनट मैंने लिया उनमें से तीन मिनट तो दूसरों ने ले लिये। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और दो मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

मेरा इस मामले में कहना यह है कि युनिवर्सिटी की जांच तो जरूर होनी चाहिये यह मांग पहले रखी गई है और उप मंत्रीजी की यह मान्यता है कि उनको यह अधिकार नहीं है तो रोग बताने का हमारा काम है और इलाज करने का उनका काम है। अगर वे यह जानते हैं कि उनका नहीं है तो उनके अधिकार में लॉ डिपार्टमेंट है और सारा शिक्षा सचिवालय है। वे सारे उनकी मदद के लिए हैं। वे किसी तरह की व्यवस्था करके कोई भी संशोधन लाये जैसा कि यह संशोधन लाये हैं। अगर युनिवर्सिटी के मामलात की जांच नहीं होगी तो शिक्षा के क्षेत्र में जो उसके लिए बनी हुई धारणाएं हैं वे गलत होगी और शिक्षा को हानि होगी। यही नहीं बल्कि गलत परम्पराए मुल्क में पड़ेगी। अलीगढ़ युनिवर्सिटी की जांच हुई है इसके पहले, और तामिलनाड़ की जांच हो चुकी है। वहां पर भी अनियमितताए धन संबन्धी नियुक्ति और प्रशासन संबंधी, थीं। ये सारी अनियमितताएं जैसी कि उन युनिवर्सिटी में देखने को मिली है वैसी ही सारी यहां पर मिलेगी। मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि एक कमेटी नियुक्त की जाय। इसकी व्यवस्था जैसी कि माननीय उपमंत्रीजी चाहे वैसी करें।

(श्री रामकिशन)

एग्जाम्पल्स नियुक्तियों वगैरह में जो गड़बड़ियां की गई हैं बतला कर मैं सदन का समय नहीं लूंगा। मैं उप मन्त्रीजी को निजी तौर पर बतला दूंगा। वे ज्यादा पसन्द करते है कि घर पर जाकर बतला दें और उनके नोटिस में ला दें कि अमुक काम गलत हुआ है। उनकी जांच नहीं हो उस सूरत में बिल को पास कर देते हैं जैसा कि यह हैं तो निश्चित तौर से जो यह धारणा बनी है कि किस आदमी को गलत परम्परा से संरक्षण देने के लिए यह लाया गया है उसकी पुष्टि होगी। मैं समझता हूं कि उपशिक्षा मंत्रीजी नहीं लायेंगे। अगर इसी रूप में लाना है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी पर छोड़ देंगे।

श्री उपाध्यक्ष (श्री दुर्गालाल बाढ़दार से) : I will request you kindly to finish your speech within 10 minutes.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव द्वारा मांग करता हूं कि राजस्थान युनिवर्सिटी एमेंडमेंट बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने रखा जाय। इस पर सदन के माननीय सदस्यों ने अपने २ विचार व्यक्त किये। और अपने विचार व्यक्त करते समय जो मूलभूत धारणाएं लेकर उन सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है उसमें इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त की गई है कि राजस्थान की राज्य सरकार या सरकार के कुछ प्रमुख व्यक्ति की जिनका कि राज्य सरकार के संचालन में बहुत बड़ा हाथ है वे किसी व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह तरमीम, यह संशोधन इस कानून में ला रहे है।

मैं मानता हूं कि हमारे इस सदन का इन बातों से कोई संबंध नहीं होना चाहिये। मैं अपनी निजी धारणा भी इस प्रकार की रखता हूं कि जहां प्रजातांत्रिक प्रणाली है उसमें राज्य सरकार के प्रति इस प्रकार की भावना को लेकर चलते नहीं हैं लेकिन यह इस राजनीति में एक बड़ी गहरी चाल कभी कभी खेली जाया करती है। हो सकता है कि इन मुद्दों में भी ऐसी भावना हो लेकिन इन विषयों में जाने से विषयान्तर हो जाता है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं और ध्यान आकर्षित ही नहीं करता बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के सभी माननीय सदस्य मेरे इन विचारों पर पूर्ण सहमति प्रगट करते हुए मेरे प्रस्ताव का समर्थन करने की चेष्टा करेंगे।

मैं मूलभूत सिद्धान्त सदन के सामने रखता हूं। राजस्थान युनिवर्सिटी बिल शिक्षा की उच्चतम संस्था के विषय में इस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहता है यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय और वास्तविक रूप में देखा जाय तो यह बिल संशोधनात्मक बिल के रूप में कानून के रूप का जो पहले से चला आ रहा है उसका आमूलचूल रूप से, पूर्णरूप से परिवर्तन करता चला आ रहा है। जब हम कानून बनाते हैं और उस पर विचार करते हैं तो हमारे सामने समस्याएं आती हैं और वह यह कि यह बिल प्रगतिशील लॉ हैं या नहीं, यह इस प्रकार का है या नहीं कि जिस भावना को लेकर आगे

(श्री दुर्गालाल वाढ़दार)

बढ़ना चाहते हैं उसकी पूर्ति इससे होती है या नहीं। यह आप सब इस बिल की धाराओं का अवलोकन करेंगे, उन पर विचार करेंगे और इन धाराओं को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि युनिवर्सिटी शिक्षा की बहुत बड़ी संस्था है या क्षेत्र है जिसमें साधारण स्कूलों की शिक्षा का सवाल नहीं हैं। इसमें से वे स्नातक निकलते हैं जो आगे जाकर बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स होते हैं जो अपने ख्यालात में महत्वपूर्ण वातें रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस संस्था से निकलने वाले हैं ऐसे स्नातक जिस विश्व-विद्यालय से निकलने वाले हैं उसका निर्माण किस प्रकार होना चाहिये, उसकी कार्य-प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके कुलपति और उप-कुलपति किस प्रकार के होने चाहिये इन वातों पर विचार करना और इन वातों पर विचार करके इस पर निर्णय देना है।

इस विल में कुछ संशोधन चाहे गये हैं वे केवल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के ही नहीं हैं वल्कि जो संशोधन चाहते हैं वे वाइस चान्सलर की अपोइन्टमेन्ट के वारे में हैं, रजिस्ट्रार की अपोइन्टमेन्ट के वारे में है, सीनेट और सिन्डीकेट के वारे में है, और यही नहीं वल्कि सबसे महत्वपूर्ण वात की जो तरमीम करना चाहते हैं वह यह चाहते हैं कि फेकल्टीज रखना चाहते हैं वे किस प्रकार की होनी चाहिये और उन फेकल्टीज के डीन्स किस प्रकार के होने चाहियें। इतनी महत्वपूर्ण वातों का एक साथ संशोधन यह बिल चाहता है। यह वात मैं प्रत्येक माननीय सदस्य के कान में लाना चाहता हूं कि यह साधारण तरमीम नहीं हैं, मामूली तरमीम नहीं है जिसके द्वारा दो-चार धाराओं में तरमीम चाही गयी हो बल्कि हमारे पुराने कानून में बिल्कुल परिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसे कानून को परिवर्तन के लिये यदि वास्तव में प्रवर समिति के समक्ष भेजा जाता है तो मैं समझता हूं प्रजातांत्रिक शासन-प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति के विचारों का समन्वय करते हुए समझौता होगा। जो सुझाव हमारे सामने आते हैं उन पर विचार करते हुए कानून पास करने की चेष्टा करें तो मैं समझता हूं राज्य सरकार के लिये उपयुक्त बात होगी। मैं जहां तक महसूस करता हूं विद्वान शिक्षा मंत्री का इस बिल से बहुत बड़ा संबंध है। मैं आशा यह करता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी का इससे बहुत बड़ा संबंध है इसलिये उनको यहां प्रत्येक क्षण उपस्थित रहना चाहिये, मैं समझता हूं किसी कारणवश इधर उधर जाते होंगे। लेकिन हमारे कर्मठ शिक्षा उप-मंत्री……

श्री रामकिशन : कर्त्ता धर्ता वही हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं तो दूसरी ही वात समझ रहा हूं। मेरा निवेदन यह था उनके सामने कि जैसा आपने अपने क्षेत्र में, मैं तो इसको भी परे नहीं समझता, जो तत्परता आपने अपने क्षेत्र में दिखाई है उसी प्रकार की प्रगतिशील भावना को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से इस बिल को सदन के सामने रखते हैं, क्या इस बिल के द्वारा, इसको सदन के माननीय सदस्यों पर थोप कर हमारी सच्ची भावनाओं का प्रतिपादन कराना चाहते हैं। यह माननीय उप-मंत्री का सोचना हो सकता है। मैं मानता हूं कुछ वातें मजबूरियों की उप-मंत्री जी की

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

हो सकती हैं जिसके कारण पास कराना हो लेकिन हृदय से वे भी चाहते होंगे कि इसको प्रवर समिति के सामने भेजा जाय जिसके सदस्य वास्तव में कानून को समझने वाले होंगे जो सारी विचारधाराओं को अपने सामने व्यक्त करेंगे अमूल्य सुझाव उनके सामने रहेंगे और इन सुझावों की कद्र करना प्रत्येक प्रजातांत्रिक प्रणाली का कर्त्तव्य है ।

हमारी मांग ऐसी मांग नहीं है कि हम कोई इसका विरोध करते हों, हमारी मांग ऐसी मांग नहीं है जिससे यह कहें कि राज्य सरकार को इस प्रकार का कानून लाने का अधिकार नहीं है । हमारी मांग साधारण है, हमारी मांग वाजिब है और जायज़ है और उसके द्वारा राज्य सरकार के सामने केवल यह याचना करना चाहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि आप इस बिल को प्रवर समिति के सामने भेज दीजिये, ऐसे आदमियों की कमेटी के सामने भेज दीजिये जो विचार व्यक्त कर सकें, भावना व्यक्त कर सकें । मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस संस्था से निकलने वाले विद्यार्थी, जैसे पहले बताया था विश्व विद्यालय के स्नातक राष्ट्र के कर्णधार होते हैं, उन्हीं पर देश की भावी उन्नति निर्भर होती है, राष्ट्र की उन्नति उनके साथ जुड़ी हुई होती है ऐसे विश्व विद्यालय के लिये ऐसा कानून बनादें जिसमें शिक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं हो उसमें कार्य करने वाले चान्सलर, वाइस चान्सलर की नियुक्ति के बारे में ठीक तौर से विचार नहीं कर सकें तो ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं है । हमें सोच समझ कर कानून बनाना चाहिये ।

मैं उप-मंत्रीजी के सामने पुराणों में वर्णित एक महर्षि के बारे में बताना चाहता हूं जिनके पास ६०,००० विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे । उनको कुलपति समझ लीजिये, उप-कुलपति समझ लीजिये । उनको इतना ज्ञान था कि ६० हजार विद्यार्थियों का नाम, पता और उनके आचरण के विषय में जानते थे । एक बार जब वे ६० हजार विद्यार्थियों के सामने एक साथ संभाषण कर रहे थे तब एक अजनबी व्यक्ति उस संस्था में आकर बैठ गया और उस उप-कुलपति महर्षि ने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा पहचान लिया कि वह कौन है । उन्होंने उससे प्रश्न किया कि तुम यह बताओ कि तुम कौन हो और यहां किस लिये आये हो ? उसने जवाब दिया कि मैं देवताओं का राजा इन्द्र हूं और मुझे मालूम हुआ है कि आप मधु विद्या को जानते हो, ब्रह्म विद्या को जानते हो और इसको जानने वाला आपके सिवाय दूसरा नहीं है इसलिये मैं यह ज्ञान प्राप्त करने आया हूं । उन्होंने सोचा कि जो आदमी अपने आपको देवताओं का राजा बताता है और इस प्रकार से बात करता है और जिस विद्यार्थी में विनम्रता नहीं हो, जो गुरु का सम्मान नहीं करता हो उसको "मधु" विद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं है और उन्होंने विद्यादान देने से इन्कार कर दिया । पुराणों को पढ़ने वाले सभी जानते हैं कि देवताओं के राजा इन्द्र का विरोध करने वालों की क्या गति होती है ? इसका अर्थ यह हुआ कि उस कुलपति महर्षि को अपना सिर देना पड़ा । लेकिन एक आदर्श पर चल कर उन कुलपति या उप-कुलपति ने राष्ट्र में सम्मान कायम किया । इस परम्परा को कायम रखने के लिए, सुयोग्य व्यक्तियों को ऊंचा बढ़ाने के लिए,

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

अच्छी शिक्षा का प्रचार करने के लिए यदि कुलपति और उप-कुलपति को अपनी गर्दन भी देनी पड़े तो उसकी चिन्ता नहीं करते…

श्री अब्दुल जब्बार : ये कटायेंगे अपनी गर्दन ।

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री दुर्गालाल बाढदार: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे आत्म-विश्वास है और मैं यह मान्यता और धारणा मान कर चलता हूं कि जिस संस्कृति का एक छोटा सा उदाहरण मैंने माननीय सदस्यों के सामने रखा उस संस्कृति का यहां पर समर्थन करने वाले हमारे शिक्षा मंत्री और उप-शिक्षामंत्री भाग्य से हमें मिले हुए हैं। मैं समझता हूं कि अपनी……

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : यह उदाहरण, जो कुलपति पर लागू होता है, हम पर आता नहीं ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : संरक्षक होने के नाते आप पर भी लागू होता है।

श्री दुर्गालाल बाढदार: आप पर भी लागू होता है यदि इस सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणत कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि उस संस्कृति को इस प्रान्त में कायम रखने का शिक्षा मंत्री का प्रधान कर्त्तव्य और धर्म हो जाता है। इस दृष्टि से मैं निवेदन करता हूं। मेरा निवेदन करना था, उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर, जैसा मैंने बताया, केवल थोड़े सूक्ष्म रूप से इसके एम्स एन्ड ऑब्जेक्टस के बारे में दो बातें कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

"After coming into force of Jodhpur University, Act, 1962, and the Rajasthan Agricultural University Act, 1962, it has become necessary to redefine territorial jurisdiction of University of Rajasthan.

It has also been considered expedient to make changes in the Act, to bring it in as much in line with the new Jodhpur University Act as possible in the present circumstances. Hence this Bill."

एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स इस बिल के प्रस्तावक का एकमात्र यह रह जाता है राजस्थान युनिवर्सिटी एक्ट, जिसे इस सदन ने पारित किया, इस सदन ने पास किया, उस एक्ट को इस मौजूदा कानून को बना कर, आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा ही आगे जाकर और जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा उन्होंने मैमोरेन्डम रिगार्डिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दिया है। यह कानुन का मूलभूत सिद्धान्त है "Powers delegated cannot be redelegated." मेरा निवेदन करना यह था कि कुछ पॉवर्स वाइस चान्सलर को देने के लिए, या चान्सलर को देने के लिए इस कानून में भी वे परिवर्तन करना चाहते हैं। जो एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स इस सदन को बताये जाते हैं उन एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स को वे बिल्कुल भूल जाते हैं जब आगे जाकर मेमोरेन्डम देते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात है वह यह है कि जो धाराओं में तरमीम चाहते हैं, उन तरमीमों में भी यह बात नहीं रहती हैं बल्कि पहला क्लाज, जिसका अमेंडमेंट चाहते हैं,

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

जिसकी तरमीम चाहते हैं, उस तरमीम के द्वारा वे बतलाना चाहते हैं।" Subject to the provisions of the Jodhpur University Act. and of other Universities, territorial jurisdiction of the present University is going to be curtailed. That is sum and substance and intention of that clause, which is going to be amended."

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मेरा अर्ज करने का मतलब यह था (घंटी) इस क्लॉज के द्वारा Just closing One minute more. इस क्लॉज के द्वारा मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि जो जुरिस्डिक्शन या कार्य करने का क्षेत्र इस यूनिवर्सिटी का है, उस कार्य क्षेत्र में भी एक प्रकार परिवर्तन का चाहा जाता है-वह क्षेत्र कंट्रोल करने वाले दूसरे सब्सीक्युएन्ट इनेक्टमेंट्स जो कानून बाद में बनाये गये हैं, वे कानून इसमें अधिकार रखेंगे। यह सोचने का प्रश्न है। ये दोनों कानून इस सदन ने पास किये हैं और सदन ने पास करने से पूर्व उन्हें सिलेक्ट कमेटी में भेजा था और उनकी ओपीनियन्स प्राप्त की थीं। उसके बाद कुछ संशोधन के साथ वे सदन के सामने आये और उन्हें पास किया गया। यही याचना हमारी राज्य सरकार और विशेष रूप से इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले प्रस्तावकों से प्रस्तुत करता हूं, वही चीज में आपके सामने रखता हूं उस वक्त हमने जो सुझाव दिया था, उस सुझाव को आपने माना था, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इन सुझावों को अब भी मानेंगे और इस प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बारे में स्वयं स्वेच्छा से एग्री हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब इस विधेयक को प्रवर समिति के सामने रखने का प्रस्ताव रखा तो उसका मकसद इस विधेयक को किसी प्रकार देरी में डालने का नहीं है, न ही हमारी यह मान्यता है कि वर्तमान यूनिवर्सिटी का जो कानून हैं, उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं हैं। परन्तु जिन हालात में इस विधेयक को लाया गया है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार अपने इस पार्लियामेन्ट्री सिस्टम में एक बहुत गलत ट्रेडीशन डाल रही है। जो भी आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स हमारे सामने रखे गये हैं, उनमें कोई भी बात ऐसी नहीं जिससे इस कानून की इमरजेन्सी महसूस होती हो, अन्यथा हम लोग इस प्रकार के नहीं कि सरकार की उन आवश्यकताओं को महसूस करते हुए, या युनिवर्सिटी में किसी इमरजेन्सी महसूस करते हुए, इस कानून को इमरजेन्ट तरीके से पास करने में सहयोग न दें। परंतु मुझे खेद है, जब यह असेम्बली का सेशन काल किया गया, उस समय सरकार के सामने इस प्रकार का कानून लाने की कोई मन्शा नहीं थी। आज से एक सप्ताह पहले भी, जब यह सदन तीन रोज के लिए स्थगित हुआ था, उस समय सरकार की योजना इस प्रकार का कोई बिल लाने की नहीं थी परन्तु अब एकदम यह बिल इस हाउस में इन्ट्रोड्यूस हो और सरकार की ओर से इस बात के लिए आग्रह किया जाय कि बहुत थोड़े समय में, बहुत थोड़ी बहस के बाद इतने महत्वपूर्ण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विधेयक को, जिसका कि हमारे फ्यूचर से, हमारी नई जनरेशन से सम्बन्ध हो, उसको ध्यान में न रखते हुए, उसके महत्व को ध्यान में न रखते हुए और इसको जल्दबाजी में पास कर दें इस प्रकार की आकांक्षा हमसे की जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी इस बिल के प्रोवीजन्स हैं, या जो भी आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स इसके अन्दर रखे गये हैं, वे न तो इस इमरजेन्सी को जाहिर करते हैं और न ही उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जो कि आज इस युनिवर्सिटी के हालात को देखते हुए इस मौजूदा कानून में, इस मौजूदा युनिवर्सिटी एक्ट में वास्तव में जिन चीजों के संशोधन की आवश्यकता थी, उन्हीं आवश्यकताओं को यह बिल पूरा नहीं करता । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह जान कर बहुत खेद हुआ कि हमारी युनिवर्सिटी जैसी संस्था भी आज एक गुटबाजी का अखाड़ा बनी हुई है और जिस प्रकार के अभी माननीय सदस्यों के भाषण आपको सुनने को मिले या इस सदन से बाहर इस बिल के पक्ष में या विपक्ष में जिस प्रकार से युनिवर्सिटी के लोगों से सम्पर्क हुआ, उनसे हमें तो पहली बार इस बात का ज्ञान हुआ कि किस प्रकार हमारी राजस्थान युनिवर्सिटी एक गुटबाजी का अखाड़ा बनी हुई है । मैं समझता हूं कि इस सदन के इधर बैठने या उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों को चाहिए कि यह स्थिति है, यह बहुत ही अवांछनीय स्थिति है, इसलिए हम सभी को मिल कर एक स्वर से–विश्व-विद्यालय की स्थिति को, गुटबाजी की स्थिति को एक ऐसे पवित्र स्थान में, जिसमें इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए, उसको खत्म करने की ओर कदम बढ़ाया जाना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि हमारी सरकार बजाय इसके कि ऐसा कदम उठाती कि जिससे तमाम युनिवर्सिटी में, उसकी तमाम बॉडीज में इस प्रकार का एक विश्वास पैदा होता कि हमारी सरकार वास्तव में अवांछनीय स्थिति को समाप्त करना चाहती है, ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी सरकार स्वयं इस गुट बाजी का शिकार बन रही है और उसको साथ दे रही है, उसको किसी के हाथ का टूल बना रही है । चाहे आज हमारी सरकार के कर्णधार इस बात को स्वीकार करें या न करें लेकिन आज जयपुर की सड़कों पर इस बात की चर्चा है, जो लोग युनिवर्सिटी की बात को जानते हैं उनकी जुबान पर चर्चा है, गवर्नमेंट के लोगों से इस संबन्ध में बात चीत की वें भी इसका उत्तर संतोषजनक नहीं दे सके । मैं यह कहूंगा कि हमारे उप-कुलपति निष्पक्ष हो मगर इस बिल के द्वारा उनको किसी न किसी तरह से कायम रखा जावे उसके लिये यह लाया गया है । मुझे मौजूदा उप-कुलपति से कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है न कोई व्यक्तिगत आपत्ति ही है कि उनको नहीं रखा जाना चाहिये परन्तु जिस तरह से इन सारी चीजों को शिक्षा विभाग में एक क्षेत्र के लोगों द्वारा मोनोपोली की जा रही है उसके लिये मैं यह कहूंगा कि It is a hoax on democracy. यह हमारे तमाम अॉपोजिशन के पॉवर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): Point of order, Sir. I would like to know whether the word 'hoax' used by the hon'ble Member is parliamentary or not.

श्री उपाध्यक्ष : It has been used in such a context that atleast he should not be allowed to ..

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is completely parliamentary.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I want your ruling about it.

श्री उपाध्यक्ष : What was the context ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : The way adopted by the Government by Government is a hoax on this House.

श्री रामानन्द अग्रवाल : I again repeat it - hoax on democracy.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Not at all.

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is a question of opinion. But it is not unparliamentary expression. You want to play hoax on democracy and you also want to stop our opinion.

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : I want ruling of the Chair, not your comments.

श्री उपाध्यक्ष : 'Hoax' was in reference to what ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : I say, the way in which Government is bringing this legislation, in order to provide the present Vice-Chancellor, is a hoax on democracy, and, therfore, the Government should.........

श्री उपाध्यक्ष : Order please. ! My observation is that it is quite a strong expression, but not unparliamentary.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आखिर हमारी सरकार के पास इस बात का क्या उत्तर है कि आपका एक विरोधी दल जिसमें आपकी शक्ति और उनकी शक्ति में केवल एक या दो मतों का अन्तर है जिससे आप रोजमर्रा सहयोग की भावना प्रकट करते हैं और आशा प्रकट करते हैं और विरोधी दल की सर्वसम्मत राय, केवल एक मांग करते हैं कि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो पोलिटिकल नहीं है जिस पर हम शांति से बैठकर विचार कर लें, हम यह नहीं कहते कि आप इस बिल को विद ड्रा करें या आप पर्टीकुलर तरीके से इसको एमेन्ड करें । यह हम मांग कर रहे हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी को दे दें और वक्त पर हम वहां पर इस पर विचार करें । अगर आप विरोधीदल की इस मांग को स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपको इसमें कौनसी दिक्कत है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जिससे आपके एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ी हो जावेगी। यदि कोई इस प्रकार की आवश्यकता हो कि इसको जल्दी पास किया जाए और इसके बगैर काम नहीं चल सकता तो हम तमाम दो-तीन दिन रुक कर भी इसको पास करने को तैयार हैं। मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस प्रकार की बात नहीं कही गई है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वास्तविक रूप से चार तरह की बातें कही गई है। एक तो यह कि फाइनेन्सियल क्राइसेस है। इस मौजूदा यूनिवर्सिटी में कुछ एसेट्स को मोर्टगेज रख कर काम चलाया जा रहा है। दूसरा यह भी एलिगेशन है कि इर्रेगुलर एक्सपेन्सेज हुए हैं ग्रौर ग्रपोइन्टमेंटस भी इर्रेगुलर हुई है। इसके ग्रलावा इस प्रकार की शिकायत भी है कि जो कॉलेजेज टेक ग्रोवर किये उसमें सही तरीके से लेक्चरारों को नहीं चुना गया है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में संतोष नहीं है। हमारे इस सदन में मंत्री महोदय ने ग्राश्वासन दिया था कि किसी तरह से फीस नहीं बढाई जावेगी वह फीस बढादी गई। यह डेमोक्रेसी है। यदि उप मंत्री वास्तव में कोई नया विधेयक लाते या एमेन्डमेंट लाते तो इस प्रकार का लाना चाहिये था कि इसमें ये ये खामियें है इसलिये इसको सदन पास करे, सदन उसको पास करता। इधर बैठने वाले माननीय सदस्य ग्रौर उस साइड में बैठनेवाले भी उससे सहमत होगे कि जो विधेयक बने वह उन उसकी खामियों को पूरा करने वाला हो ताकि ग्रायन्दा ऐसा न हो कि सिन्डीकेट एडमिनिस्ट्रेशन पर कन्ट्रोल न कर पाये ग्रौर फाइनेन्स की कमी हो उसको दूर करने का प्रयत्न करके उसको मजबूत बनाया जावे, मगर इस प्रकार के पॉवर्स उपकुलपति को नहीं दिये जा सकते कि गलत तरीके से वह पॉवर को यूज करें। हो सकता है कि कोई गलत एपॉइन्टमेंट हो जाए। मगर यह उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का कानून पेश किया हैं वह इसलिये पेश किया गया है कि जो पॉवर्स पहले उनको है उसके बजाय कम करने के, ज्यादा से ज्यादा ग्रधिकार उनके स्थापित हो जावें। इससे यह होगा कि सिन्डीकेट का ग्रंगूठा कराया जावेगा ग्रौर एपोइन्टमेंट के बारे में, फाइनेन्स के बारे में मनमानी कार्यवाही होगी उस पर ग्रापका चैक नहीं ग्रौर डेमोक्रेसी का प्रसार ग्रौर विकास करने के बजाय ऐसा वातावरण युनिवर्सिटी में वनाया जावेगा कि शिक्षा पाने वाले ग्रपने दिमाग को सही नहीं बना पावें ग्रौर यहाँ से एक संकुचित दृष्टिकोण ले कर जावें। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

जिस प्रकार ग्रॉबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स इस बिल को प्रस्तुत करने को दिये हैं वे एक्चुग्रल हालात को प्रस्तुत नहीं करते। ऐसी हालत में जो विधेयक हमारे सामने ग्राया है, जिस प्रकार की युनिवर्सिटी में चेन्जेज ग्रौर एमेंडमेंट की जरूरत है उसकी पूर्ति नहीं करता ग्रौर मेरा यह कहना हैं कि यह विधेयक ग्रपूर्ण है ग्रौर ग्रनावश्यक है। इस समय इसकी कोई ग्रावश्यकता नहीं है। दूसरी बात ग्रौर है जिसकी ग्रोर मैं ग्रापका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

I have not taken much of your time. I would request you to give me a few minutes more.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात ग्रौर यह कहना चाहूंगा कि ग्राज ऐसा भी मालूम पड़ता है कि जिस प्रकार से कुछ लोग एक पर्टिक्युलर वाइस चान्सलर में इन्ट्रेस्टेड हैं तो कुछ दूसरे लोगों की निगाह में दूसरा व्यक्ति वाइस चान्सलर के लिये निगाह में है ग्रौर

Page No 95

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मौजूदा है उनसे पब्लिक बहुत घबरा गई है। पब्लिक इस प्रकार की भावना व्यक्त करती है कि मौजूदा वाइसचान्सलर है इनको जाना चाहिये और इसकी जगह दूसरा आना चाहिये।

मैं समझता हूं कि शिक्षा शास्त्रियों ने जो आधार युनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर को मुकर्रर करने के लिये रखें हैं उसी आधार पर हमें वाइस चान्सलर को मुकर्रर करना चाहिये और इस प्रकार का संशोधन करना चाहिये जिस प्रकार का प्रावधान वाइस चान्सलर की नियुक्ति करने के लिये लिखा है या सिन्डीकेट को बनाने का रखा है या सीनेट का रखा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो यह एज्युकेशन कमिशन की रिकमन्डेशन के बिलकुल विपरीत होगा। मैं समझता हूं कि हमारे देश के सबसे बड़े शिक्षा शास्त्री हैं वे अपने बड़े अनुभव और आधारों पर रिकमन्डेशन किया करते हैं। हमारी सरकार नये लोगों को प्रोवाइड करने की दृष्टि से इस प्रकार का ब्लंडर करना चाहती है तो मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार को इस तरह का ब्लंडर नहीं करना चाहिये जो आने वाले लोगों के लिये हानि कारक हो। इसलिये मैं गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहूंगा कि वह सीरियसली इस बात पर विचार करें और इसे जल्दबाजी में पास करने पर ही विचार नहीं करे; बल्कि इन सब बातों पर भी विचार करें कि इनका रिपल्शन क्या होगा।

मैं आशा करता हूं कि सिलेक्ट कमेटी को इस बिल के सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव को सरकार अवश्य स्वीकार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशकुमार।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषण नहीं कर सकते।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैंने तो आप की इजाजत चाही है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अभी मोशन है। श्री सतीशकुमार।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्ष, हमारी जनता की सरकार कोई भी विधेयक लाती है या कोई भी अमेंडमेंट लाती है तो उसके हैडिंग को देखकर हम सोचते हैं कि कोई न कोई जनता की मांग होगी, या कोई वजूहात ऐसे पैदा हो गये होंगे कि इस प्रकार के अमेंडमेंट या विधेयक के लाये वगैर हमारी व्यवस्था अच्छी तरह नहीं चल सकती।

यह युनिवर्सिटी का विषय नया नहीं है, इसके बारे में बातें सुनते सुनते हमारे और आम जनता के कान पके हुए थे। हम जरूरत महसूस करते थे कि सरकार को भी उन बातों का पता है और वह कोई न कोई कानून, कोई न कोई अमेंडमेंट रखने वाली है वह इसी बात के मुतल्लिक होगा जिसकी कि चर्चा हम रात दिन सुनते रहे हैं। जब इसके हैडिंग को देखा और इसके बाद इसके ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स को देखा तो मालूम हुआ कि यह तो बहुत साधारण सी बात है, कई क्लेरिकल मिस्टेक्स पैदा होती हैं, जोधपुर युनिवर्सिटी बिल बनने के बाद में, उनको ठीक करने के लिये यह बिल लाया गया है।

(सतीशकुमार शर्मा)

पर आज जब इन बातों का रहस्योद्घाटन सदन में हुआ तो मुझे दुख हुआ कि हमारे उप-मन्त्री महोदय, जिनकी कुछ कार्यवाहियों से मुझे ही नहीं बाहर के लोगों को भी खुशी पैदा हुई थी कि शिक्षा विभाग में आज गुट्ट-बन्दी फैली हुई है उस गुट्टबन्दी का भेदन करके उप मंत्रीजी उस चक्र व्यूह का भेदन करके अन्दर घुसना चाहते हैं, आप यहां एक बड़ी पूअर दलील ले कर आते हैं कि मुझे युनिवर्सिटी की बातों का पता नहीं था। जब आपको इन बातों का पता नहीं था····

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपको यह अहलाम कैसे पैदा हुआ कि उन्हें पता नहीं·······

श्री सतीशकुमार शर्मा : उन्होंने खुद ने कहा था, आप चाय पीने गये थे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : I still stress this point with all the firmness at my command that this is an autonomous body with independent administration and we are not expected, as personnel of the Government, to have an access to it.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ओटोनोमस बोडी में सरकार अपने आपसे संशोधन क्यों ला रही है? उन्हें पूछ कर लाती।

श्री सतीशकुमार शर्मा : On that stress, I will again stress that it is equally poor on the part of the Government that it does not know details of such an important matter.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : That means we are fighting all this autonomy.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : You are breaking convention

श्री निरंजन नाथ आचार्य : Not exactly.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, continue.

श्री सतीशकुमार शर्मा : इसके ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स को पढ़ने के बाद, अमेंडिंग बिल के प्रावधानों को देखते ,हैं सिन्डीकेट के कन्स्ट्रक्शन को देखते हैं तो पहले चुने हुए आदमियों कि संख्या १२ थी उसको घटा कर दो कर दी है। हम यहां जिस आधार पर बैठे हैं, हम जमीन से पैदा होकर आये हैं जिसको डेमोक्रेटिक सोइल कह सकते हैं। जहां तक सरकार का सवाल है अनजाने करती है पर उनको पता नहीं है कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी को जड़ से काट रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूं कि पौने चार के बजाय ४ बजे तक इस पर वाद-विवाद होकर फिर सरकार का जवाब होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष, अभी तो सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव पर भी पूरे बोले नहीं हैं......

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री सतीशकुमार शर्मा : क्लॉज १८ को अमेंड किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को सेक्शन्स पर आने की आवश्यकता नहीं, इस समय तो सामान्य सिद्धान्तों पर बात की जाय।

श्री सतीशकुमार शर्मा : मैं यह अर्ज कर रहा था कि दो बातें सैद्धान्तिक रूप से देखनी पड़ेंगी। जो एक्ट बनता है तो देखना पड़ेगा कि वह प्रजातान्त्रिक भावना को प्रोत्साहन देता है या उसकी जड़ों को काटने का आधार बनता है। यह भी सिद्धान्त का प्रश्न है कि जहां डेफिनेट एलिगेशन इस बात का है कि इस एक्ट को लाने की वजह यह है कि एक व्यक्ति की मियाद को बढ़ाने के लिये यह सब किया जा रहा है। इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता तो इस तरह की बात होगी कि हम थाने में रिपोर्ट करते हैं कि एक आदमी मार दिया गया है और थाने वाले केस रजिस्टर नहीं करते, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। आज सारा ऑपोजिशन एक आवाज में कहता है कि एक उप-कुलपति को रखने के लिये यह बिल ला रहे हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : इसके लिये नहीं रख रहे हैं।

श्री सतीशकुमार शर्मा : इस बिल में इलेक्टेड मेम्बर्स की जगह सभी नोमीनेटेड मेम्बर्स रखे हैं। इसमें तरमीमें की गई हैं उनके आधार पर नोमिनेटेड मेम्बर्स की संख्या बढ़ेगी। अगर यह बिल एक व्यक्ति को बनाये रखने के लिये नहीं लाया जा रहा है तो इस प्रकार की तरमीमें लाने की क्या आवश्यकता हुई? चाहे गृह मंत्रीजी कितनी ही वकालात करें पर हम नहीं मान सकते कि जोधपुर युनिवर्सिटी से इसका सम्बन्ध हो सकता है। वाकई इसकी मंशा नोमिनेटेड मेम्बर्स रखने की है इलेक्टेड की जगह।

दूसरी तरफ देखा जाय तो युनिवर्सिटी की आर्थिक दशा इतनी खराब हो गई है कि लाखों रुपयों का घोटाला वहां हो गया, यह क्लास पोलिसी सरकार की है उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्विटजरलेंड से फर्नीचर और सामान मंगवाया गया, फोरेन का टूर किया और युनिवर्सिटी की आर्थिक दशा बिलकुल खराब करदी गई। पिछले साल अपील निकाली गई लेक्चरार्स के नाम कि हमारी आर्थिक दशा खराब है इसलिये ४ रुपये इन्विजिलेंस की फीस मत लीजिये। जितने पोस्ट ग्रेज्युएट कॉलेज के प्रिंसिपल आते थे अब नहीं आयेंगे। अब इलेक्टेड की जगह नोमिनेट करेंगे तो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, इस इन्स्टीट्यूशन को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाया जा रहा है।

आशा तो हम सरकार से यह रखते थे कि जिस प्रकार के एलिगेशन्स उन पर लगाये गये हैं, डिस्ऑनेस्टी के एलिगेशन्स उन पर लगाये गये हैं, इनकी सरकार जांच करायेगी, आर्थिक घोटाला हुआ है उसकी जांच करायेगी पर यह नहीं करके उसकी बजाय इस इन्स्टीट्यूशन में डिक्टेटरशिप के पावर्स दिये जा रहे हैं।

तो मैं निवेदन करूंगा कि इन भावनाओं की कद्र करते हुए आप इसे प्रवर समिति को देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर सदन के बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं और उन्होंने इस बिल को लाने की एक ही नियत

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बताई है कि वर्तमान वाइस चान्सलर को सरकार एक्टेन्शन देना चाहती है। मैं नहीं समझता कि सरकार की मंशा क्या है क्योंकि कोई ग्रोथेन्टिकेटेड स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं दिया गया हैं।

युनिवर्सिटी बिल है उसके मातहत इसके लिये सरकार को इस प्रकार का संशोधन रखने की आवश्यकता नहीं थी, सिण्डीकेट ही ऐसी बॉडी है जो वाइस चान्सलर को एक्सटेन्शन दे सकती है। उस सिन्डिकेट ने कोई अपनी इच्छा जाहिर की हो या अनिच्छा जाहिर की हो कि वर्तमान वाइस चान्सलर को एक्सटेन्शन देना चाहती है, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई घटना हुई है। लेकिन हुआ क्या ? चूकि एक्सटेन्शन देना चाहती हैं उसको प्रिमेडिटेटेड करके सरकार पर चार्ज लगाये कि एक्टेन्शन नहीं देना चाहती है इसलिए इस प्रकार का यह नया बिल आज यहां लाया गया है। इसको सरकार स्पष्ट करेगी। जो इल्जामात लगाये गये हैं और मैं भी लगाऊंगा, उनके साथ साथ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्तमान चान्सलर को कुछ क्रेडिट देना पड़ेगा। १२ वर्ष तक ६-६ वर्ष के लिए वाइस चान्सलर रहे तो १९ प्रोफेसर की ही संख्या युनिवर्सिटी में रही। जब से वर्तमान वाइस चान्सलर ने टेक अप किया है उन्होंने अपने काल के अन्दर ७९ टीचर्स लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स की संख्या करदी है। नयी नयी बेंचेज में स्टेडी कायम की गई और जब से यहां के चार कॉलेजेज को युनिवर्सिटी ने टेक ओवर किया है तो उपाध्यक्ष महोदय, आज कल उनकी संख्या रीडर्स लेक्चरार्स प्रोफेसर्स की संख्या ३५० हो गई है। वर्तमान वाइस चान्सलर की मियाद में काफी इस ओर एक्टेशन हुआ है युनिवर्सिटी में ६ हजार की संख्या हो गई है।

राजस्थान की युनिवर्सिटी आज हिन्दुस्तान की युनिवर्सिटीज में एक फर्स्ट क्लास युनिवर्सिटी गिनी जाने लगी हैं। देश के बड़े बड़े प्रख्यात लेक्चरार्स स्कोलर्स रीडर्स युनिवर्सिटी मे आना चाहते हैं और उनको लाया जाने लगा है वे राजस्थान के विद्यार्थियों की सेवा करना चाहते हैं इससे किसी प्रकार भी इन्कार नहीं किया जा सकता है और यह वर्तमान वाइस चान्सलर के एफर्ट्स से सम्भव हो रहा है। इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है लेकिन कुछ बातें सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि युनिवर्सिटी में जो कुछ अच्छाइयां हुई हैं उनको नजरअन्दाज कर दिया जाय। एक्स्पर्ट्स की नियुक्तियों का सवाल आता है। सिलेक्शन बोर्ड ने नियुक्तियां की। एक आये नहीं और गैर हाजरी में दसों अपोइन्टमेंन्ट कर दिये इस बात की नाराजगी प्रकट की गई है। अपोइन्टमेंन्ट करते हैं। उसका सवाल है किन्तु भावात्मक एकता की भी बात करते हैं। कम से कम युनिवर्सिटी में जब आप अपोइन्टमेंन्ट करते हैं तो व्यक्तिगत भावनाओं को ऊपर रख कर अपोइन्टमेन्ट देने होंगे इसलिए इस बात को गंभीरता पूर्वक देखें और यह देखें कि युनिवर्सिटी में जो अपोइन्टमेन्ट्स हुए हैं वाइस चान्सलर पर जो आरोप लगाये जा रहे हैं उनकी जांच की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि युनिवर्सिटी एक ओटोनोमस बोडी है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उपाध्यक्ष महोदय, कृपा कर कष्ट करके, ६० में वाइस चान्सलर्स की एक कान्फ्रेन्स हुई थी और युनिवर्सिटी को ग्रोटोनोमस किया गया, उस चेप्टर को पढ़ें कि हिन्दुस्तान के वाइस चान्सलर्स ने क्या विचार व्यक्त किये हैं। कहीं भी यह नहीं कहा गया कि फाइनेन्शियल मेटर्स में युनिवर्सिटी ग्रोटोनोमस है। एड-मिनिस्ट्रेशन के माने में ग्रोटोनोमस है, यदि एक स्वर से ग्रोटोनोमी की मांग की गई है तो वह केवल एकेडेमिक ग्रोटोनोमी की है। मैं उसका बड़ा हामी हूं। लेकिन जब भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप लगें तो युनिवर्सिटी की ग्रोटोनोमी को लेकर यह कहें कि वे आरोप न लेंगे मैं आपको बताऊंगा कि पं० हृदयनाथ कुंजरु ने कहा कि फेवर करते हैं तो मामला गंभीर हो जाता है, इन्टरफियर न करें। पंचायतों और दूसरी जगहों में जब इन्टरफियर करते हैं आप तो उनको सुपरसीड कर देते हैं म्युनिसिपेलिटी को सुपरसीड कर देते हैं जब कि भ्रष्टाचार के आरोप हों और आपकी इन्क्वायरी से मालूम हो यह अलग बात है कि विरोधी दल की म्युनिसिपेलिटी को आप भंग कर दें चाहे ठीक काम करती हो तब भी लेकिन एक सिद्धान्त के तौर पर कहता हूं कि यदि किसी प्रकार कानून के द्वारा काम न करें, पक्षपात और भ्रष्टाचार करें तो उनको जांच करने के बाद भंग किया जा सकता है। युनिवर्सिटी में पक्षपात के आरोप हैं सिन्डिकेट को भंग करना चाहिये और वाइस चान्सलर को रिमूव तक करने के अधिकार आप के पास रखने चाहिये। और यदि आपके इस कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है तो इस प्रकार की इमरजेन्सी को मीट करने के लिए प्रावधान लाना चाहिये। ऑटोनोमी के नाम पर भ्रष्टाचार, पक्षपात, गड़बड़ी और फाइनेन्शियल इर्रेगुलेरिटीज को बर्दाश्त करना खतरनाक है, इनकी जांच होनी चाहिये, इन मामलों को ग्रोटोनोमी में नहीं माना जाना चाहिये। इसलिए आप फाईनेन्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी को अलग रखिये और एकेडेमिक ऑटोनोमी को अलग रखिये। युनिवर्सिटी एक्ट विधान सभा ने स्वीकार किया है, सोसाइटी प्लान्ड वे में चला रहे है और जीवन के हर क्षेत्र में नियोजित किया है, उससे युनिवर्सिटी अलग नहीं रहती है। युनिवर्सिटी एक स्टेट्यूट के द्वारा घोषित की गई है और उसका यह काम इस सदन के ऊपर नहीं है। सदन ने युनिवर्सिटीज के अफेयर्स में प्रोब करने का अधिकार अपने में रखा है। लाखों रुपया देते हैं। कोई उनको दान में नहीं देते हैं युनिवर्सिटी एक संस्था है और उसको जो रुपया दिया जाता है उसका वाइस चान्सलर कस्टोडियन है। उनको दिया जाता है। जनता का पैसा है। जनता की ओर से हम एलोकेट करते हैं उस पैसे को उसकी पाई पाई किसमें खर्च होती है उसको प्रोब करने का अधिकार इस विधान सभा को है। इस प्रकार का अधिकार प्रोब करने का नहीं रखें और ग्रोटोनोमी का गलत ख्याल बना रखें तो सोसियलिज्म में ऐसा ख्याल नहीं चल सकता है। यदि गलत ढंग से कार्यवाही करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी सदन और सरकार पर है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, ग्रोटोनोमी का जो सिद्धान्त है, जो बीच बीच में खड़े होकर दुहाई देते हैं मैं उसको गलत मानता हूं।

Page No 100

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मैं चन्द शब्द जो यह बिल पेश किया है उसके शम्बन्ध में कहना चाहता हूं। एक तरफ आप ओटोनोमी की बात करते हैं और दूसरी तरफ बिल के द्वारा कौनसे अधिकार ले रहे हैं ? आप प्रिन्सिपल्स के पास जो अधिकार थे उनसे ले रहे हैं चार मेम्बर सिन्डीकेट में 'इलेक्टेड होकर आते थे उनको आप नोमिनेट करना चाहते हैं, टीचर्स इलेक्टेड होकर आते थे उनको हटा कर नोमीनेट करना चाहते हैं। ये सारे अधिकार किसको दिये जा रहे हैं? ये अधिकार वाइस चान्सलर को दिये जा रहे हैं। १५ सदस्यों की सिन्डीकेट रखी और ८ सदस्य ऐसे हैं जो वाइस चान्सलर के द्वारा नोमिनेट किये जावेंगे। जब १५ में से नोमिनेट करेंगे तो उसका स्पष्ट बहुमत है क्योंकि ९ वां वह खुद सदस्य है। नये बिल में सिन्डिकेट एक प्रतिनिधि सिलेक्ट कमेटी में भेजेगी और एक यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की ओर से रहेगा और तीसरा वाइस चान्सलर सरकार की ओर से खुद नोमिनेट करेगा। सिन्डीकेट का मेम्बर होगा वाइस चान्सलर का होगा क्योंकि १५ में से ८ तो उसके द्वारा नोमिनेटेड होंगे, नियुक्त होंगे। पहले २० सदस्य इलेक्टेड होते थे उसको घटा कर १२ कर दिया। युनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की जिनको देश के कस्टॉडियन कहना चाहिये उनको चुनाव अधिकार नहीं देना चाहते हैं तो फिर किनको रखना चाहते हैं। जो नोमीनेशन का प्रावधान रखा है उसकी मैं कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा करना चाहता हूं और भविष्य के लिए एक बड़ी भारी बात होगी आप जनतन्त्र की हत्या करेंगे।

आज कहा गया है कि सिन्डिकेट में मतभेद हैं। डा० राधाकृष्णन् की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि कोई वाइस चान्सलर अपनी इच्छा जाहिर कर दें कि मैं वाइस चान्सलर होना चाहता हूं तो वह नाकाबिल होगा और उसकी सारी काबलियत नाकाबिल हो जाती है।

(४.०० म० प०)

तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जो सिद्धांत इन्ट्रोड्यूस किया है वह खतरनाक सिद्धान्त है। वाइस चान्सलर अपने लोगों को ४ प्रोफेसर्स में से चूज करे। मेरे पक्ष का कौन है उस तरह से जो नोमीनेशन के अधिकार दिये गये हैं यह अच्छी बात नहीं होगी। और यह सदन के लिये भी शोभनीय नहीं होगा कि वाइस चान्सलर को इस प्रकार के अधिकार दिये जायं। वर्तमान में जो सिंडीकेट है उसमें एक भी प्रतिनिधि वाइस चान्सलर द्वारा नोमीनेटेड नहीं है लेकिन जिस प्रकार का हम संशोधन ला रहे हैं उससे एक ही नहीं आठ प्रतिनिधि वाइस चान्सलर की मरजी के होंगे। इस तरह से मैं तो यह निवेदन करूंगा हम इस तरह से वाइस चान्सलर को डिक्टेटोरियल पावर्स देने की व्यवस्था कर रहे हैं तो इतना लम्बा चौड़ा उसके लिये एक्ट लाने की जरूत नहीं। आप इतना ही कर दें वाइस चान्सलर जिसको चाहे वह मुकर्रर कर देगा अपनी मरजी से युनिवर्सिटी में जितनी भी नियुक्तियां होंगी वाइस चान्सलर कर देगा। आपको यही करना था तो इतना लम्बा चौड़ा बिल लाने की क्या आवश्यकता थी। यह तो हमारे साथ मजाक है, युनिवर्सिटी एज्युकेशन के साथ मजाक है, देश के जनतंत्र के साथ मजाक है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, बीच में मुझे इसलिये खड़ा होना पड़ा कि दुर्भाग्य से मैं जितनी बहस बाहर से सुन सका उससे मैं यह जान पाया हूं कि युनिवर्सिटी अमेन्डमेन्ट बिल जो लाया गया मुझे उस पर हुई बहस को सुनकर अफसोस हुआ। बहस में जहां ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण होना चाहिये वहां सारी बातें घूम फिरकर एक व्यक्ति पर आ जाती है एक व्यक्ति ही इस बहस का दृष्टिकोण बन जाता है। यह भी कहा गया कि एक व्यक्ति को इधर उधर करने के लिये यह कहा जाता है यह सुनकर और मुझे अफसोस हुआ कि सिलेक्शन कमेटी के लिये इस अमेन्डमेन्ट बिल में प्रावधान रखा गया है। युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन का एक रिप्रेजेन्टेटिव एक सिन्डीकेट का और एक चान्सलर का नोमिनी इस तरह से अभी भी है। मैं समझता हूं, बहुत से माननीय सदस्य इस बात को नहीं जानते होंगे कि चान्सलर वहां जो फंक्शन करते हैं गवर्नमेन्ट के डायरेक्शन से फंक्शन करते हैं, ऐसी बात नहीं हो; यह सवाल तो पैदा ही नहीं होता।

दूसरी बात युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन रिप्रेजेन्टेटिव होने की वजह से आज की हालत में सबजेक्टिव कन्सीडरेशन मैंने इसलिये कहा कि यह समझ कर चला जाता है कि आज डा० मेहता वाइस चान्सलर हैं और उधर डा० कोठारी हैं इन पर यह फार्मूला एप्लाई नहीं होता। यह भूमिका उनके माध्यम से एप्लाई करते हैं हम एक और जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के अन्दर है और जिनका स्थान देश के अन्दर सम्मान का है उसको अधिकार देते हैं, यह बात नहीं हम तो उस चेयर को जो उसपर होगा वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है उसको देते हैं। उनका रिप्रेजेन्टेटिव हो जो राजस्थान से कनेक्टेड नहीं हो। पहले सिन्डीकेट के दो थे। अब जो अमेन्डमेन्ट आया है उसमें एक रिप्रेजेन्टेटिव सिन्डीकेट का, एक रिप्रेजेन्टेटिव चान्सलर का और एक यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की तरफ से होगा। इस प्रकार से पहले ही दो रिप्रेजेन्टेटिव वाइस चान्सलर के डाइरेक्ट इन्फ्यूएन्स के रखे गये हैं। हमें इसमें कोई एतराज नहीं होगा, वाइस चान्सलर के लिये जो पहले प्रावधान था वह रख दिया जाय। हमें इसे ही रखने की कोई मन्शा नहीं। यह तो ज्यादा रेसपेक्ट देने के लिये रखा गया है। पुरानी धारा रखने के बाद फिर मैं समझता हूं विचार किया जाय तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। उस के बाद फिर इस पर विचार किया जा सकता है।

इस बिल में अमेंन्डमेंन्ट लाने की फिर इसलिये जरूरत पड़ गई कि पहले यह युनिवर्सिटी थी सिवाय कुछ सबजेक्ट के एफिलियटिंग युनिवर्सिटी थी। जब हम इसके साथ टीचिंग कॉलेजेज जोड़ रहें है तो इसके फंक्शन का दायरा बढ़ गया है। टीचिंग युनिवर्सिटी का जब इसमें फंक्शन कर रहें हैं तो इसका दायरा बढ़ गया तो इसलिये जोधपुर युनिवर्सिटी की तरह उसी आधार पर, उसी पेटर्न पर लाने के लिये हमारे अमेंडमेंन्ट लाने का कारण पैदा हुआ है। अगर टीचिंग कॉलेजेज ट्रान्सफर नहीं किये गये होते तो अमेंडमेंन्ट बिल लाने की जरूरत नहीं होती। अगर हम विचार करते समय टीचिंग कॉलेजेज इससे संबन्धित कर देते हैं, इस बात को दृष्टि में रखें, तो ज्यादा उलझन पैदा नहीं होगी।

Page No 102

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इसके बाद जब हम धारा-वाइज विचार करें एफिलियेटेड कॉलेजेज के प्रतिनिधि वाइस चान्सलर द्वारा नोमीनेशन के बारे में सेक्शन रखा हुआ है उस समय उस पर विचार किया जा सकता है। हमारा जो इसमें मुख्य उद्देश्य है वह यह है हम एकेडेमिक साइड को इलेक्शन का दायरा बनाने के बजाय उनको एकेडेमिक तौर पर मौका मिले, यह हम ज्यादा पसन्द करते हैं। डीन्स बाई रोटेशन, प्रोफेसर्स बाई रोटेशन आते रहें इसको सामने रखा गया है। इसकी यह मन्शा नहीं कि यदि युनिवर्सिटी के फंक्शन्स किसी इन्डिवीज्युअल के इलेक्शन से स्ट्रेन्थन होती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं।

इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी के बारे में माननीय सदस्यों ने सुनी-सुनाई बातें रखीं क्योंकि हम में से कोई सिलेक्शन कमेटी का मेम्बर नहीं था। मुझ से लोगों ने काफी कहा, उन सब को मैं यहां रखना उचित नहीं मानता। क्या क्या बात हुई, मैं इसमें पड़ना पसन्द नहीं करता। यह युनिवर्सिटी के दायरे की चीज है, उन्हीं तक सीमित रखा जाय। इसी को मैं उचित समझता हूं। हमें अपने सोचने के दृष्टिकोण को ऑब्जेक्टिव रखना चाहिये। जोधपुर युनिवर्सिटी एक्ट इसी सदन ने पास किया है, वह लेटेस्ट एक्ट है। अगर आप उसको भी इस विचार-धारा के विपरीत मानते हैं तो वह भी इसी सदन द्वारा पारित किया गया है, उसी के अनुसार यह बिल लाकर प्रस्तुत किया गया है। किसी व्यक्तिगत बातों को लाकर यहां कहना यहां जब वाइस चान्सलर आकर जवाब नहीं दे सकते वैसी हालत में किसी व्यक्ति को लेकर कुछ बातें कहना उपयुक्त नहीं होगा। आखिर सही स्थिति कौन रख सकता है ? वे ही रख सकते हैं। ऐसी स्टे-च्युटरी बॉडी के बारे में डिस्कशन करें और वाइस चान्सलर जैसी हैसियत के व्यक्ति के लिये कुछ कहें कि वे भ्रष्टाचार करते हैं घोटाले करते हैं। उनके पास डिपोजिट्स थे वे सब समाप्त कर दिये। आखिर जब एक युनिवर्सिटी बनी उसके पास आखिर डिपोजिट्स क्या थे ? जब यह बनी, उसके लिए फन्ड इकट्ठा हुआ। युनिवर्सिटी बनने के बाद मकानात बने, उसका एक्सपान्सन हुआ फन्ड खाली रिजर्व पड़े रखने के लिये थोड़ा ही इकट्ठा किया था आखिर वह खर्च होता। इस वजह से दिवाला निकल गया और महाराजा कॉलेज को गिरवी रखना पड़ रहा है, ये सब गलत बातें हैं जिन्हें हमें सोच विचार कर रखना है। आखिर कोई चीज बनती है तो उसमें खर्च होता है उन चीजों को देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार की चीजों के यहां लाने से उनका जो एकेडेमिक स्टेन्डर्ड है वह गिर जायगा। मैं समझता हूं इस पर माननीय सदस्य जरूर विचार करें और इससे आप सब सहमत होंगे कि युनिवर्सिटी के अन्दर, टीचर्स के अन्दर हम पोलिटिक्स न डालें। इस पोलिटिक्स की वजह से युनिवर्सिटी को नुकसान होगा हमारी युनिवर्सिटी को हमें इस प्रकार की पोलिटिक्स से बचाने की कोशिश की जानी चाहिये। यही वक्त है कोशिश करने का। इस चीज से बचाने के लिये प्रयत्न करना जरूरी है। किसी विशेष सिद्धान्त या नारे की बात नहीं। हर जगह सीनेट की जनरल बोडी मौजूद है सिन्डीकेट भी किस हदतक रखना है आज डेमोक्रेसी का परीक्षण हो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रहा है ऐसी स्थिति में हमें देखना है वहां पर जो एकेडेमिक क्षेत्र हैं शिक्षा के क्षेत्र हैं वहां उसकी आवश्यकता है क्या ?

आज हम भी चाहते हैं कि वाइस चान्सलर के चनाव के बारे में प्रावधान न हो। अगर सारे भारतवर्ष के लिये एक सिलेक्टेड बोडी बन जाती है, वह तय करके हर जगह वाइस चान्सलर भेजती रहे तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं। वाइस चान्सलर कौन बने या कौन न बने, हमें उससे सरोकार नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में एकेडेमिक एटमोस्फियर होना चाहिये। रात-दिन इलेक्शन करते रहें हर चीज के अन्दर, आखिर उनको भी काम करना है; नहीं तो इसका स्टूडेन्ट्स के डिसिप्लिन पर असर पड़ेगा और भी कई प्रकार की चीजें खड़ी होंगी। इन भावनाओं को ध्यान में रख कर चलेंगे। इतना ही मुझे निवेदन करना है। बाद में तो इसके सम्बन्धित मन्त्री महोदय अपनी बात रखेगें, मैं समझता हूं कि इस बारे में जो उचित होगा वह निर्णय लिया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : तो आप सीरियसली सोच रहे हैं, इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्योंकि टाइम कम है और २६ को हाउस समाप्त कर रहे हैं, दो रोज भी काफी इम्पोर्टेन्ट बिजनेस है इस वजह से दिक्कत है। फिर वैसे भी जो बहस यहां हो रही है वह सिलेक्ट कमेटी से कम नहीं है। कोई सीक्रेट तो है नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बजार, जयपुर) : ऐसी इमर्जेन्सी भी तो कोई है नहीं, मैं समझता हूं।'

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियन्त्रण विधेयक, १९६२ के प्रवर समिति के प्रतिवेदन को पुरः स्थापित करने के समय को आगामी सत्र तक के लिये बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय गृह मन्त्रीजी के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

शिक्षा मन्त्री जी।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : हमें भी इसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : जब माननीय मुख्य मन्त्री ने स्पष्टीकरण कर दिया है तो मैं इसको आवश्यक नहीं समझता कि प्रस्तावक के अलावा इस बहस को अन्य मेम्बरों तक बढ़ाए जाने की इजाजत दी जाये, इसलिये मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : आगे ज्यों ज्यों अमेन्डमेन्ट्स चलते चलेंगे सद्भावनापूर्ण वातावरण पैदा किया जावेगा।

Page No 104

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

माननीय उपाध्यक्ष, सदन के माननीय सदस्यों के भाषणों से मैंने सदन के रुख को समझने का प्रयास किया है। जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है……

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री सदन में मौजूद है, उनकी मौजूदगी में उप मन्त्री उत्तर दे, यह देखने की बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य There is nothing wrong.

श्री रामानन्द अग्रवाल : The Member in charge is present in the House and therefore ……

श्री निरंजननाथ आचार्य : No Sir. I am the Member incharge of the Bill. He will kindly persue the Bill.

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : शिक्षा मन्त्री जी को शिकायत है यह।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Members will please know that the Cabinet has got a joint responsibility and the Member in-charge would mean any Minister who acts on his behalf.

(अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे-शोरगुल)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : वे बोल रहे हैं, बीच में इस तरह से आवाजें उठाना अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! order !!

श्री श्योपतसिंह : सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके द्वारा, कि सदन में माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में तीन तरह से प्रकाश डाला। पहला, जिसको माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपने उत्तर में कहा कि इसको लाने में सरकार का क्या इन्टेन्शन है चूंकि इसलिये मैं इस पर अधिक प्रकाश नहीं डालूंगा।

दूसरा, प्रोवीजन ऑफ दी बिल के सम्बन्ध में विभिन्न धाराओं पर कुछ माननीय सदस्यों ने आलोचनात्मक दृष्टि से प्रकाश डाला। चूंकि विधेयक के संशोधन विचार के लिये हमारे सामने आने वाले हैं, इसलिये मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा पर साधारणतया मैं उन पर कुछ अपना मत प्रकट करूंगा।

तीसरा प्रश्न जो सबसे अधिक माननीय सदस्यों ने सरकार के और इस सदन के सामने रखा है वह है अनडेमोक्रेटिक रूप इस विधेयक का संशोधनों के द्वारा, जिस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है।

इसलिये मैं इन तीन आधारों पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा।

इसके पहले कि जैसा मैंने निवेदन किया उपाध्यक्ष महोदय, कि युनिवर्सिटी के आन्तरिक मामलों को लेकर सदन के प्रांगण पर ज्यादा विश्लेषण किया गया। मैंने पहले भी इस पर आपत्ति उठाकर निवेदन किया था कि जहां

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

तक युनिवर्सिटी के विधेयक का प्रश्न है, हमारा अधिकार क्षेत्र सिर्फ विधेयक के संशोधनों से सम्बन्ध रखता है, पर आन्तरिक स्थिति, सिंडिकेट में क्या गुजरी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अपोइन्टमेंट कैसे हुए, कौन योग्य था कौन अयोग्य था इत्यादि प्रश्न जो यहां पर लाये गये तब मैंने निवेदन किया था कि हमारे अधिकार क्षेत्र से परे हैं ये प्रश्न। इसलिये वे सदन ने स्वयं ने माना है। ऐसी स्थिति में कि जब यहां जोधपुर युनिर्विसिटी बिल और एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी का बिल सदन में विचारार्थ आया तो, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है इसी सदन ने बहुत पुरजोर इस बात का समर्थन किया था कि सरकार को उनके आन्तरिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कम दस्तन्दाजी करनी चाहिये। एकमत से कहा गया था कि इसकी आन्तरिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसमें दखल देने के कम से कम अधिकार सरकार को होने चाहिये। यही बात प्रवर समिति में, जब वे बिल थे तब भी कही गई कि सरकार की गम्यता युनिर्वसिटी प्रशासन के मामलों में कम से कम हो। पर फिर आज न मालूम क्यों इस विधेयक के संशोधनों से कुछ उन पूर्व विचारों में परिवर्तन आया जिससे आज माननीय कई सदस्यों ने यह रुख ले लिया कि इसमें ऐसा प्रावधान रखा जाना चाहिये कि जिससे अधिक से अधिक वहां की आन्तरिक स्थिति में दखल हों ताकि वहां के प्रशासन को सीधा किया जा सके। मुझे इसमें ऐतराज नहीं है कि…

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप इसमें वाइस चान्सलर के पॉवर्स बढा रहे हैं, यह ऐतराज की बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : On a point of order Sir,

श्री निरंजननाथ आचार्य : I will not like to impart any information unless I have completed.

श्री उपाध्यक्ष : It is a point of Order.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मन्त्री महोदय रोंग एस्परशन दे रहे है सदन के सदस्यों के बारे में यह कह कर कि हम कोई सरकार का हस्तक्षेप वहां के आन्तरिक प्रशासन में चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Dy. Minister is not giving any aspersion. He is Just refering to the debated points.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : He has said what was never said in the House.

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं मानता हूं कि आपके मन में कुछ उद्विग्नता है, इस लिये मेरे नम्र शब्दों को भी एस्पर्शन मान रहे हैं आप। मैं और नम्र होउंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

युनिवर्सिटी की व्यवस्था में एक और प्रयास किया जा रहा है। वहां माननीय सदस्यों ने दूसरे सुझाव दिये कि ऐसे प्रावधान न हों तो लिये जाने चाहियें और सरकार को उनके आन्तरिक मामलों में दखल देने की क्षमता पैदा करनी चाहिये। मैं इस विचार से असहमति प्रकट करता हूं। इसलिये कि माननीय सदस्य पहले वाले विधेयकों पर इससे विपरीत सहमति प्रकट कर

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

चुके हैं और इस वक्त जो असहमति प्रकट कर रहे हैं अपने उन विचारों से वह केवल उद्विग्नता के कारण कर रहे हैं और इसके पीछे भी उनकी सद्भावना ही झलकती है। इसलिये मैंने निवेदन किया कि मैं इन विचारों से असहमत हूं और मैं यह कहने में नहीं हिचकता कि इन प्रश्नों का उत्तर देने में मैं विवश हूं। इसलिये कि युनिवर्सिटी की सैंक्टिटी, प्रेस्टीज डिग्निटी को हम प्रीफेरेन्स देते हैं और इस आधार पर कौन प्रोफेसर हो, कौन लेक्चरार हो, कौन अयोग्य था और कौन योग्य था और सिंडीकेट की अन्दरूनी क्या स्थिति है या थी इन प्रश्नों पर मैं कदापि नहीं जाऊंगा।

मैं साथ में यह भी निवेदन करूं कि दरअसल आपके पास डॉक्यूमेन्ट्स आये हैं, सेपरेट प्रोसीडिंग्स हैं, युनिवर्सिटी में बड़ी सैंक्टिटी है सिंडीकेट की कार्यवाही की। पर फिर भी आपके पास वाकयात आये, वाइस चान्सलर के दस्तखतों तक के कागजात आपके पास हैं, पर मेरी तो वहाँ गम्यता नहीं है और इस तरह से प्राप्त करने का प्रश्न मेरे लिये पैदा नहीं होता। अगर जायज तरीकों से उपाध्यक्ष महोदय, कोई साधन हमारे पास होता और हम उनसे एक्सप्लेनेशन डिमान्ड कर सकते होते इन प्रश्नों पर तो मैं बराबर आपको सैटिसफाई करने का प्रयत्न करता, पर यह स्थिति मेरे पास नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि अमेन्डिंग एक्ट लाते समय आप यह देखते कि किसी भी आपके प्रावधान से वह अवांछनीय स्थिति पैदा होती है या समाप्त होती है। आप इसको देखें। अवांछनीय स्थिति वहां पर है उसको समाप्त करें या प्रोत्साहित करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह अर्ज कर रहा था कि आज जो सारी आन्तरिक स्थिति के संबंध में विवेचना की गयी है यह परम्परा कायम करना उचित नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हम एक युनिवर्सिटी जोधपुर में रखते हैं, दूसरी युनिवर्सिटी हमारे यहां है, राजस्थान प्रगति कर रहा है, अन्य युनिवर्सिटी भी शायद सम्भवतः आगे भविष्य में कायम हो सकती है लेकिन इस सदन का कर्तव्य है कि जब आपके शब्दों में इस सदन में बार बार कहा कि सरस्वती का मन्दिर है, बड़ा भव्य मन्दिर है उसकी इज्जत रहनी चाहिये और दूसरे शब्दों मे माननीय सदस्यों ने जो उसकी इज्जत की मैं समझता हूं कि वह किस प्रकार की इज्जत हो सकती है, यह सभी जानते होंगे। इसलिए मैं यह चाहता था, उपाध्यक्ष महोदय, कि कोई स्थिति आन्तरिक मामले में उत्पन्न हुई है तो सदन का कर्तव्य था कि संयमित भाषा में उसकी डिग्निटी को बराबर कायम रखते हुए इन सुझावों को दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि युनिवर्सिटी की जो परम्परा कायम रहनी है वह और उत्तरोत्तर बढ़ती जाती, लेकिन क्योंकि इस संशोधन ने माननीय सदस्यों के मनों में उद्विग्नता पैदा की; परन्तु यह माना नहीं जा सकता कि परम्पराओं को तोड़ने का माननीय सदस्यों का मतलब था अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राधाकृष्णन् रिपोर्ट के संबंध में बहुत कुछ कहा गया और माननीय सदस्य ने

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कुछ एक्स्ट्रेक्ट्स जो कि लूज पेपर्स में थे, पढ़कर सुनाये। लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिए कहूं कि राधाकृष्णन् रिपोर्ट का एक मत है कि इलेक्टिव एलीमेन्ट्स जितने कम हो सकें उतने कम किये जायें युनिवर्सिटी के कान्स्टीट्यूशन में, यह मत है श्री राधाकृष्णन् का।

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is not Correct.

श्री निरंजननाथ आचार्य: तो मैं उसके रेलेवेन्ट पोर्शन को सदन के सामने रखूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार जयपुर) वाइस चान्सलर के बारे में उन्होंने क्या रखा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप अभी चेयरमैन के पद से नीचे आये हैं आपको उद्विग्न नहीं होना चाहिए। आपको मुझे मौका देना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको भी नया प्रमोशन मिला है और आप भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए एस्पायरेन्ट हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रमोशन का प्रश्न नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप हांडा साहब हैं, बिराजिये।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि राधाकृष्णन कमेटी के जो आब्जरवेशन्स हैं वह मैं रखना चाहूंगा। लेकिन यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दो मुद्दों पर बड़ा जोर दिया। एक तो यह कि इलेक्टिव एलीमेन्ट कम होना चाहिए और इसलिए कम होना चाहिए कि वाइस चान्सलर की एक डिग्निटी है। वह सामान्य जन की तरह इलेक्शन के आधार पर कन्ट्रोवर्शल नहीं होता और न किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार की स्थिति पैदा की गयी तो हम अच्छे व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से जहां फोरिन युनिवर्सिटी के बारे में कहते हैं मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां इलेक्टिव एलीमेन्ट कम से कम करने का प्रयास किया गया है। वह इसीलिए किया गया कि अगर किसी व्यक्ति में कन्ट्रोवर्सी नहीं पड़े तो हम अच्छा सा व्यक्ति ला सकते हैं

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कौन से विदेश में ऐसा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने तो मेरे सेन्टेन्स को पूरा ही नहीं होने दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो लिखा लिखाया कागज है। आप बतायें कि कहां ऐसा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जो मॉडल एक्ट बना है युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन द्वारा जो कि अब समाप्त होने वाला है उसकी मन्शा और उसकी धारणा भी बराबर इसी मत की है कि यह इलेक्टिव एलीमेन्ट युनिवर्सिटीज़ के अन्दर कम से कम हो। मैं उपाध्यक्ष महोदय, जिस तर्क का आपने उपयोग किया उस तर्क का उपयोग करते हुए निवेदन करूंगा कि अगर इस युनिवर्सिटी के विधान में

Page No 108

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

इलेक्टिव एलीमेन्ट कम से कम होता तो मेरा विश्वास है कि जिस प्रश्न की आपने यहां विवेचना की ऐसा प्रश्न पैदा नहीं होता और सद्भावना से चल पाते। आपने जो कहा है, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए राधाकृष्णन कमेटी का उल्लेख करना चाहूंगा। That is page 422. मैं बहुत सूक्ष्म रूप से पढ़ूंगा और उतना लम्बा-चौड़ा नहीं पढ़ूंगा जितना कि माननीय सदस्य जयपुर से आये हैं, उन्होंने पढा है। मैं संक्षेप में पढ़ूंगा :—

"Open convassing and voting for rival candidates may have been tolerable while the post was not much more than a compliment which the university could bestow, though even so it was undignified and led to the formation of factions. But as a means of securing a man of character and reputation for an ardous and highly-skilled service, it is, to put it bluntly, disastrous folly. So far as we know no other country chooses the heads of its universities by such methods.

"The Executive should be charged to maintain strict privacy in their deliberations concerning the appointment. No doubt there may be differences of opinion & actual voting inside the Executive but they must keep this to them selves........."

तो मैंने दोनों मुद्दों से यह विश्वास सदन को दिलाने का प्रयास किया कि जो चीज आपने बताई वह इस तरह से नहीं है और संसार का रुख जहां तक विश्वविद्यालय का संबंध है इस तरफ जा रहा है कि सामयिक रूप से विश्वविद्यालय काम करें और उनमें इलेक्टिव एलीमेंट्स कम हों। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप तो व्यक्ति विशेष को लेकर इसमें चले हैं लेकिन व्यक्ति विशेष आपके दिमाग से चला जाये और यह संशोधन पारित हो जाये तो मेरा ख्याल है कि युनिवर्सिटी का यह प्रशासन उतनी अच्छी गति से चल पड़ेगा जितना कि अभी तक नहीं चला है। आप जानते है कि इलेक्शन किस ढंग से होते हैं, उनमें क्या क्या कन्ट्रोवर्सीज पैदा होती हैं और डेमोक्रेसी एक एप्रीहेन्शन रहती है even for a wrong man to enter through a right way, इलेक्शन का राइट वे हैं.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : That is applicable for you.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Don't you intend to hold elections next time.

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसलिए अब उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मुख्य मंत्रीजी ने आपकी उस शंका का समाधान किया सिलेक्शन ऑफ दी वाइस चान्सलर के बारे में। और मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने बड़ी उदारता से सुना। उपाध्यक्ष महोदय, इसे कोइन्सीडेन्स कहिये या बाइचान्स कहिये यह बात सोची है कि शिक्षा मंत्री केन्द्र के उदयपुर के हैं, यह बात भी सत्य है कि मैं भी बदकिस्मती से वहीं से आ गया, मुख्य मंत्रीजी भी वहीं के हैं और बदकिस्मती से वाइस चान्सलर जो कि इन्टरनेशनल फेम के व्यक्ति हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं, जिनकी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

डिग्निटी है राष्ट्र में, वे भी उदयपुर के हैं, लेकिन प्रान्तीयता उनके दिमाग में कभी नहीं रही है,यह सभी माननीय सदस्य भी जानते हैं। तो इस प्रकार का वातावरण पैदा किया गया और उसमें यह संकेत दिया गया कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के अध्यक्ष, गौरव का विषय है कि इन्टरनेशनल फेम के व्यक्ति हैं जिसके रहने से हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं। उनको भी यहां लाकर यह शंका पैदा की कि इसका नोमीनेशन बड़ा सरल हो जायेगा लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रश्न को बिलकुल साफ किया कि ऐसा नहीं है। उस हालत में जब कि व्यक्ति विशेष का प्रश्न पैदा नहीं होता और उन्होंने कहा है कि सिन्डीकेट के प्रश्न पर बहुत ज्यादा शंका पैदा हुई और यदि उदारता से उधर से आई तो उसका उदारता से समाधान किया जायेगा। तो आप एक बड़ी चर्चा में पड़ जाते हैं और जो लोग यहां विश्वविद्यालय में बैठे हैं वह गौरव के व्यक्ति हैं। डॉक्टर कोठारी के प्रश्न पर हमें गौरव करना चाहिए कि इतने बड़े साइन्टिस्ट इस युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के चेयरमैन हैं। ऐसी उद्विग्नता पैदा हो जाती है जिसके बारे में मैं अर्ज नहीं करना चाहता हूं।......

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, पर माननीय शिक्षा मंत्री जी एक बात साफ कर दें ....

श्री उपाध्यक्ष : यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है क्या ? Order please ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनको ऐसे पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठने की पहले के भूतपूर्व उपाध्यक्षजी ने ट्रेनिंग दे दी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न जो उठाया गया है, माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं उन्होंने, वह तथ्यपूर्ण प्रश्न जरूर है। वाकेआत से देखा जाता है तो यह मालूम होता है कि इसको यकायक कैसे लाया गया है और आपने अपने भाषण में तो यहां तक कहा कि छुट्टियों से पहले तो इसका पता तक नहीं था। मेरा यह ख्याल है कि यह वे भावना में कह गये हैं, वर्ना छुट्टियों से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने यह प्रश्न आया था। उसके बाद बराबर चर्चा का विषय था कि आ रहा है, आ रहा है। आपस में बातचीत होती थी। ऐसी स्थिति में इस सदन का कार्यक्रम शुरू हुआ उस वक्त माननीय सदस्य को यह अवगत था। लेकिन एक प्रश्न जो पैदा होता है कि दरअसल में किसी व्यक्ति विशेष के लिए यह प्रावधान लाया गया है। मेरे ख्याल से उसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्रीजी के उत्तर से मिल जाता है कि जब उन्होंने नोमीनेशन वाइस चान्सलर की नियुक्ति के संबंध में आपने पहले के राजस्थान युनिवर्सिटी एक्ट में एक प्रावधान स्वीकार किया उस प्रश्न को व्यक्ति विशेष के लिए यहां रखा जाता है वह स्थिति पैदा नहीं होती है। और मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि हमें यह जो आज आपके सुझाव मिले हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आपके सुझावों में व्यक्तिविशेष का प्रश्न नहीं है वाइन्स चान्सलर का प्रश्न है उसकी डिग्नीटी को हमको रखना है जिसके संबंध में आप और हम नतमस्तक होते हैं उस पद के लिए। वह पद सारे राष्ट्र को संकेत देता है आदेश देता है और मार्ग-प्रदर्शन करता है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

उस युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर के पद के लिए आप यह कह दें कि उनके पद की सुरक्षा के लिए यह लाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से उसके फोर्स के लिए कोई वाकेआत या तथ्य तो नहीं थे, लेकिन आपकी भावनाएं थीं और आपकी भावनाओं का किस तरह से निराकरण करूं यह भी मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने कई कई मौकों पर सैन्टीमेंटस को इग्नोराइज किया तो उन्हें एसोशियेट किया गया है।

और ये बातें कि श्रीमालीजी से बातें हो गई और सारी होकर यह नोमीनेशन होगा। तो आप कहानी-लेखक हैं और अच्छी कहानी लिख सकते हैं। तो उसका मैं कहां से निराकरण करूं। यह सदन कहानी की भावनाओं का तालमेल चलाने के लिए नहीं था। माननीय मुख्य मंत्रीजी की बातों का आपको ख्वाब में भी पता नहीं। किसी मसले की जिसका कि कोई आधार नहीं वह कहानी आपने बनाई, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, कि सिवाय सुनने के और निराकरण करने का क्वेश्चन नहीं है। उनके पास आधार नहीं है। हमारे पास आधार है, लेकिन वह आधार रेक्टीफायेबल प्रिज़म्पशन के हैं। लेजिस्लेशन में एमेंडमेंट कर रहे हैं, लेजिस्लेशन इसलिए लाया गया कि इसमें इलेक्टिव आदमी कम हों, यह मैं मन्जूर करता हूं, और इसलिए लाया गया है कि आन्तरिक व्यवस्था अच्छी तरह से चले......

श्री रामानन्द अग्रवाल: आन्तरिक व्यवस्था खराब है क्या उसकी जानकारी आपको मिली है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: अपन बैठेंगे चेम्बर में तो उस प्रश्न पर विचार करेंगे। वह प्रावधान आपने किया है कि शिक्षा मंत्री किसी तरह से युनिवर्सिटी में दाखिल हो जायं। आपका सहयोग मिल जाय तो यह भी म्युनिसिपैलिटी की तरह से हो जाय जिससे आप और हम दोनों अन्दर बैठेंगे और अन्दर ही अन्दर उसकी मुखालफत करेंगे। इसका मौका दे रहे हैं प्रावधान लाकर।

जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि जोधपुर युनिवर्सिटी एक्ट बनने के बाद टेरीटेरीज़ की वजह से उसको एक टीचिंग युनिवर्सिटी बनाने की दृष्टि से यह चेन्ज लाना था। वाइस चान्सलर को मुकर्रर करेंगे जब सीनेट और सिन्डीकेट दोनों उसकी सेंक्शन कर दे और बाकी फेकल्टीज वाले हैं टेरीटोरियल जुरिस्डिक्शन से चुनाव कराने के लिए यह लाया गया है। आप चाहते हैं और मैं भी दिल से चाहता हूं। मैं आपकी भावना का आदर करता हूं लेकिन व्यवस्था आन्तरिक विश्व-विद्यालय की वह मुझको आगाह करती है कि हमको दूसरा कर्त्तव्य अदा करना है, और इसलिए अदा करना है कि भावी संतति समझती है कि वह बड़ा अनुशासित पद हो। वे चाहते हैं कि कोई भी युनिवर्सिटी चले वह ऊंचे स्टेन्डर्ड से चले, और वे चाहते हैं कि ऊंचा स्टेन्डर्ड हो। उस हालत में सीनेट और सिन्डीकेट एक मत से एकता की भावना से चले। इसलिए यह कर्त्तव्य अलग है, और मैं आपकी भावना का आदर जरूर करता हूं। उसमें भावना भी है और सुझाव भी है, और व्यवहारिकता है या नहीं यह दूसरा प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो बैठ कर बात कर लें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसकी क्या आवश्यकता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको डेफर करदें, जल्दी क्या है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि क्यों लाने की आवश्यकता हुई ? अगर प्रोसीडिंग ऑफ दी हाउस को देखा जाय, उपाध्यक्ष महोदय; क्लॉज़ १२, क्लॉज़ २ और क्लॉज़ १८ ये जितनी भी क्लॉजेज़ हैं जिन पर कि एमेंडमेंट लाया जा रहा है उन पर जब बहस हो रही थी तो यह प्रश्न पैदा हुआ था कि एक पैटर्न जोधपुर युनिवर्सिटी का बन रहा है और हम सब जानते हैं कि जोधपुर युनिवर्सिटी का जो पैटर्न बना है वह अलग है। दोनों युनिवर्सिटी का बिल्कुल अलग-अलग पैटर्न नहीं हो सकता, इसलिए हमें युनिफॉर्मिटी संशोधन विधेयक लाना है यह सदन की भावना थी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। सदन स्वयं जानता था कि दोनों के लिए एक ही पैटर्न की आवश्यकता थी। अब प्रश्न एक टाइम फैक्टर का जरूर रहेगा, अगर सदन ने सद्भावना रखी……

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): Point of order, Sir………

श्री निरन्जनाथ आचार्य : On a Point of Privilege, Sir, and my point of privilege is that I should not be disturbed when I am speaking.

श्री मानिकचन्द सुराणा : There is no point of privilege……

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I am in possession of the floor and I will not leave it. I will answer all the querries as soon as I have concluded my speech.

श्री मानिकचन्द सुराणा : I have raised a Point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes. What is the Point of Order?

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a Point of Order……

मैं यह व्यवस्था चाहूंगा आपसे कि बराबर इस बात को कहा जा रहा है कि जोधपुर युनिवर्सिटी के बिल को एक्ट का रूप देते हुए यह बात थी तो क्या हाउस के लिए यह बाइंडिंग है कि वही राय रखे ?

श्री उपाध्यक्ष : This is no Point of Order. Please continue.

श्री मानिकचन्द सुराणा : The House is not bound by its earlier proceedings. It can express any opinion it likes.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : This is the information which he wants to seek. I myself say that the House is not bound by its earlier proceedings but by the observations of the Chair. The House can differ from time to time. And the point, on which I was stressing, was……

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जो सदन की भावना थी वह मैं जानता हूं। आपने तो कथा ही बना ली, दिल्ली में जाकर मेरी मुलाकात की। मैं तो सिर्फ यह यह अर्ज कर रहा हूं कि भावना मेरी आपने एसेस कर ली। आपने मेरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया। माननीय रामकिशनजी ने मेरी मुस्कान का अर्थ लगाया है, मेरे मौन का कुछ अर्थ लगाया है। मेरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। मैं विश्लेषण आपका नहीं करना चाहता। मैं तो जो भावना व्यक्त हुई है जिससे अन्दाज लगा सका हूं कभी भाषणों से, कभी आपकी मुद्रा से, कभी आपके संकेतों से तो भावना यह थी कि युनिफार्मिटी लाई जायगी। अब सवाल यह है कि युनिफार्मिटी के पॉइन्ट पर व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्य यहां अब भी नहीं मानते हुए यह मानेंगे कि युनिफार्मिटी ही एक रेमेडी है जो लानी पड़ेगी।

अब, माननीय उपाध्यक्ष, सिर्फ प्रश्न इतना रह जाता है कि जल्दी क्यों आ गया डिले से आता। एक यह प्रश्न है और उस जल्दबाजी, जो जल्दबाजी आप कहते हैं उसका ऐक्स्प्लेनेशन है। उपाध्यक्ष महोदय, एक्स्प्लेनेशन यह है कि हम २६ तारीख को एडजॉर्न कर रहे हैं और उसके बाद हाउस कब मीट करेगा......

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक्स्टेन्ड कर दें। हम तैयार हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ६ महीने के अन्दर क्या आप चाहते हैं कि ऑर्डिनेन्स निकाला जाय?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह एक्स्टेन्ड कर दें।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : और ऑर्डिनेन्स कहीं निकाला जाय तो फिर यह सब पर डिसकशन और कमेन्ट्स हो जायेगी। उसको एलीमिनेट करने के लिए, माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करने के लिए हमने इस विधेयक को यहां पर पारित करने के लिए प्रस्तुत किया है। इसलिए अगर आप इस दिक्कत को महसूस करें तो मेरा विश्वास है कि एक्स्प्लेनेशन प्लाजिबल है और एक्स्प्लेनेशन के अनुसार कोई इन्फरेन्स नीयत के संबंध में निकालना कोई उचित नहीं समझता।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति में यह विधेयक लाया गया है इसमें जो प्रोविजन्स हैं यदि उनका कम्पेरिजन किया जाय इसकी क्लॉज १२ का, क्लॉज १८ और २१ जितने भी क्लॉजेज हैं वे जोधपुर युनिवर्सिटी एक्ट से बिलकुल युनिफोर्मिटी लिये हुए हैं। कोई थोड़ी इधर उधर भेद हो तो कह नहीं सकता। ऐसी स्थिति में जब जोधपुर युनिवर्सिटी के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि मैं आरगुमेंट्स में यह बात रखूंगा तो वे स्वयं जानते हैं कि ये वेही आरगुमेंट्स हैं और उनके खिलाफ विड्रावल होना मुश्किल है। बड़े सद्भावपूर्वक जोधपुर युनिवर्सिटी एक्ट को उन्होंने यहां स्वीकार किया था। उसमें युनिफोर्मिटी लाने के लिये ही यह है। यदि कम्पेरिजन किया जाय तो कोई डिस्क्रीपेन्सी नहीं पाई जाती जिससे यह कहा जाय कि विधेयक का स्वरूप ठीक नहीं है और जोधपुर युनिवर्सिटी एक्ट की रिलेटिव

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सोलिमिटी को रिफ्लेक्ट की गई है । यह दृष्टिकोण रखा गया है कि प्रशासन गड़बड़ी में नहीं पड़ें । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रश्न पर विचार कर लें । आधार आपके सामने हैं । लेकिन मेन आधार यह है कि युनिवर्सिटी में आदमी आते हैं, जाते हैं लेकिन पद हमेशा रहता है । जो व्यक्ति वाइस चान्सलर के पद पर आसीन है तो उसकी प्रतिष्ठा उस पद पर आधारित है । आप व्यक्ति का विश्लेषण करना चाहते हैं तो व्यक्ति का महत्व नहीं है आसन ही गौरव है । जोधपुर युनिवर्सिटी कायम करके, नई परम्परा पैदा करके चल रहे हैं । इसमें भी संशोधन करके वही करना चाहते हैं । आप यहां जो विश्लेषण करते हैं आपके भाषण बाहर जाते हैं उनको पढ़कर लोग गलत धारणा नहीं कर लें कि युनिवर्सिटी के क्षेत्र में भी आप उसी तरह की चीज लाना चाहते हैं जैसी पंचायतों में हैं । उस दृष्टिकोण में और इसमें फर्क है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): That is an expression of opinion by Shri H. C. Kunjuru.

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमको यह महसूस होता है कि इलेक्टेड आदमी की छिछालेदरी न हो, विश्लेषण करें, आलोचना करें; लेकिन यह बहुत उच्च स्तर से हो । आपने ही कहा था कि यह सरस्वती का स्थान है, पवित्र स्थान है । इसके सीनेट और सिण्डीकेट के अन्दर जो बैठते हैं वे भी उतने ही प्रतिष्ठित हैं जितना प्रतिष्ठित वाइस चान्सलर है । आप और हम मिल कर सहयोग की भावना से यह प्रयत्न करें कि युनिवर्सिटी की जिस परंपरा को वैधानिक आधार पर रखा है उस परम्परा की इज्जत और डिग्निटी कायम हो । जो बातें कही गई हैं उनके बहाव में नहीं बहें और युनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को उस पर नहीं रखें । मैं अभी इतना ही कहूंगा । इसके बाद संशोधन आयेंगे उनके बारे में उस समय कहूंगा । क्योंकि यह स्टेज संशोधन का नहीं है जिनके बारे में उचित या अनुचित के बारे में कहूं । इसलिये संशोधन पर जब मौका आयेगा तब बाद में निवेदन करूंगा ।

यह तो मेरी भावना से माननीय सदस्य समझ ही गये होंगे कि प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव और जनमत के विचारार्थ भेजने के प्रस्ताव को मैं स्वीकार नहीं करता और आप भी इस पर जोर नहीं देंगे मुझे सुनने के बाद । मेरा विश्वास है कि आप भी इसके लिये जोर नहीं देंगे···

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): व्यवस्था का प्रश्न है, दूसरे सदस्य बराबरी में खड़े बोल रहे हैं तो किसकी सुनी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन जनमत के लिये प्रसारित करने के लिये श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने किया है क्या वे उस संशोधन को वापिस लेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): नहीं साहब, वापिस लेने का कोई सवाल नहीं है । He has not been able to say why this has been brought now.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने जनमत जानने के लिये प्रसारित करने का रखा है, उसे स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हैं वे हां कहें।

हां।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम लाउड स्पीकर से बोले हैं 'हां' पक्ष जीता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिविजन क्लेम करेंगे ?

बहुत से सदस्य एक साथ : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्योंकि सदन का समय समाप्त होने जा रहा है, इस कार्यवाही के लिये समय बढ़ाना पड़ेगा····

एक माननीय सदस्य : कोई आवश्यकता नहीं है समय बढ़ाने की।

श्री उपाध्यक्ष : समय बढ़ाये वगैर कार्य सलाहकार सिमति के खिलाफ जाना होगा। इसलिये समय एक घंटे से बढ़ाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) **:** बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के खिलाफ जाना था वह तो चले गये, क्योंकि उसने ४ बजे तक का समय निश्चित किया था और ५ बजने वाले हैं इसलिये उसकी खिलाफत जो होनी थी वह तो हो गई, अब तो इस पर विचार करना है।

(विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन जनमत प्रसारण के लिये श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने रखा था उसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी नहीं, 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप समझते हैं कि Ayes have it. तो 'हां' वाले 'हां' की तरफ जायें और 'ना' वाले 'ना' की तरफ जाएं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) खड़े हो जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनकी खड़े होने की आदत स्कूल से ही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर)**:** बेंच पर खड़े कर दें तो हो जायेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Noes have it, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Ayes have it, Sir.

श्री गिरधारी लाल : सीधी बात है, संख्या देख लें।

श्री रामकिशन : नहीं, संख्या में आप जीते।

श्री उपाध्यक्ष : 'हां' पक्ष वाले 'हां' पक्ष लॉबी में जायेंगे और 'ना' पक्ष वाले 'ना' पक्ष लॉबी में जायेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): दरवाजे बंद करवाये जायं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : टाइम कितना बढ़ाया गया है, साहब ?

(मत विभाजन ४.५० से ५.२)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! डिवीजन का निर्णय इस प्रकार है। हां पक्ष ३९, ना पक्ष ६२।

'हां' पक्ष व 'ना' पक्ष के सदस्यों की सूचियां

'हां' पक्ष

श्री ए० जब्बार
श्री भैरोंसिंह शेखावत
श्री भानुप्रसाद कराड़िया
श्री चोसरसिंह बाबेल
श्री दयाचन्द सोन
श्री डूंगाराम राजोरियां
श्रीगंगासिंह राठौड़ (जायल)
वैद्य श्री गोविन्द सहाय
श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)
श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
श्री हीराभाई
श्री जयलाल
श्री जयनारायण सालोदिया
श्री जावन्दसिंह
ठा० श्री जीवराजसिंह
श्री जोधसिंह चौहान
श्री कुमारानन्द
श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल
श्री लक्ष्मीचन्द
कुं० श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी
श्री मानिकचन्द सुराणा
श्री मावा
श्री मूलचन्द चौधरी
श्री मुरलीधर व्यास
श्री प्रभूलाल 'सैन्टर'
श्री राधाकृष्ण गोयल
श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री रामकिशन
श्री रामसिंह
श्री सागरमल
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री सतीश कुमार शर्मा
श्री शिवराम
श्री श्योपतसिंह
श्री उदयलाल वंदिया
श्री उमरावसिंह ढाबरिया
श्री विजयसिंह झाला
श्री विट्ठल

'ना' पक्ष

श्री अलदाराम मेणा
श्री भीखाभाई
श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
श्री भीमसिंह
महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री चन्दनमल बैद
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री छुट्टनलाल
श्री दलपतसिंह
श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्माराम आर्य
श्री दिनेश राय डांगी
श्री गणेश लाल
श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डोली)
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री घासीराम यादव
श्री गिरधारी लाल व्यास
श्री गोकुल चन्द
श्री गोकुल प्रसाद शर्मा
श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)
श्री हनुमानसिंह चौधरी
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री हरिदेव जोशी
डॉ० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)
श्री हरिराम घारू (सिवाना)
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हरलाल
महाराज श्री हुकुमसिंह
श्री जगनसिंह
श्री जेठमल बरवड़
श्री जुझारसिंह
श्री ज्वाला प्रसाद
श्रीमती कमला बेनीवाल
श्री कानाभाई नुवाल
श्री केशरीसिंह जोजावर (खारची)
श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत
श्री लालाराम
श्री माधोलाल खानपुरिया
श्री मजलिसखां
श्री मनफूलसिंह
श्री मोहनलाल सुखाड़िया
श्री मोहनराज
श्री मोतीलाल चौधरी
श्री मुक्तिलाल मोदी
श्रीमती नगेन्द्र बाला
श्री नाथूराम (वागीडोरा)
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री निरंजन नाथ आचार्य
श्रीमती निर्मला देवी नाहर
श्री फूलचन्द जैन
डॉ० पोहूमल ईसरदास
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री रघुनाथ विश्नोई
श्री रामप्रसाद लड्ढा
श्री रविशंकर याज्ञिक
श्री शंकरलाल जाट
श्रीमती सुमित्रा
श्री स्वरूप नारायण पुरोहित
कुमारी उमा माथुर
श्री विरधाराम फूलवारिया

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

Page No 117

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो डिवीजन का निर्णय सुनाया है, वह ऐसे समय में जिस समय सदन नियमानुसार नहीं बैठा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : एक घंटा बढ़ा दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : कब बढ़ाया गया।

एक माननीय सदस्य : कब बढ़ाया ?

श्री रामकिशन (वैर) : हमें पता नहीं लगा कि कब बढ़ा दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य शायद अवगत नहीं हों कि अभी पन्द्रह मिनट पहले ही समय बढ़ा दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : उस समय पूछा था आपने केवल, समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : एक घंटा बढ़ा दिया गया, यह मैंने निश्चित रूप से कहा था।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : प्रोसीडिंग्स देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ये प्रोसीडिंग्स आप देख लेंगे। जो निर्णय मैं दे रहा हूं उस पर विवाद नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : Now next.

विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये सर्व श्री मुरलीधर, विजयसिंह झाला, भैरोंसिंह, मथुरेशबिहारी, रामकिशन, दुर्गालाल बाढदार, रामानन्द अग्रवाल, सतीशकुमार और श्री मानिकचन्द सुराणा का प्रस्ताव है। आप विथड्रा करने को तैयार हैं।

('नो' की आवाज)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन मुरलीधर व्यास आदि ने रखा है, स्वीकार किया जाए। जो इसके पक्ष में हो वे हां कहें।

हां।

जो इसके विरोध में हो वे ना कहें।

ना।

ना पक्ष जीता।

(मतदान के पश्चात्)

विरोधी दल की तरफ से : हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : तो मैं यह चाहूंगा कि जो इसके समर्थन में हों वे अपने आसन पर खड़े हो जाएं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Vote of every member should be registered.

श्री उपाध्यक्ष : Shall I put to voice vote again.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपने फरमाया कि आसन पर खड़े हो जाएं ये तो जमीन पर खड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह स्पष्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (श्री सचिव से) Please count it.

(शोर-गुल)

Page No 118

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

'हां' पक्ष में खड़े होने वालों का नम्बर ३९ है।

'ना' पक्ष में ६२ हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I have to refer to Rule 286 proviso.. ......

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब मैं कोई निर्णय दे रहा हूं तो कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं हो सकता।

'ना' पक्ष जीता। संशोधन गिर गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I have to refer to rule 286 the Proviso says, "Provided that, if in the opinion of the Speaker, the Division is unnecessarily claimed, he may ask the members who are for 'Aye' and those for 'No' respectively to rise in their places and, on a count being taken, he may declare the determination of the House."

So a count should be taken.

श्री उपाध्यक्ष : A count has been taken and it has been there.

श्री रामानन्द अग्रवाल : What is the count ?

श्री उपाध्यक्ष : 39 and 62.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): There has been a count without counting.

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

पक्ष में हों वे 'हां' कहें।

हां।

जो इसके विपक्ष में हो वे 'ना' कहें।

ना।

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष : इस पर निर्णय ले लिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Whatever rights we have got we want to exercise. If you are not going to co-operate, you should not expect co-operation.

श्री उपाध्यक्ष : आपस में नहीं बोलें तो अच्छा रहेगा। अभी इस प्रोविजन पर मेरा ध्यान आकर्षित किया था, "Provided that, if in the opinion of the Speaker, the Division is unnecessarily claimed..." तो यह अननेसेसरी क्लेम हो रहा है। जब संख्या का स्पष्ट ज्ञान हो गया है कि ३९ और ६२ है तो मैं नहीं समझता कि खामोख्वाह खड़े होकर बैठेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कइयों के विचार बदल चुके हैं और उधर से इधर आवेंगे। कई लोगों के संदेश भी आ चुके हैं। It is not unnecessary.

श्री उपाध्यक्ष : I think, the hon'ble members want to exercise by standing and sitting.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : We never mind, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे केवल सहयोग की प्रार्थना करता हूं कि 'हां' पक्ष जीता है और इसको विचारार्थ लिया जाना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Is it the ruling of the Chair that if the Chair feels that the division is unnecessarily claimed, then even without asking the members for standing, the decision can be......

श्री उपाध्यक्ष : I have just only requested the members that they would not like to sit and stand off and on and have I just indicated that the number of votes just recorded are absolutely clear and in view of that it is absolutely clear that the division is unnecessarily claimed. If the Hon'ble Members still wish to stand up, I have no objection.
विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order Sir. मैंने पहले भी आपत्ति उठाई थी कि सदन इस समय इस पर विचार नहीं कर सकता। समय के क्वेश्चन को लेकर मैं कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम २१८ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें लिखा है :

"No variation in the Allocation of Time Order shall be made except on a motion made, with the consent of the Speaker, and accepted by the House :

Provided that the Speaker may, after taking the sense of the House, increase the time, not exceeding one hour, without any motion being moved."

बिजनेस एड्वाइज़री कमेटी के निर्णय के अनुसार केवल चार बजे तक ही इस पर विचार किया जा सकता था। ४ बजे के बाद में यदि अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में चाहें कि इसका एक घंटा और एक्स्टेन्ड किया जाय तो एक घंटा और बढ़ा सकते हैं फिर ५ बजने के बाद कोई समय बढाया जायगा तो हाउस में मोशन मूव करना पड़ेगा विथ कन्सेन्ट ऑफ दी चेयर। और अब तक जो समय में वृद्धि की गई है किसी मोशन पर नहीं की है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णय को रेगुलेट करने के लिये। हमने निवेदन किया है कि इसमें समय की वृद्धि करनी है तो निश्चितरूप से मोशन सदन में मूव किया जाना चाहिये तभी समय बढ़ाया जा सकता है और इस बढ़े हुए समय में इस पर विचार किया जा सकता है। इसलिये मेरी आपत्ति है कि इस समय में इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रथम तो माननीय सदस्य का ध्यान उस रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करूंगा जिसमें लिखा है कि बुधवार, दिनांक २४–१०–६२ को राजस्थान युनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, १६६२ विचारार्थ तथा पारण हेतु लिया जायगा इसमें कोई समय का संकेत नहीं है ।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो प्रोविजो पोइन्ट आउट किया है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि आसन की तरफ से सेन्स ले ली गई है हाउस की और उसके बाद एक घंटे का समय बढ़ाया गया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): On a point of order, Sir, वैसे तो २४ता० के कार्य-क्रम में यह भी सम्मिलित है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव पर थोड़े समय तक चर्चा होगी । एक घंटा इसके लिये बढ़ाया गया है तो इस पर चर्चा के लिये कौनसा समय है ?

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल): उपाध्यक्ष महोदय, आपका रूलिंग हो चुका है, उसके बाद इस तरह के प्रश्न कैसे खड़े किये जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को सूचित करूंगा कि जो कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट है उसके अन्दर उनका मोशन सम्मिलित नहीं है, केवल स्पीकर साहब के आदेश से बिजनेस की लिस्ट में ले लिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सजेशन पर लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के अन्तर्गत राजस्थान युनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, १६६२ को पारित करने के लिये ही हुआ है । क्लॉज २ श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब जो समय बढाया गया है, क्या यह समझा जाय कि आपके पावर्स के अन्तर्गत बढाया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सेंस लेकर बढाया गया है ?

(विराम)

क्लॉज २, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १६६२ के क्लॉज २ में मेरा एक संशोधन है ।

संशोधन इस प्रकार है ।

Clause 2.

3. Insert the words "as contained therein on the coming into force of this Act" after the brackets, words and figures " (Rajasthan Act No. 18 of 1962) " occurring in line four of section 5 sought to be substituted in the principal Act.

"Territorial exercise of powers: Subject to the provisions of the Jodhpur University Act 1962 (Rajasthan Act, 17 of 1962) and the Rajasthan Agricultural University Act, 1962 (Rajasthan Act, 18 of 1962), the jurisdiction of the University shall extend to and the powers conferred by or under this Act shall be exercisable throughout the territory of the State of Rajasthan."

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार से है कि ये जो शब्द हैं :

"Subject to the provisions of the Jodhpur University Act, 1962, and the Rajasthan Agricultural University Act, 1962."

इसके बाद ये शब्द इसमें बढा दिये जावें:

" as contained therein on the coming into force of this Act."

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को धारा ५ में किया जा रहा है जिसके आधीन यह व्यवस्था की जा रही है कि राजस्थान विश्व विद्यालय का जो क्षेत्र होगा, वह क्षेत्र अभी सम्पूर्ण राजस्थान पर था, एग्रीकलचर युनिवर्सिटी, उदयपुर में बनने के बाद और जोधपुर युनिवर्सिटी बनने के बाद इस प्रकार का संशोधन संभवतया लाने की आवश्यकता नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर युनिवर्सिटी का जितना कार्य क्षेत्र होगा वह जोधपुर विश्व विद्यालय बिल में स्पष्ट कर दिया, कृषि विश्व विद्यालय का कार्य क्षेत्र जितना होगा वह उस विधेयक में स्पेसिफाई कर दिया है। मैं समझता हूं उन अधिनियमों में जो सीमा निर्धारित की है, उनसे जो सीमा बचती है वह क्षेत्र राजस्थान विश्व विद्यालय का होगा, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर इसमें सब्जेक्टिव क्लॉज लगाया है कि राजस्थान विश्व विद्यालय के अधिकारों का नियमन, किया जायगा, यह गलत है। जितना अधिकार है उतना ही मानते हैं तो रखें, जोधपुर युनिवर्सिटी का जितना जरिस्डिक्शन है उसको एक्सक्लूड कर दीजिये, एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के जुरिस्डिक्शन को निकाल दीजिये, बाकी जो है इस राजस्थान युनिवर्सिटी का जुरिस्डिक्शन रहेगा, यह कर दीजिये। मैंने अपने संशोधन में यह मंशा जाहिर की है कि जिस प्रकार का जुरिस्डिक्शन इन युनिवर्सिटियों का है वह सारा क्षेत्र उनका रहते हुए बाकी सारा क्षेत्र इस युनिवर्सिटी का रहे और इस युनिवर्सिटी के क्षेत्राधिकारों में तब्दीली करने का सवाल खड़ा हो, इसको लिमिट को कन्फाइन करने की आवश्यकता पड़े तो मेरा संशोधन आने के बाद इसके कोई क्षेत्र में कमी की जायगी तो राजस्थान युनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल के द्वारा ही की जा सकेगी। इसलिये जान बूझ कर यह व्यवस्था की है कि जो प्रावधान क्षेत्र के बारे में इन अधिनियमों में है उनका सब्जेक्ट इसका जुरिस्डिक्शन होगा, जुरिस्डिक्सन बदलने का विचार हो तो इसमें अमेंडमेंट लाना होगा।

मैं तो चाहूंगा कि यदि सरकार चाहे तो जयपुर, जोधपुर में युनिवर्सिटियां हैं उनके लिये जिस प्रकार की व्यवस्था की है टीचिंग युनिवर्सिटी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। ७० कॉलेजेज, जयपुर युनिवर्सिटी से एफिलियेटेड हैं। आप चाहें तो यहां तक कर सकते हैं, प्राइमरीली टीचिंग युनिवर्सिटी के रूप में डेवलप करेंगे मैं यह सुझाव देना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा राजस्थान सरकार को कि केन्द्रीय सरकार की ओर से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के तहत हर राज्य में एक एक युनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होने वाली है, जो युनिवर्सिटी जयपुर में है, उसको सेन्ट्रल युनिवर्सिटी के रूप में डेवलप किया जाय। जिसको करना चाहें, करें। यदि जयपुर का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जूरिस्डिक्शन कम करना है तो निश्चित रूप से इस कानून में व्यवस्था की जाय, सबजेक्टिव प्रोविजन लगाने से उसकी व्यवस्था चलेगी नहीं और उसको कानून में रखना आवश्यक भी नहीं होगा। यही मंशा मेरे इस छोटे से संशोधन की है। माननीय मंत्री महोदय, मेरी भावना से सहमत होंगे कि जयपुर की युनिवर्सिटी को टीचिंग युनिवर्सिटी के रूप में डेवलप करें। जो सहानुभूति और सद्भावना इसके विकास के लिये है उसको प्रकट करें। इसके जूरिस्डिक्शन को किसी दूसरी युनिवर्सिटी के सब्जेक्टिव रूप में न रखा जाय इसलिए मैंने यह एक छोटा सा संशोधन इस धारा में प्रस्तुत किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन वास्तव में बहुत ही छोटा है लेकिन धारा ५ की जो स्थिति और स्पिरिट है उसको बिलकुल सोंखने वाला है। "Subject to the provisions of the Jodhpur University Act, 1962, and the Rajasthan Agricultural University Act, 1962, as contained therein on the coming into force of this Act."

धारा ५ इसकी और धारा ५ जोधपुर युनिवर्सिटी की उसमें फर्क इतना ही है कि जोधपुर म्युनिसिपल लिमिट्स को डिफाइन किया है और उसके बाद यह कहा है :

...city of Jodhpur and other areas within the State of Rajasthan, as the State Government may by notification in official gazette direct.

इसलिए लिमिट्स के अतिरिक्त भी नोटिफिकेशन के माध्यम से इस जूरिस्डिक्शन को बढाने का यह प्रावधान है। ऐसी स्थिति में यदि इस संशोधन को मान लिया जाता तो सेक्शन ५ जोधपुर युनिवर्सिटी एक्ट का है टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन पर आघात पहुंचता है और म्युनिसिपेलिटी के अन्दर की युनिवर्सिटी हो जाती है। इसलिए यह छोटा सा संशोधन सेक्शन ५ को ही समाप्त कर देने वाला है इसलिए मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to press your amendment ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को मेरे छोटे से संशोधन से काफी आघात पहुंचा है, मैं उनको आघात नहीं पहुंचाना चाहता। आगे के क्लॉज़ज़ में कम आघात पहुंचेगा, इसलिए इसके द्वारा नहीं पहुंचाउंगा। मैं अपने इस छोटे से संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री सतीशचन्द्रजी को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I withdraw my amendment.

Page No 123

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ यथावत् विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ३ श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Sir, before the Hon'ble Member speaks,

आपने जैसा व्यक्त किया अभी कि मैं भी आपकी सद्भावना का आदर करने वाला हूं, मैं क्लॉज ३ के अमेन्डमेन्ट को विदड्रा करना चाहता हूं । That will satisfy the Hon'ble Member, पहले की पूर्ववत रहेगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप सद्भावना जो दिखाना चाहते हैं मैं कहूं जब दिखावें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें नहीं चाहते ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी सद्भावना नहीं चाहता ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आपका औचित्य मंजूर करूं या नहीं करूं ।

I may be permitted to withdraw the amendment Clause 3.

श्री उपाध्यक्ष : Clause 3 may be deleted ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है । आगे की धारा में है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Have you accepted these amendments in clause 3 ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि धारा ३ को डिलिट करने का जो संशोधन है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहां है संशोधन ?

(विराम)

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मैं पूरे ही को विदड्रा करता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब हम विरोध करते हैं । There is no amendment that has been circulated to us.

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल : We stand by our amendment.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्लॉज ५ पर हमारा संशोधन स्वीकार कीजिये ।

The only procedure the Minister can adopt is that the clause can be negatived by a vote of the House.

श्री निरंजन नाथ आचार्य : Let it be negatived.

श्री उपाध्यक्ष : In this clause, there are 3 amendments of :—

1. Shri Satish Chander.
2. Shri Y. N. Handa
3. Shri Ramanand Agarwal.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम बोलेंगे साहब।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We are going to press our amendments.

श्री उपाध्यक्ष : Is the hon'ble Minister going to concede ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am going to concede to the extent that clause 3 may be withdrawn, so that the original Act may stand.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You do not concede now. Concede afterwards.

श्री उपाध्यक्ष : When the honble. Minister has conceded to it......

(Shri Ramanand stands)

I think, you will speak on it.

श्री रामानंद अग्रवाल : We would like to speak on it.

श्री उपाध्यक्ष : When he wants to have it deleted.

श्री रामानन्द अग्रवाल : We do not want even the old clause.

श्री उपाध्यक्ष : Then Shri Satish Chander Agarwal is satisfied. You are satisfied. Is it not ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप संतुष्ट हो गये हैं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : कहां संतुष्ट हो गया ? छोटा सा संशोधन है, वड़े भारी असंतुष्ट हैं इससे तो इस प्रकार:—

उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज ३ जो वाइस चान्सलर के अपोइन्टमेन्ट के सम्बन्ध में है उसको डिलीट करने के सम्बन्ध में माननीय उपमंत्री महोदय ने सदन के सामने अभी अभी जबानी निवेदन किया......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उपमंत्री ने तो इतनी सहयोग की भावना बतायी। आप जो चाहते हैं वही बतायी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम अभी नहीं चाहते हैं। सिन्डीकेट के बारे में एश्योरेन्स देते हैं तो नहीं बोलेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द): बड़े लम्बे चौड़े भाषण हो चुके हैं इस पर तो।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : If you delete both clauses 3 and 6.

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल जारी रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को विचारार्थ लेते समय जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था......

श्री उपाध्यक्ष : अगर माननीय सदस्यों को यह खातिर जमा हो कि माननीय मंत्री मान लेंगे तो एक-एक, दो-दो शब्दों में कह दें कि यह बात कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : There are different types of amendments.

श्री उपाध्यक्ष : All right. please continue.

Page No 125

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी-बाजार, जयपुर) मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

*Clause 3*_

(i) Delete the proviso to sub-section (2) of new section 12 sought to be substituted in the principal Act.

(ii) Delete the words "as far as may be" appearing in subsection (6) of new section 12 sought to be substituted in the principal Act.

उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में जिस समय यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था इस सदन के सामने इस वाद-विवाद के सम्बन्ध में मैंने कुछ तथ्य प्रस्तुत किये थे। उससे पहले भी इस सदन में अनेक माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय में जो भी घटनायें हुई इस विधेयक के संबंध में ऑब्जेक्टिवली जो भी विचार थे वे सदन के सामने रक्खे। इस सारी बहस के बाद अभी कुछ देर पहले जब माननीय मुख्य मंत्री ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए इस बात को स्वीकार किया और इस सदन में इस बात की मांग की गई कि वाइस चान्सलर के अपोइन्टमेन्ट के बारे में शंकायें प्रगट की गईं। उन शंकाओं के सम्बन्ध में यह स्वीकार किया कि वाइस चान्सलर के अपोइन्टमेन्ट का तरीका पुराने कानून में जो था वहीं तरीका राज्य सरकार रखने के लिये तैयार है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने सदन की भावना को ठीक तरह से समझा नहीं मैं निवेदन करना चाहता हूं वे अगर स्वयं इस बहस में यहां उपस्थित रहते सारे वाद-विवाद को सुनते तभी वे सदस्यों की भावना को अच्छी तरह समझ सकते थे। हमने केवल इस बात की मांग नहीं की कि क्लॉज ३ में वाइस चान्सलर के अपोइन्टमेंन्ट का तरीका तबदील किया जा रहा है यह तरीका गलत है उसके साथ में हमने तथ्य भी उपस्थित किये थे, वह इस बात को दलील थी कि सिन्डीकेट सीनेट का जहां तक कम्पोजिशन का सवाल है जिस तरह से सिन्डीकेट का कम्पोजिशन किया जा रहा है उसी प्रकार यह सिलेक्शन की व्यवस्था रखी गई है उसके दुष्परिणाम होंगे। मौलिक जो बात थी वह सिन्डीकेट के कम्पोजिशन के सम्बन्ध में थी। सदन के जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया, जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किये वे मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वाइस चान्सलर का अपोइन्टमेन्ट के मसले को लेकर वह बहस मुबाहसा नहीं थी सिन्डीकेट का जो कम्पोजीशन किया जा रहा है जिस आधार पर युनिवर्सिटी का आगे का एडमिनिस्ट्रेशन चलने वाला है उसी के आधार पर वाइस चान्सलर के अपोइन्टमेन्ट का सवाल खड़ा हुआ। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री बात चबा गये।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : अमेन्डमेन्ट जो है वह उपकुलपति के बारे में है सिन्डीकेट की जो बात है वह बाद में आयगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपके खांचे में बैठने वाली चीज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अमेन्डमेन्ट पर जितना संक्षेप में हो उतना ही कहें तो अच्छा रहेगा। उसके लिये मैं चाहूंगा कि हर माननीय सदस्य पांच मिनट से अधिक समय न लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोसीजर का जहां तक सवाल है क्लॉज ३ के अन्दर राज्य सरकार इसको डिलीट करने का प्रस्ताव रखती तो समझ में आ सकता था। राज्य सरकार की यह मन्शा नहीं होती तो इस बारे में संशोधन प्रस्ताव रखती। जब प्रस्ताव रखा जाता है और सदन के सामने विचारार्थ है तो उसको देखते हुए मुख्य मंत्री ने जो विचार प्रगट किये जहां हम इस धारा को डिलीट कराना चाहते हैं। और उधर मुख्य-मंत्री, वाइस चान्सलर के अपोइन्टमेन्ट का सवाल है उसमें जिस प्रकार का प्रावधान पहले था उस प्रकार का रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार का जो संशोधन है जो वे सब्स्टीटयूशन कराना चाहते हैं। उसके विरोध करने का सवाल है। इसलिये माननीय सदस्य नहीं कह सकते कि मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर के बाहर जा रहा हूं। अगर आप किसी प्रकार का सब्स्टीट्यूशन करना चाहते हैं तो कोई भी सदस्य उसका विरोध कर सकता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (आसीन्द) आपको इस संबंध में बोलना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपकी समझ का स्तर कम है, आपके समझ में नहीं आयगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री): आप इसको विथड्रा कराने के पक्ष में नहीं है तो इसी प्रकार रहने दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Along with this, if you are prepared to withdraw clause 6 also, because that is material.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इसी तरह से रहने दीजिये, एज इट इज हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब सिन्डीकेट संबन्धी क्लॉज पर बहस हो, एडजस्टमेंट की गुंजायश है या नहीं; that the Minister will tell you. The clause as such we don't think should be withdrawn.

श्री रामानन्द अग्रवाल : Clause 3 should be deferred.

श्री उपाध्यक्ष : Then I am deferring clause 3.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Clause 6.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन रखूं उससे पहले ....

श्री उपाध्यक्ष : Until we discuss Clause 6, Clauses 3, 4 and 5 stand deferred.

(श्री उपाध्यक्ष)

दूसरा मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा रूल २८२ जिसमें "At the appointed hour, in accordance with the time limit fixed for the completion of a particular stage of Bill or a motion, the Speaker shall, unless the debate is sooner concluded, forthwith put every question necessary to dispose of all the outstand ng matters in connection with that stage of the Bill or the motion" मैं समझता हूँ, माननीय, सदस्य इस क्लॉज का उपयोग करने के लिए मुझे बाध्य नहीं करेंगे और अपने अमेन्डमेंट पर बहुत संक्षिप्त भाषण करेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा संशोधन है।

इस क्लाज ६ में जो सब क्लॉज ४ है जिसके अन्दर वाइस चान्सलर को अधिकार दिया गया है······

Clause 6.

7. In new Section 21 sought to be substituted in the principal Act—

(a) After the word "Chancellor" occurring in clause (iv) add, the words " on the recommendation of the Senate ".

(b) Replace the word "two" occurring in clause (vi) by the word "four".

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री): आपको ऐतराज नहीं हो तो मैं कुछ निवेदन कर दूं कि यह क्लॉज ६ है, इसके सब क्लॉज ७ के अन्दर "three principals of colleges nominated by the Vice Chancellor in rotation" इसके बजाय जैसा कि पुरानी धारा में था "elected by the principals themselves." हम इसको इस तरह से चेन्ज करलें। इलेक्शन का इसमें रख लें, एफीलियेटेड कॉलेज के प्रिन्सिपल इलेक्ट करेंगे। जहां डीन्स और प्रोफेसर्स रोटेशन से आते हैं हम यह नहीं चाहते कि डीन्स और प्रोफेसर्स को चुनाव के लिये कन्वेसिंग में जाना पड़े। वे लोग तो इसी तरह रह जायं। Then instead of three nominated educationists, two may be elected by the Senate.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव दे दूंगा हमारी यूनिवर्सिटी में डीन्स की संख्या ६ है। उसमें से तीन को आपने रख दिया। मेरा निवेदन है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स जिनकी संख्या २० है उनमें से दो को लिया है। इसलिये प्रोफेसर्स की संख्या बढ़ायी जाय।

श्री मोहनलाल सुखाडियाम् : डीन्स का जो स्टेट्स है उस स्टेटस को सिन्डीकेट में रिफलेक्ट करना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में मेरा जो संशोधन है उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जय।

श्री उपाध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य चाहें तो सर्व श्री जुझारसिंह, योगेन्द्रनाथ हांडा, रामानन्द अग्रवाल, इनके जो संशोधन हैं इनको तारतम्य से ले सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सजेशन रख देता हूं। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को बता देना चाहता हूं कि हम भी चाहते हैं कि यह विधेयक अच्छा बने और बाद में आपको उलाहना देने का अवसर न आवे। दो चार सजेशन जो भी रख देते हैं उनके आधार पर आप विचार कर लिजिए। और इसके बाद क्लॉज ६ ठीक तरह से पास हो जाती है तो फिर ज्यादा कन्ट्रोवर्सी नहीं रह जाती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : माननीय सदस्य अपने सजेशन मैथेमैटिकल एक्सप्रेशन में रख दें तो समय बच जावेगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : तीन शिक्षा शास्त्री हैं इनके बारे में मेरा संशोधन है कि इसमें बाई दी रिकमन्डेशन ऑफ दी सीनेट के अनुसार या चार मनोनीत होने चाहियें। केवल अकेले वाइस चान्सलर को अधिकार नहीं देना चाहिये। सीनेट की रिकमन्डेशन लेकर वह करे।

और इसके साथ ही सब-क्लॉज ६ में जो '२' संख्या है इसके बजाय 'चार' कर दी जावे।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री जुंझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ के....

श्री उपाध्यक्ष : जैसे उप मन्त्री ने कहा कि आप अरिथमेटिकल भाषा में रखिये; बिलकुल टू दी पॉइन्ट रख दीजिये।

श्री जुंझारसिंह (चेचट) : संशोधन इस प्रकार है:-

Clause 6

8. In new section 21 sought to be substituted in the principal Act—

(a) Replace clause (ii) by the following:—

"(ii) Three Deans Elected by the Deans of all Faculties."

(b) Replace clause (v) by the following:—

"(v) Two Professors elected by all University Professors".

(c) Replace clause (vii) by the following:—

"(vii) Three Principals of the affiliated Colleges elected from amongst themselves."

सब क्लॉज (२) में डीन का नोमीनेशन है इसके बजाय चाहता हूं।

"three Deans should be elected from the Deans of faculties."

इसका जो ओरीजिनल एक्ट है इसमें सारे डीन्स सिंडीकेट के मेम्बर हुआ करते थे इसके बजाय उनका नबर घटाकर तीन कर दिया गया है। तो मेरा निवेदन है कि जब सारे मेम्बर्स ८९ में से तीन रख दिये गये हैं तो उनमें से अब नम्बर रिड्यूस हो गये हैं तो तीन का इलेक्शन हो जावे तो बैटर रहेगा बनिस्बत इसके कि इनको वाइस चान्सलर के मार्फत नोमीनेट किया जावे।

(श्री जुझारसिंह)

दूसरा है सब क्लॉज (५) पर। दो प्रोफेसर्स का लिया जाना भी इलेक्शन से हो तो ठीक रहे।

तीसरा सब क्लॉज (७) पर है। उसका मन्त्री महोदय ने समाधान कर दिया है इसलिये उस पर मुझे अर्ज नहीं करना है।

ये ही मेरे अमेन्डमेन्ट्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५ में चार संशोधन पेश किये हैं, संशोधन इस प्रकार है:

9. In the new section 21 sought to be substituted in the principal Act, substitute the following for clause (vii):

(vii) three principals of colleges to be elected by them from amongst themselves.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): ६ हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : टाइपिंग की मिस्टेक है इसमें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): ६ ही हैं साहब।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत: इसमें देखिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्लॉज ६ में है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इस समय क्लॉज ६ चल रहा है। क्लॉज ६ में यह है कि उक्त सब क्लॉज (७) को नये ढंग से लिखा जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको एक्सेप्ट कर लिया है मंत्री महोदय ने।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन इस प्रकार हैं:

In Section 21 of the principal Act sought to be substituted:—

(a) Clause (ii) be replaced by the following:—

"(ii) all deans",

(b) Clause (iii) be deleted,

(c) Clause (iv) be deleted,

(d) Clause (v) be replaced by the following:—

"(v) Five University Professors elected by the University Professors from amongst themselves,",

(e) Clause (vi) : (a) replace the word "two" by the word "five",

(b) replace the word "one" by the word "three",

(c) replace the words "a registered graduate" by the words "registered graduates"

(f) Clause (vii) be replaced by the following:—

"(vii) Three Principals of Colleges elected by the Principals from amongst themselves",

Page No 130

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सभापति महोदय, मेरा संशोधन पहला तो डीन्स के सम्बन्ध में है और इसमें मैंने रखा है कि: "Clause (ii) be replaced by the following:

"(ii) all deans"

कुल सात डीन्स हैं इस समय और अब तक तीन डीन्स नहीं हुए । दस हो सकते हैं । पर प्रोपर नोमीनेशन के बाद में होंगे । अभी झगड़ा पड़ा हुआ है । सीनेट ने एप्रूव नहीं किया है ।

इस सम्बन्ध में, मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा कि अगर आप सात में से तीन ले लें और वे सात में से बाकायदा इलेक्ट होकर आ जावें डीन्स डिग्निफाइड होते हैं, वोट मांगने नहीं जावेंगे । मैं कहूं कि जहां १० का इलेक्टोरल कॉलेज हो तो वोट मांगने जाने की आवश्यकता नहीं है । तीन वैसे ही आ सकते हैं ।

इसके बाद इसी सम्बन्ध में, सब क्लॉज़ तीन में मेरा संशोधन है: जिसमें मैंने "डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन" जो है उसको डिलीट किया है । इसकी आवश्यकता नहीं समझता सिंडीकेट में । कॉलेज एजुकेशन के डाइरेक्टर के डिफरेन्ट फंक्शन्स हैं । सिंडीकेट, डाइरेक्टर ऑफ कालेज एजुकेशन को गाइड कर सकती है । उसकी ड्यूटीज़ सिंडीकेट से दूसरी हैं । इसके सम्बन्ध में सिंडीकेट डाइरेक्टर कॉलेज ऑफ एजुकेशनको सूचना कर सकती है और उनको लागू करना डाइरेक्टर ऑफएजूकेशन का काम है । मैं नहीं समझता कि किस कारण इसको और एड किया जावे ।

"(iv) three educationists to be nominated by the Chancellor," this should be deleted.

फिर इसके बाद "(v) two University Professors nominated by the Vice-Chancellor in rotation"

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है, अमेन्डमेन्ट है,

Replace it by the following:-

"(V) five University Perofessors elected by the University Professors from amongst themselves".

प्रोफेसरों के प्रनिनिधि इलेक्टेड होने चाहियें, कम से कम ५ होने चाहियें । सबसे अधिक संख्या इनकी होगी । ये सबसे ज्यादा योगदान कर सकते हैं इसलिये कम से कम इनके पांच प्रतिनिधियों का होना सिंडिकेट में आवश्यक है, और ये पांच इलेक्टेड होने चाहियें ।

इसके बाद छठे में "(VI) two members of the Senate, being non-teachers, elected by the Senate, one of whom shall be a registered graduate."

इस सम्बन्ध में मेरा अमेण्डमेन्ट है कि कम से कम ५ इस सम्बन्ध में आने चाहियें । टीचर्स और रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स जिनमें तीन रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हों "five members of the Senate, being non-teachers, elected by the Senate, three of whom shall be a registered graduate,"

इसमें केवल एक रजिस्टर्ड ग्रेजुएट का प्रावधान है पर कम से कम ३ का आना जरूरी है । सबसे कम रिप्रेजेन्टेशन इनका रखा है । इसको बढ़ाया जाना आवश्यक है ।

और सातवें के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है "Three Principals of Colleges elected by the Principals from amongst themselves."

ये तीन प्रिन्सिपल्स मैं स्वीकार करता हूं । पर बाकायदा ये भी इलेक्टेड होने चाहिये, नोमिनेटेड की जगह । ये हैं मेरे सुझाव ।

Page No 131

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चार अमेन्डमेन्ट्स हैं। एक तो जो डीन्स हैं उनको नोमिनेटेड की बजाय इलेक्टेड चाहता हूं।

इसी तरह प्रोफेसर्स हैं उनको भी इलेक्टेड चाहता हूं, नोमिनेटेड की बजाय।

तीसरा ३ एजूकेशनिस्टस की बजाय मैं चाहता हूं कि जो ग्रेजुएट्स है रजिस्टर्ड ३ इलेक्टेड होकर आ जायं।

चौथा वही है जो मुख्य मन्त्रीजी ने स्वीकार कर लिया है।

मेरा मकसद यह है कि उनके नोमीनेटेड पर्सन्स को घटा कर उन्हीं लोगों को इसी स्तर क लोगों द्वारा इलेक्टेड चाहता हूं। यह मंशा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक क्लेरीफिकेशन आपसे (सरकार से) पूछना चाहता हूं आपने इसमें लिखा है : "three Deans nominated by the Vice-Chancellor in rotation"

यानी रोटेशन में होंगे; लेकिन साथ में यह लिख दिया है Provided that no Dean shall be nominated for two successive terms".

तो रोटेशन से मतलब यह है कि कोई अभी नोमीनेट हुआ और ३ साल खत्म हो गए तो दूसरे ३ डीन्स का नम्बर आ गया, नहीं तो सक्सेसिव टर्म का मतलब यह हुआ कि ६ साल तक चलेगा। तो या तो आप रोटेशन का प्रोवीज़न हटा दें, वर्ना सक्सेसिव टर्म में तो वही दुबारा फिर आ जायेंगे।

For the next term they shall be eligible for re-appointment तो फिर बाकी का नम्बर ६ साल बाद आयेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : Sir, the time may be extended.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि time be extended by one hour ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : I move the motion. Sir, that the time be extended by one hour.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं ऐसा समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय सदस्य कन्ट्रोवर्सी के प्रवाह में बह गये हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कुछ संशोधन करने की बात सदन में कही है। इसलिए आप इतना तकाजा न करें कि इसे आज ही पास जल्दी में करायें। जो बाकी रह गया है उसको रात में बैठकर अच्छी तरह से निश्चय कर लें। आज एक घन्टे के अन्दर या जल्दी में पास करवा लें उससे तो ज्यादा अच्छा है कि आप इसको बाद में ले लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इसको कल ले लें ताकि इस पर अच्छी तरह से विचार-विमर्श भी हो जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कल प्लान बड़ा इम्पोरटेन्ट विषय है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि कल पहले इसको ले लें, उसके बाद फिर प्लानिंग पर डिस्कशन कर लेंगे और कल एक घन्टे में पहले इसको समाप्त कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : With the hope that the Government will also reconsider all these amendments.

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजकर ५२ मिनट पर गुरुवार, दिनांक २५ अक्टूबर, १९६२ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त—विवरण

(बुधवार, दिनांक, २४ अक्टूबर, १९६२)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

सीकर सदर थाने की ईमारत

रतनगढ़ से राजलदेसर तक सड़क

नगरपालिकाओं के वार्षिक बजट

स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कन्सल्टेटिव कौन्सिल की चालू वर्ष में बैठकें

अजीतगढ़ के तालाब की पाल पर के आम रास्ते से खतरा

तहसीलों के केन्द्रों को सड़क द्वारा जोड़ना

टिड्डीनाशक पाउडर की खरीद

अलवर शहर में तांगा स्टेन्ड पर पक्का मार्केट बनाने की योजना

भीम पंचायत समिति को सौंपे गये तालाबों की मरम्मत

जयपुर शहर की बस सर्विस

बीकानेर नगरपालिका के चुनाव

यातायात राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत किराये की दरें

एम्पलाईज स्टेट इन्स्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रहे डॉक्टर्स को विशेष भत्ता

सैटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट के फार्म्स का दुरुपयोग

निम्बाहेड़ा से बेगूं वाया कनेरा की बसें

हनुमानगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के वाटर वर्क्स का पानी अस्वास्थ्यकर

नीम का थाना—गनेशर सड़क

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५०

ब्यावर-विलाड़ा सड़क

अजमेर जिले की मोटर कम्पनियों के मजदूरों को महंगाई भत्ता

सिमली बिहार बान्ध योजना

राजगढ़ कस्बे को चम्बल से बिजली

नल योजना-शाहबाद पंचायत

पीपलू—टोंक डिग्गी सड़क नातड़ी होकर

स्टेट रोडवेज की बसों का बीमा

भूदोली बांध योजना

ग्राम पहाड़ी से पुराना ग्राम होकर ईसरदा तक सड़क

तिजारा--भिवाड़ी सड़क

स्टेट रोडवेज को बसों का चालान

स्थगित प्रश्न

[१७-१०-६२]

निम्बाहेड़ा की कॉटन फैक्ट्रीज के मजदूर

भवनों की खरीद

जयपुर नगर में ट्रक स्टेन्ड

स्थगित प्रश्न

[१८-१०-६२]

सांचोर डिस्पेन्सरी की इमारत की मरम्मत

स्थगित प्रश्न

[२३-१०-६२]

भूतपूर्व नरेशों पर पानी और बिजली का खर्चा

२. शोक प्रकट

स्वर्गीय श्री राधाकृष्ण मौर्य के देहावसान पर अध्यक्ष महोदय ने अपनी तथा सदन की ओर से शोक प्रकट किया इसके पश्चात् सदस्यों द्वारा कुछ मिनट के लिये मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना की गई।

३. विधायी कार्य

विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, १९६२

श्री निरंजननाथ आचार्य, उप शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री मुरलीधर व्यास ने विधेयक क्रमशः जनमत जानने हेतु प्रसारित करने व एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये--

वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया--

(१) श्री मुरलीधर व्यास
(२) श्री विजयसिंह झाला
(३) श्री भैरोंसिंह
(४) श्री मथुरेश बिहारी
(५) श्री रामकिशन
(६) श्री दुर्गालाल बाढ़दार
(७) श्री रामानन्द अग्रवाल
(८) श्री सतीश कुमार
(९) श्री मानिकचन्द सुराणा

उप-मंत्री, शिक्षा विभाग के उत्तर के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

Page No 134

तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-२ स्वीकार किया गया

खण्ड-३, ४, १५ विचार स्थगित रखा गया।

४. प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु समय की वृद्धि

राजस्थान कोलाहल तथा संगीत नियंत्रण विधेयक, १६६२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु, नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १६६२ के

खण्ड ६ पर बहस हो रही थी कि सदन की बैठक ५ बजकर ५२ मिनट पर गुरुवार, दिनांक २५ अक्टूबर, १६६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

दिनांक २५ अक्टूबर, १६६२ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के लेखे (६-६-५० से ३-३-५६) तथा संक्षेप प्रतिवेदन (सदन की मेज पर रखना)

(२) याचिका का उपस्थापन

(३) आधे घण्टे की चर्चा

(४) जोधपुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल एवं डाइरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के कार्यालय को हटाने के संबंध में ध्यान आकर्षित करना

(५) राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १६६२

अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित

(६) तृतीय पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले परिवर्तन, परिवर्धन तथा परिपालन (इम्प्लीमेन्टेशन) पर विचार विमर्श)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६१ का उत्तर देखिये)

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD.

Proceedings of the 6th Meeting of the Rajasthan State Electricity Consultative Council held on the 26th July, 1962 at 2.30 P. M. in the Chamber of the Chairman, Rajasthan State Electricity Board.

The following were present:—

(1)	Shri S. E. Kakar	Chairman
(2)	,, Sohan Lal Khindaria	Member
(3)	,, K. C. Satsangi	Member
(4)	,, Balwant Sinha Mehta	Member
(5)	Director of Transport	Member
(6)	Shri V. N. Kak	Member
(7)	,, Onkar Singh	Secretary

The following were not present:—

(1)	Shri B. D. Somani	Member
(2)	,, Ramnath Podar	Member
(3)	,, A. K. Roy	Member
(4)	,, Harish Chandra Golecha	Member
(5)	Director, Local Bodies	Member
(6)	Shri Kastur Mal Shah	Member

(Since Government have not given any decision as to who would represent Labour in the Council, no Labour representative was present at the Meeting).

6.1 The Minutes of the 5th Meeting of the Council, held on the 27th February, 1962 were read and confirmed.

6 2 The Chairman informed the Council about the sad demise of Shri S.C. Dore, a Member of the Council, on 14th March, 1962, and the Council passed the following condolence resolution:—

"This meeting of the Rajasthan State Electricity Consultative Council records its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri S.C. Dore (Chief Engineer and Manager, Maharana Bhupal Electric Supply Co. Ltd.), a Member of this Council, on the 14th March, 1962.

Shri Dore had been a Member of this Council from its inception and his advice in technical matters had always proved valuable to the Council.

The Council conveys its condolences to the Members of the bereaved family as also to the Maharana Bhupal Electric Supply Company, Udaipur."

The Members of the bereaved family as also the Maharana Bhupal Electric Supply Co, Udaipur, may be informed accordingly.

6.3 The note relating to the targets and achievements during the year 1961-62 (first year of the Third Five Year Plan) was discussed. The Council noted that considering the difficulties and bottlenecks the progress made was satisfactory. The Council was also informed that the tantative plan for 1963-64 had been prepared on the basis of population and that by the end of 1964, all the localities with the population of 5,000 and above will be electrified.

The following suggestions were made by the members to remove the difficulties and to improve the distribution of electricity in rural areas.

(1) The Director of Transport suggested that he may also be approached in case of any difficulty regarding non-availability of wagons, so that he may put is weight in getting priorities of movement. Shri V. N. Kak also offered his help in this regard in his capacity as Member of the various Railway Advisory Committees.

(2) The targets with special reference to availability of financial resources were discussed. The Council was intimated that the funds provided for transmission and distribution system were inadequate. The Chairman informed that the position had been explained to the Government and Government had desired that we should submit them the revised plans after taking into consideration the amount of Rs. 3 crores, which the Board may raise as loan during the Third Plan period.

(3) The Members of the Council specially stressed that the amount of Rs. 50 lakhs provided for development of agricultural load during 1962-63 was inadequate and it would be advisable to increase this amount during the current and subsequent years.

(4) The Chairman also informed the member of the Committee that except for strike in the month of April relation with the labour have been satisfactory.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६४ का उत्तर देखिये)

Sl. No.	Name of firms.	Price in Rs. per Rs. tone	Remarks.
1.	Flintrock Products Bombay.	398/-	F. O. R. Destination
2.	Tata Fison Ltd. New Delhi.	1.3,48/- 2 3,98/-	F. O. R. Agra F. O. R Destination
3.	......do ......Bombay.	1.3,98/- 2.5,78/-	F. O. R. Destination F. O. R. Destination in 50 Kg. drums
4.	Devi Dayal Sales Bombay.	398/-	F. O. R. Destination
5.	Imprial Chemical, Bombay.	398/-	—do—
6.	Pesticides India, Udaipur.	371/- 396/-	F. O. R. Jaipur F. O. R. Destination
7.	Mysore In secticides Co., Madras.	398/-	F. O. R. Jaipur
8.	Bharat Pulverising Mills, Bombay.	398/-	F. O. R. Destination.
9.	All India Medical Corporation,	304/-	F. O. R. Bombay

The tender of M/s Pesticides India, Udaipur at Rs. 348/- per metric tonne F.O.R. Jaipur & F.O.R. Destination within 200 miles within Udaipur was accepted. Thereafter more purchases of Pestides were made from M/s Pesticides India, Udaipur and M/s I.C.I. at Rs. 304/- per metric tonne F.O.R Udaipur & Curgaon.

परिशिष्ट [१७६४]

" QUOTE TELEGRAPHICALLY RATES FOR JAIPUR BENZENE HEXACHLORIDE TEN PERCENT DUST WHITE TALC LATEST BY FIVE PM TWENTYNINTH JULY AAA APPROXIMATE REQUIREMENT SIXHUNDRED TONS AAA FINAL RATES ADJUSTABLE CHARGEABLE FOR DESTINATION AAA STORES TO BE BOOKED WITHIN SEVEN DAYS OF RELEASE ORDER AAA NINETY PERCENT ON PROOF DESPATCH AND BALANCE TO BE MADE ON ACTUAL RECEIPT OF THE STORES BY THE CONSIGNEES "

AGRIRAJ

Not to be Telegraphed :—

DIRECTOR OF AGRICULTURE.

No. K. 1613-1628/PP/Lec/62-63/ Dated 26-9-62

Copy by post in confirmation forwarded for information and necessary action to:—

1. M/s Pesticides India, Udaipur.
2. M/s Burmah Shall, New Delhi.
3. M/s Tata Fison, New Delhi.
4. M/s Imperial Chemical Industries, New-Delhi.
5. M/s Bharat Pulverising, Mills, Bombay.
6. M/s Flentrock (P) Bombay.
7. M/s Devi Dayal Sales, Bombay.
8. M/s Burmah Shell, Bombay.
9. Tata Fison Bombay.
10. M/s I. C. I. Bombay.
11. M/s All India Corporation, Bambay.
12. M/s Mysore Insecticides Madras.

———

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३६८ का उत्तर देखिये)

२. चौपड़, मानक चौक से रेल्वे स्टेशन वाया किशन पोल, अजमेरी गेट, मिर्जा इस्माइल रोड़, २०

३. चौपड़, मानक चौक से गांधी-नगर वाया कोतवाली चौपड़, अजमेरी गेट, सवाई मानसिंह होस्पीटल, लालकोटी ३०

४. चौपड़ मानक चौक से डी० टी० एस आफिस, पावर हाउस वाया जयपुर स्टेशन, १०

५. चौपड़, मानक चौक से राजस्थान सेक्रेटेरियट वाया होस्पीटल रोड व एम० आई० रोड से भगवानदास रोड (सुबह शाम सेक्रेटेरियट लाइन पर चलती है।)

६. गवर्नमेंट होस्टल से एसेम्बली हाल वाया सवाई मानसिंह हाई वे। (एसेम्बली के समय पर चलती है)

७. सांगानरी गेट से आदर्शनगर वाया मुस्लिम स्कूल, बीस दुकान, अशोकनगर, बर्फखाना, राजापार्क व चांदपोल से झोटवाड़ा, टीबी होस्पीटल।

Enelosure to Assembly Question No. 113/P.W.M.
By Shri Bhairon Sinh

Route No. 1	Area & Location. 2	No. of busens required. 3	Fre-quency. 4
1.	Ramganj Chopar to Railway Station via Chopar Manak Chowk, Chhoti Chopar, Chandpole Gate, Jaisingh Circle and back on the same route to Kahsa Kothi and Railway Station.	Six	Thirty Minutes.
2.	Char Darwaja to Railway Station via Motikatla Bazar, Seredyodi Bazar, Manak Chowk, Johri Bazar, M.I. Road, Khasa Kothi, Railway Stations & back on the same ronute.	Three	—do—
3.	Ranganj Chopar to Railway Station via upto Chandpole Gate the same as in route No. 1 and then, Nirwan Marg, Moti Babu Marg, Madhosingh Circle, Kabir Marg, Power House road, Railway Station and back on the same route.	Three	—do—
4.	Ramganj Chopar to Railway Station via Ghat Darwaja, Agra Road, Shri Ganga Talkies, M. I. Road, Khasa Kothi, Jaisingh Circle, Back to Khasa Kothi and then to Railway Station.	Three	—do—
5.	Chhoti Chopr to Bazaznagar via Kishanpole, Ajmeri Gate, Maharani's College. S.M.S. Hospital, Rambagh Circle, Podar Higher Secondary School, Servants Guarters, Bazajnagar and back on the same route.	Four	Twenty Minutes.
6.	Choti Chopar to Secretariat via Ajmeri Gate, H.G.D. Lane, St. Xavier School, Bhagwandas Road A.G. Officer, Secretariat Tilak Marg, Bagariya Bhawan Subas Marg, Panch Batti, M. I. Road, and back on the same route to Choti Chopar	Two	Thirty Minutes.

1	2	3	5
7.	Sanganeri Gate to Jhanda Circle, via Moti Dungri Road, Regional Settlement Commissioner's Office, Bees Dookan Industrial Lene, uniara Gardens, Univarsity upto Jhanda Circle and back on the same route.	Three	Between 9 A. M. to 11 A. M. & 4 P. M. to 6 P. M. shall be 29 minutes & in normal hours 50 mts,
8.	Ajmeri Gate to Jhanda Circle via Sanganeri Gate, Moti Dungri Road, uniara Gardens, University Jhanda Circle, and back to Adarshnagar via Industrial lane, Bees Dookan, Salt Commissioner's Office and back to Ajmeri Gane on the same route.	Two	Batween 9 A. M. to 11 A.M. and between 2 P. M. to 6 P. M. shall be 20 Minutes otherwise one hour.
9.	Railway Station to Gandhinagar via Khasa Kothi, M. I. Road, Subhas Marg, Bagadiya Bhawan to Tilak Marg and then through Middle Land, between the Sectt. and A. G. Office to New High Court Buildings, Ram bagh Circle, Gandhinagar Point, Inside. Gandhinagar return to Bapunagar from 'A' Quarters Central Road via Janta Stores, Bhawani Singh Road to Ram. bagh Circle and back to Railway Station on the same route.	Three	Between 9 A, M, to 11 A,M. and 4 to 6 P.M, shall be 15 Minutes and in normal hours shall be 30 minutes,
10.	Ajmeri Gate to Industrial Estate via M. I. Road over the Bridge, to Hashanpura Sodhala then back to Gijgarh House, Civil Line Road, Sardar Patel Marg, Govt. Hostel M. I. Road and back to Ajmeri Gate,	Two	One Hour.
11.	Chandpol Gate to Jhotwara via Labour Colony and back.	Three	Thirty Minutes.

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७० का उत्तर देखिये)

Statement of Fares Charged by Roadways and Private Operators on Nationalised Routes

S. No.	Name of the Nationalised route	Fare Charged by Rajasthan State Roadways: Normal fare Rs. 0.4 nP. per mile per Passenger plus 20% Passenger Tax	Fare Charged by Rajasthan State Roadways: Reduced fare for through Passengers rail parallel routes on	Fare chargesd by Private Operators
1	2	3	4	5
1.	Jaipur-Delhi	Inter State route	6.80	No service was running previously. 6.44 some operators plied t eir buses for a month or so.
2.	Jaipur-Alwar	—	3.82	2.75
3.	Alwar-Delhi	Inter State route	5.39	3.69
4.	Alwar-Mubarikpur	5.30	—	0.85
5.	Jaipur-Kotputli	3.25	—	2.75
6.	Jaipur-Med	2.80	—	2.44

1	2	3		4	5
7.	Jaipur-Agra	Inter State route	6.10		No Service was running previously.
8.	Jaipur-Bharatpur	5.30	—		3.38
9.	Jaipur-Ajmer	—	3.45		2.38
10.	Jaipur-Kishangarh	—	2.77		1.12 (on account of competition with the private operators)
11.	Ajmer-Harmara	1.35	—		
12.	Jaipur-Kotba	—	6.20	Jaipur-Deoli Deoli-Kotba	4.30 No direct service was running previously.
					2.69
					7.49
13.	Ajmer-Kotah	6.15	—		6.25
14.	Ajmer-Bhilwara	—	3.30		2.91
15.	Ajmer-Bijainagar	—	1.70		1.41
16.	Ajmer-Gulabpura	—	1.90		1.58
17.	Ajmer-Jodhpur	6.20	—		No direct service was running previously.
18.	Jodhpur-Sumerpur	4.30	—		—do—

परिशिष्ट,५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७७ का उत्तर देखिये)

THE SCHEDULE

S. No. 1	Name of City or Town 2	District in-Which Situate 3	Division 4
1.	Banswara	Banswara	Udaipur
2.	Bhilwara	Bhilwara	—do—
3.	Bhindar	Udaipur	—de—
4.	Chittorgarh	Chittor	—do—
5.	Dungarpur	Dungarpur	—do—
6.	Nathdwara	Udaipur	—do—
7.	Nimbahada	Chittor	—do—
8.	Pratapgarh	Chittor	—do—
9.	Shahpura	Bhilwara	—do—
10.	Udaipur City	Udaipur	—do—
11.	Alwar City	Alwar	Jaipur
12.	Amber	Jaipur	—do—
13.	Bayana	Bharatpur	—do—
14.	Bharatpur City	Bharatpur	—do—
15.	Bhusawar	Bharatpur	—do—
16.	Chirawa	Jhunjhunu	—do—
17.	Dausa	Jaipur	—do—
18.	Deeg	Bharatpur	—do—
19.	Dholpur	Bharatpur	—do—
20.	Jaipur City	Jaipur	—do—
21.	Jhunjhunu	Jhunjhunu	—do—
22.	Kaman	Bharatpur	—do—
23.	Karauli	Sawai Madhopur	—do—
24.	Khetri	Jhunjhunu	—do—
25.	Kishangarh	Jaipur	—do—
26.	Malpura	Tonk	—do—
27.	Newai	Tonk	—do—
28.	Sambhar	Jaipur	—do—
29.	Sawai Madhopur	Sawai Madhopur	—do—
30.	Sikar	Sikar	—do—
31.	Singhana	Jhunjhunu	—do—
32.	Tijara	Alwar	—do—

Page No 145

S. No. 1	Name of City or Town 2	District in Which Situate 3	Division 4
33.	Tonk City	Tonk	Jaipur
34.	Weir	Bharatpur	—do—
35.	Bikaner City	Bikaner	Bikaner
36.	Churu	Churu	—do—
37.	Ganganagar	Ganganagar	—do—
38.	Ratangarh	Churu	—do—
39.	Sadulgarh (Hanumangarh)	Ganganagar	—do—
40.	Baran	Kotah	Kotah
41.	Brijnagar (Jhalawar)	Jhalawar	—do—
42.	Bundi City	Bundi	—do—
43.	Chhabra	Kotah	—do—
44.	Jhalarapatan	Jhalawar	—do—
45.	Kotah City	Kotah	—do—
46.	Lakheri	Bundi	—do—
47.	Ramganjmandi	Kotah	—do—
48.	Sangod	Kotah	—do—
49.	Sirohi	Kotah	—do—
50.	Barmer	Barmer	Jodhpur
51.	Jaisalmer	Jaisalmer	—do—
52.	Jalore	Jalore	—do—
53.	Jodhpur City	Jodhpur	—do—
54.	Nagaur	Nagapur	—do—
55.	Pali	Pali	—do—
56.	Sirohi	Sirohi	—do—
57.	Bhawani Mandi	Kotah	—do—
58.	Hindrun	Jaipur	—do—
59.	Jobner	Jaipur	—do—
60.	Ajmer	Ajmer	—do—
61.	Beavar	Ajmer	—do—
62.	Nasirabed	Ajmer	—do—
63.	Kekri	Ajmer	—do—
64.	Nadbai	Bharatpur	—do—
65.	Suratgarh	Ganganagar	—do—
66.	Shivganj	Sirohi	—de—
67.	Merta City	Nagaur	—do—

S. No. 1	Name of City or Town 2	District in Which Situate 3	Division 4
68.	Sujangarh	Churu	Jodhpur
69.	Rai-Singh-Nagar	Ganganagar	—do—
70.	Mount Abu	Sirohi	—do—
71.	Nokha	Bikaner	—do—
72.	Kuchamancity	Nagaur	—do—
73.	Kotputli	Jaipur	—do—
74.	Abu Road	Sirohi	—do—
75.	Makrana	Nagaur	—do—
76.	Sardar-Shhar	Churu	—do—
77.	Nawalgarh	Jhunjhunu	—do—
78.	Ladnun	Nagaur	—do—
79.	Baggar	Jhunjhunu	—do—
80.	Deoli	Tonk	—do—
81.	Nohar	Ganganagar	—do—
82.	Fatehpur	Sikar	—do—

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १९८ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN, LABOUR DEPARTMENT

No. 103/IF/61/1657. *Dated the 22nd Secembcr. 61*

To

THE MANAGER,
SETH NARAINDAS VASUDEV COTTON GINNING AND PRESSING FACTORY, NIMBAHERA.

My inspection on 12-12-61.
Inspection under Factories Act, 1948 and the Rajasthan Factories Ruies, 1951.

Upon a recent inspection your factory on 12th December, 1961, it was found to the extent indicated below that certain provisions of the Factories Act and Rules made there under had not been complied with. Please take necessary steps to comply with law and report compliance to me in writing at the earliest.

The order below are issued or repeated from the previous order without prejudice to any legal action which I might take for the non-compliance of any provisions of the Act & Rules mdae thereunder.

Sec. 11, Rule 16.	Register of lime washing and Painting in form No. 7 maintained but not filled up.
Sec. 21, Rule 53,	Fencing of Gins, belt, pulley not made properly.
Sec. 22, Rule 54.	Register of worker attending to machinery in Form No. 8 not maintained at all.
Sec. 61, Rule 84.	Notice of period of work for Adult workers in Form No. 12 displayeb on lhe noticc beard of the Factory.
Sec. 62, Rule 85.	Register of Adult workers in Form Ne. 13 maintained but Lot filled up.
Sec. 83, Rule 92/93	Register of leave with wages in form No. maintained but not filled up and the leave Books in form No. 17 not given to the workers.
Soc, 112, Rule 109	Regidter of Accidents and Dangerous occurrences maintained in form No. 29 but not filled up. Name and Address of the Inspector and certifying Surgeon (D. M, & H. O.) not displayed on the notice-board of the factory.

No. F. 103/IF/60/1658 *Dated 22-12-61*

Copy submitted in duplicate, to the Chief Inspector of Factories and Boilers, Rajasthan, Jaipur for favour of information and necessary action with the remarks that the last inspection was made on 7-4-61.

Sd-I. D. GARG

Inspector of Factories and Boilers
Udaipur Division, Bhilwara,

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रम सख्या ३५८।१८　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक १५-२-५८

श्री केसरीमल लड्ढा
मैनेजर नारायण दास वासुदेव जिनिंग फेक्ट्री,
निम्बाहेडा ।

विषय :—फैक्ट्रीज एक्ट और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट को धाराओं का उल्लंघन ।

प्रसंग :—मैने दिनांक १२-२-५८ को निरीक्षण किया खास तौर पर नीचे लिखी कमियां पाई गई:-

१. ऑइल इंजिन के फूलाई व्हील फेन्सिग नहीं करवाया है ।
२. कारखाना चालू करन का नोटिस आपने इस कार्यलय में नहीं भेजा ।
३. एडल्ट वर्कर्स रजिस्टर आप नहीं रखते ।
४. हाजरी का रजिस्टर अलग २ और कई टुकडों में है । वक्त पर हाजरी नहीं लगाई जाती ।
५. तनख्वाह के चुकाने की तारीख का नोटिस नहीं लगा रक्खा है ।
६. मासिक तनख्वाह वालों की मजदूरी की तनख्वाह अभी तक नहीं चुकाई गई ।
७. तनख्वाह का रजिस्टर कानून के अनुसार नहीं रखा जाता और न उसमें तनख्वाह चुकाये जाने का ठीक हिसाब लगता है ।
८. आपको चाहिये कि खास तौर पर ध्यान देकर हर तरह के फैक्ट्री सम्बन्धी रेकार्ड, रजिस्टर और नोटिस ठीक हालत में रखें ।

ह० एस० एन० शर्मा
कारखाने व बॉयलर्स निरीक्षक,
उदयपुर डिवीजन, भीलवाड़ा ।

क्रम संख्या ३५६　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक १५-२-५८

प्रतिलिपि सूचनार्थ श्री वासुदेव, ऑक्यूपायर, टेक्सटाईलमिल, मंदसौर, एम० जी०

ह० एस० एन० शर्मा
कारखाना व बॉयलर्स निरीक्षक,
उदयपुर डिविजन, भीलवाड़ा ।

क्र०सं० ३६०-६१। आई० एफ०　　　　　　　　　　　　दिनांक १५-२-६८

१. मुख्य निरीक्षक, कारखाना व बॉयलर्स, राजस्थान, जयपुर ।
२. श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर, दो प्रतियां पहिला निरीक्षण २८-१-५७.

[redacted]

राजस्थान सरकार

कार्यालय, निरीक्षक, कारखाना एवं वाष्पयंत्र, कोटा खंड (राजस्थान)

संख्या १६७३।आई० एफ।६१ दिनांक १८-५-६१

वास्ते

व्यवस्थापक,
नारायणदास वासुदेव,
जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री,
निम्बाहेडा ।

आपकी फैक्ट्री का निरीक्षण, दिनांक ७-४-६१ को किया गया । निरीक्षण के वक्त आपकी फैक्ट्री में फैक्ट्रीज एक्ट व फैक्ट्रीज रूल्स के निम्नलिखित उल्लंघन पाये गये । कृपया इन उल्लघंनों को शीघ्र दूर करके इनकी कम्प्लाइन्स रिपोर्ट इस कार्यालय में भेजें अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी । धारा २१'- आपने अपने कारखाने में निम्लिखित मशीनों पर आड़ नहीं लगा रक्खी है ये मशीने खतरनाक हैं:—

१. स्टीम इंजिन का फ्लाईव्हील
२. ओपनीयर मशीन पर फीड एन्ड पर

धारा १६ :—आपने प्रेस की बावड़ी में प्रकाश का समुचित प्रबन्ध नहीं कर रक्खा है ।

धारा ४५ : आपने कारखाने में प्राथमिक चिकित्सा का बॉक्स मय दवाईयों के नहीं रख रक्खा है ।

धारा ५६ :—आप कारखाने में मजदूरों से रविवार के दिन कार्य लेते हैं परन्तु आपने रविवार के बदले में दी जाने वाली छुट्टी की इत्तला कार्यलय में नहीं भेजी है ।

धारा ६१ :—आपने कारखाने में वयस्क मजदूरों के कार्य करने के समय का नोटिस फार्म नं० १२ में नहीं लगा रक्खा है ।

धारा ६२ :—आपने कारखाने में वयस्क मजदूरों का रजिस्टर का रजिस्टर फार्म नं० १३ में नहीं रख रक्खा है ।

नियम ९२ :—कारखाने में सवैतनिक छुट्टियों का रजिस्टर फार्म नं० १६ में नहीं रख रक्खा था ।

नियम १०६ :— कारखाने में एक्सीडेन्ट का रजिस्टर, फार्म नं० २६ में नहीं रख रक्खा है ।

धारा २६ :—आपने अपनी फैक्ट्री में काटन ऑपनियर पर फीड एन्ड को तरफ महिला कर्मकार कार्यपर लगा रक्खी है ।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Labour Department

No. 307/IF/57 *Bhilwara the 31th Jan., 1957*

To,

THE MANAGER,
JAGDISH COTTON GINNING FACTORY,
NIMBAHERA.

Sub:—Contraventions of Factories Act & Rules.

Ref: My Inspection on 28-1-1957.

Following contraventions have been observed at the time of inspection:

1. No Notice of periods of work displayed & no copy sent to this office.
2. Register of Adult Worker not maintained.
3. No fencing provided to the fly wheel of oil engine.
4. No Notice of starting the gins wassent.

Please remove the above contraventions The compliance report should be committed to the undersigned by Feb. 15th, 1957.

S/d : S. N. Sharma,
Inspector of Factories & Boilers
Udaipur Division, Bhilwara.

No. 308-09/IF/57 Dated 31-1-57.

Copy to the Chief Inspector of Factories & Boilers, Rajasthan, Jaipur for information.

Copy in duplicate to the Labour Commissioner, Rajasthan Jaipur with the following remarks:—

Last date of inspection:— 30-8-56.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

LABOUR DEPARTMENT

No. F. 103/IF/60/198 *Bhilwara, dated the 25th April, 60.*

From

The Inspector of Factories & Boilers,
Udaipur Division, Bhilwara.

To

The Manager,
Seth Narayandas Vasudev Ginning & Pressing Factory.

NIMBAHERA,

Upon a recent inspection of your factory on 4th December, '59 it was found to the extent indicated below that certain provisions of the Factories Act & Rules made there-under had (were) not been (being) complied with. Please take necessary steps to comply with law & report compliance to me in writing at the earliest.

The orders below are issued or repeated from the previous order without prejudice to any legal action which I might take at for the non-compliance of any of provisions of the Act & Rules made thereunder:-

Sec. 11 Rule 5. You have not obtained licence of your factory, running a factory without a licence is a criminal offence punishable under Sec. 92 of the Factories Act.

Sec. 16 Rule 16. You have not entered the dates on which white washing or colour washing are carried out in your factory in prescribed register in form No. 7.

Sec. 21. You have not safe guarded the following machines by fencing or other means.

1. No Proper fencing of pulleys of gin machine.
2. Projecting shaft and pulleys on main engine.

Sec. 61. You have not displayed the notice of periods of work for adult workers in Form No. 12.

Sec. 62.	You have not maintained the register of Adult Workers in Form No. 13.
Rule 92.	You have not maintained the leave with wages register in Form No. 16 and no leave books supplied to worker in Form No. 17.
Rule 1C4.	You have not displayed the abstract of the Factories Act, 1948 and the Factories Rule 1951 in Form No. 22 and you have not displayed the Name and Address of the Inspector of Factories & Boilers, and certifying surgeon.
Rule 54.	You have not maintained the register of workers attending to machinery in Form No 8.
Rule 109.	You have not maintained the register of accidents in Form No. 29.
Rule 110.	You have not kept and maintained a bound inspection Book.

R. N. Sharma
Inspector of Factories & Boilers,
Udaipur Division, Bhilwara.

[२६१०

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

OFFICE OF THE INSPECTOR OF FACTORIES AND BOILERS, BHILWARA.

No. F. 102/IF/62/130 *Dated the 30-1-62.*

THE FACTORY MANAGER,
SHRI JAGDISH COTTON GINNING FACTORY,
NIMBAHERA (DISTT. CHITTORGARH).

Subject:- Inspection under the Factories Act, 1948 and the Rajasthan, Factories Rules, 1951 made thereunder.

Upon arecent inspection of your factory on 15th January, 62 it was found to the extent indicate below that certain provisions of the Factories Act and Rules made thereunder had not been complied with. Please take necessary steps to comply with Law and report compliance to me in writing at the earliest.

Tbe orders below are issued or repeated from the previous orders without prejudice to any legal action which I might take for the non-compliance of any provisions of the Act and Rules made thereunder.

Sec 11, Rule 16 : Register of Lime Washing and Painting in Form No. 7 not maintained at all.

Sec. 21 Rule 53; Fencing of belts and pulleys flywheel and belts of main enquire has not bee made in accordance with the schedule.

Sec. 22, Rule 54: Register of Workers attending to Machinery in Form No. 8 not maintained at all.

Sec. 45, Rule 37. No prescribed First Aid Box provided at all.

Sec. 61, Rule 84 : Notice of periods of works for Adult Workers in Form No. 12 neither displayed nor copy in duplicate, sent to me so far.

Sec. 62, Rule 85: Register of Adult Workers In Form No. 13 not maintained at all.

Sec. 108, Rule 104: Abstract of the Act and Rules not displayed on the notice board of the factory in Form No. 22 and Name and address of the Inspector of certifying Surgeon not displayed.

Sec. 83, Rule 92 & 93 : Register of leave with wages in Form No. 16 not maintained at all & leave books in form No. 17 not given to workers.

Sec. 112, Rule 109. Register of accidents and Dangerous occurrences in Form No. 29 not maintained at all.

Sec. 112 Rule 110. Inspection Book in form No. 34 not maintained and Produced on demand.

Sd–I. D. Garg.
Inspector of Factories & Boilers.
Bhilwara.

No. F. 102/IF/62/131 *dated 30-1-62.*

Copy submitted in duplicate, to the Chief Inspector of Factory and Boilers Rajasthan, Jaipur for favour of information and necessary action with the remarks that at the time of inspection 18 workers in one shift were found to have been working in the factory and 42 H. P. was being used. Party has informed to me that due to the defect of engine he started night shift form 8 P. M. to 5 A. M. Thus the total of labourers increases more than 20. Party has deposited Rs. 61. 25 (Rs. 5/-Amendment Fees) Rs. 25.00 Extra fees for licence upto 50 persons for 61 and Rs. 25.00 Extra fees for 62 and Rs. 6.25 (late fees) for 1962 vide fry. Challan No. 483. dated 20-1-62 which is 50 workers & 50 H. P. Challan enclosed.

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२२ का उत्तर देखिये)

Statement showing the number of buildings purchased by various departments through Public Works Buildings & Roads Department during the year 1960.

Serial No.	Name of the Deptt.	From whom purchased	Purpose	Date of purchase	Sanctioned Cost	Built up Area Sq. ft	Vacant Area Sq. ft.	Total Area Sq. ft.	Cost of building assessed by	Date of Valuation	Valuation of Building
1	Medical	Ismail Ali, Rajab Ali Bohra.	Medical College	31-3-62	Rs 49,290'35	5175	11556	15731	Exe. Engr. P & R PWD Udaipur	2-3-62	Rs. 35,458/-
2	—do—	Sadik Ali Bohra.	—do—	—do—	39,218 85	5268	11747	17015		—do—	25,445/-
3	—do—	Rasulj, Bakshji, Kathawala.	—do—	31-3-61	2,00,000 00	2680	186925	189605	—do—	20-6-60	8,007/-
4	—do—	Deogarh Raoji.	—do—	9-10-61	1,13,817'36	13271	53826	69095	—do—	12-5-61	48,200/
5	—do—	Sindh Vidya-Mandir. Nav-Bharat High School.	—do—	1-5-62	43,519'05	7615	8780	16395	—do—	2-3-62	30,618/
6	—do—	Saluaber Raoji.	—do—	7-6-62	3,75,279'39	37529	291480	329000	—do—	25-11-61	2,10,271/-
7	—do—	Goverdhan Singhji Mahta.	—do—	9-8-62	20,230'00	5720	15303	21023	—do—	31-1-62	80,244/-

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २४ अक्तूबर, १६६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२५४६	२	राट्रीयकुत	राट्रीयकृत
२६०४	६	जानते	जानने
२६११	४	फंकल्टी	फेकल्टी
२६२८	२	बतें	बातें
२६३५	शीर्षक	संशोधत	संशोधन
२६४५	१४	आचाय	आचार्य
२६५४	अन्तिम से १५	शन्यता	शून्यता
२६५७	१७	ोटोनोमस	ओटोनोमस
२६६३	अंतिम से १२	रिप्रेजेन्टेटिज	रिप्रेजेन्टेटिव्ज
२६६३	अन्तिम	वहांतक	कहां तक
२६८३	प्रथम पंक्ति	भी	ही
२७१६	अंतिम से ८	कनून	कानून
२७२७	६	चनाव	चुनाव
२७३५	१८	ना चाहिए	होना चाहिए
२७४०	८	छटि्टयों	छुट्टियों
२७४३	शीर्षक	यिधेयक	विधेयक
२७४५	,,	विघार	विचार